राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक १] द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९५७ का पच्चीसवां दिवस [संख्या १६

शुक्रवार, १७ मई, १९५७

विधान सभा की बैठक ११. ७ म० पू० विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न

प्रश्न संख्या १७५

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) ।

(प्रश्न-कर्ता अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १७६

श्री तनसिंह ।

(प्रश्न-कर्ता अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १७७

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) ।

(प्रश्न-कर्ता अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

लाल सोट व चाकसू तहसीलों को राष्ट्रीय विकास योजना में लेने संबन्धी

१७८. श्री प्रभुदयाल पुरोहित (लालसोट) : क्या विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

लालसोट तथा चाकसू तहसीलों को राष्ट्रीय विकास योजना में अब तक क्यों नहीं लिया गया और आगे कब तक लिये जाने का सरकार का विचार है ?

मुख्यमंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : सामुदायिक योजना मंत्रालय द्वारा सीमित संख्या में ही ग्राम सेवा योजना खंड खोले जाने की अनुमति प्राप्त होती है और सभी स्थानों पर एक साथ योजना खंड खोले भी नहीं जा सकते, अतः लालसोट व चाकसू तहसीलों में अभी तक कोई विकास खंड नहीं खोला जा सका है ।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल के अंत तक राज्य के सभी भागों में ग्राम सेवा योजना खंड खोल दिये जावेंगे । अतः इन तहसीलों में भी सेवा योजना चालू की जावेगी ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटीज़ के कहने पर खोले जाते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उनकी सिफारिशों पर भी विचार किया जाता है ।

प्रश्न संख्या १७९

श्री तनसिंह (वि. सं. १६७)

(प्रश्न-कर्ता अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १८०

श्री भैरवलाल कालाबादल ।

(प्रश्न-कर्ता अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १८१

श्री तनसिंह ।

(प्रश्न-कर्ता अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

Page No.2

गत वर्ष से धौलपुर उप जिले में रजिस्टर्ड हुए कतल के केसेज़

१८२. **श्री बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) धौलपुर उप-जिले में किस किस थाने में कितने कितने कतल के केस गत एक वर्ष में दायर हुए तथा उनमें से कितने न्यायालय में उपस्थित करने पर सफल रहे और कितने असफल रहे ?

(ख) जो असफल हुये वे किन कारणों से और इस संबन्ध में आगे क्या व्यवस्था की जा रही है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : इस प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस साल के आंकड़े आप चाहते हैं ?

श्री बहादुरसिंह (१०) : गत वर्ष के।

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें गत वर्ष नहीं है, एक वर्ष लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न में गत वर्ष छपा हुआ है।

श्री रामकिशोर व्यास : अच्छा तो आप उत्तर सुन लीजिये।

(क) मई १९५६ से अप्रेल १९५७ तक धौलपुर सब डिवीजन में आठ हत्याओं की रिपोर्ट विभिन्न थानों में इस प्रकार दर्ज कराई गई :—

१.	थाना मानिया	२
२.	थाना बाडी	२
३.	थाना राजाखेडा	३
४.	थाना बसई डांगा	१

(ख) इनमें से केवल थाना मानिया का केस अदम पता रहा। थाना राजाखेड़ा में दर्ज हुए केसों में एक का अनुसन्धान जारी है। बाकी ६ केसों का पता लग गया है और चालान पेश कर दिया गया है।

प्रश्न संख्या १८३

श्री भैरवलाल कालाबादल।

(प्रश्न-कर्ता अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

बादीकुई से राजगढ़ जाने वाली सड़कों को पक्का बनाने सम्बन्धी योजना

१८४. **श्री दयाकृष्ण विजय** (लुबड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(क) बांदीकुई से राजगढ़ जाने वाली सड़क पक्की बनाने की योजना पर विचार कितने वर्षों से चल रहा है तथा वह आज तक पक्की नहीं बनाये जाने का क्या कारण है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस सड़क को पक्का बनाने के लिये सरकार की ओर से ठेके वगैरह दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो किन किन को ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) लगभग ३॥ वर्षों से। अलाइनमेंट के बदलने के कारण सड़क पक्की नहीं बनवाई है।

(ख) जी हां। ठेके निम्नलिखित व्यक्तियों को दिये गये हैं :

(१) श्री नाथूराम ठेकेदार
(२) श्री रामजीलाल ठेकेदार
(३) श्री मोरीलाल ठेकेदार
(४) श्री श्योदयाल ठेकेदार

Page No.3

श्री दयाकृष्ण विजय : साढ़े तीन साल में जिन ठेकेदारों ने काम पूरा नहीं किया उसके खिलाफ सरकार क्या द्वारा कार्यवाही की रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इनमें से कुछ ठेकेदारों को जो काम दिया था उन्होंने काम पूरा कर दिया है, उसकी डिटेल्स इस प्रकार हैं : १ से ४ नाथूराम ठेकेदार को, ५ से ८ तक श्री राम लाल ठेकेदार को, १० से १२ तक श्री भौरी लाल को, और १३ से १६ तक श्री श्योदयाल को दिये थे । एक और चार पर जिन ठेकेदारों के नाम हैं, उन्होंने काम पूरा कर दिया है तथा २ और ३ पर जो ठेकेदार हैं, उनका काम अधूरा पड़ा है । उनके खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए थी, वह की जा रही है ।

प्रश्न संख्या १८५

श्री तनसिंह ।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

बीकानेर के निकट प्लान्टेशन योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण

१८६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(अ) क्या बीकानेर के आस-पास प्लान्टेशन स्कीम के अन्तर्गत राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार पेड़ लगा रही है ?

(आ) यदि हां, तो तहसील बीकानेर में इस निमित्त कितना रुपया खर्च किया जाना निश्चित हुआ है ?

(इ) इन लगाये जाने वाले पौधों की सिंचाई का क्या प्रबन्ध है ?

(ई) क्या घड़सीसर के पास जोड़ के कूए की इस हेतु मरम्मत कराई गई है ?

(उ) उपरोक्त मरम्मत में कितना रुपया लगा व कितना आगे लगने वाला है एवं अब तक लगे रुपये का फल क्या निकला है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(अ) जी हां । राजस्थान फोरेस्ट डिपार्टमेंट प्लान्टेशन बना रही है ।

(आ) ३,३९,००० रु० द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत है ।

(इ) जोहड़ बीड़ बीकानेर के कुये से सिंचाई होती है ।

(ई) घड़सीसर का नाम तो मालूम नहीं लेकिन जोहड़ बीड़ में स्थित कूए की मरम्मत कराई गई है ।

(उ) १६,२६२ रु० मरम्मत में लग चुके हैं और लगभग ३,००० रु० और लगने का अनुमान है । कुए की मरम्मत होने से व नींव पड़ जाने से गिरने का डर दूर हो गया है और कूए में पानी लगभग पहले जितना हो गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : जो साढ़े सोलह हजार रुपया कूए की मरम्मत में लगाया गया वह किस विभाग के द्वारा लगाया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस कूए की मरम्मत पी० डब्ल्यू० डी० ने करवाई है सन् १९५५-५६ में ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह मरम्मत किस बात के लिए करवाई गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कूआ खराब हो रहा था, उसको ठीक कराने के लिए मरम्मत कराई गई ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह बताएंगे कि कुआ खराब हो रहा था, इसकी रिपोर्ट किसने दी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई सूचना दे या न दे, जब हम वहां प्लान्टेशन लगाने जा रहे हैं तो उनको वाटर सप्लाई करने के लिए कुए की जरूरत थी, इसलिए उस कुए को ठीक करवाने के लिए खर्चा किया गया और उसमें ३,००० रु० खर्च किया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि जो १६,५०० रुपये की मरम्मत में लगाये गये, उनको खर्च करने की सलाह इंजीनियर ने दी थी कि इसमें रुपया लगाया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस कुए की मरम्मत का काम इन्जीनियर की देखरेख में किया गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या सरकार के पास इसका एस्टीमेट बन कर आया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिना एस्टीमेट बनाये पी० डब्लयू० डी० का काम नहीं होता है ?

श्री मदनसिंह : क्या इसके लिये एस्टीमेट बन कर आये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस कुए की मरम्मत में इतना रुपया लगाया गया है तो एस्टीमेट बनकर आया ही होगा, बिना एस्टीमेट बने पी० डब्लयू० डी० के काम नहीं होते।

श्री मदनसिंह : यह साफ सवाल है। क्या एस्टीमेट बना, कब वह एस्टीमेट आया और कब यह रुपया सैंक्शन हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिए एस्टीमेट बना है, एस्टीमेट बन कर ही काम हुआ है।

श्री मदनसिंह : किसने एस्टीमेट बनाया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पी० डब्लयू० डी० ने।

श्री मदनसिंह : कब बनाया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ठीक तारीख नहीं बता सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : मरम्मत में जो साढ़े सोलह हजार रुपया लगा है, तो मरम्मत के पहले कुआ चालू था या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री मदनसिंह : जानकारी नहीं है, और रुपया खर्च हो गया।

श्री अध्यक्ष : कुए की मरम्मत करवाई थी, उस कुए को ठीक कराने में कोई दिक्कत नहीं।

श्री मदनसिंह : कोई रिपोर्ट नहीं आई कि मरम्मत करना जरूरी है।

श्री मुरलीधर व्यास : मरम्मत के पहले वह कुआ चालू था या नहीं ? वह कुआ किसका था, सरकारी था या किसी और का था इसकी जानकारी ठीक ढंग से मिलनी चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : (मंत्री महोदय की ओर संकेत करके) क्या यह कुआ सरकारी है या निजी ?

Page No.5

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सरकारी कुआ है। मैं एस्टीमेट की डिटेल्स बता दूं अभी मेरे पास मौजूद है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस कुए से प्लान्ट्स की सिचाई होती है और क्या सिंचाई के ख्याल से इस कुए का पानी पौधों को सींचने के लिए पूरा होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिल्कुल पूरा पानी है उस कुए में, जितना सिंचाई के लिए जरूरी है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या आप बतायेंगे कि कितने पौधे प्लान्टेशन स्कीम द्वारा लगाये गये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां एग्ज़ेक्ट कितने पौधे लगाये गए हैं, इसके लिए आप अलग नोटिस दीजिये, मैं पौधे की गिनती करके बता दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा प्रश्न यह है कि इस कुए के पानी से पूरे पौधों की सिंचाई हो सकेगी, क्या आपको विश्वास है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि जितने पानी की प्लान्ट्स के लिए जरूरत है उतना पानी सिंचाई के लिए उस कुए में है।

श्री मदनसिंह : जब आपको यह पता नहीं कि कितने पौधे हैं तो यह कैसे कह सकते सकते हैं कि कितने पानी की जरूरत है ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : पहले इनको (श्री मुरली धर व्यास को) प्रश्न पूछने दें।

श्री मुरली धर व्यास : मैं उस स्थान को देख चुका हूं, वहां पर जितने पौधे हैं वे सब सूखे हुये हैं। दूसरी ओर पेड़ भी नये लगाये जायं, उसके लिये पानी का इन्तजाम नहीं है। वहीं गोचर भूमि नहीं, जहां गाय आदि चर सके। यह प्रश्न मैंने इस जानकारी के लिये रखा है कि मन्त्री महोदय यह बता सकें कि इस कुए का उपयोग हो रहा है। इस दृष्टि से मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछने के बजाय एक छोटा सा भाषण दे दिया। जहां तक मेरी जानकारी है और महकमे की जानकारी है, कुए में काफी पानी है और जितने प्लान्ट्स हम लगा रहे हैं, यह बेरा कुआ उनकी सिंचाई करने के लिये उपयुक्त है।

श्री अध्यक्ष : फिर तसल्ली कर लीजिए इसके बारे में।

(विराम)

श्री सोहनलाल भटनागर।

गत वर्ष की लघु व मध्यम सिंचाई योजनाएं

१८८. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् ५६-५७ में सरकार के पास कितनी लघु व मध्यम सिंचाई की योजनाएं स्वीकृति के लिये आईं तथा उनका रिटर्न कितना कितना है ?

(ख) उनमें से कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ?

Page No.6

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) १२, जिनमें ६ मध्यम हैं। योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रखी दी गई है जिसमें रिटर्न सम्बन्धी सूचना अंकित है।

(ख) एक टोंक जिले की नोगजा योजना मंजूर हुई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री सोहनलाल भटनागर : बनोड़ स्कीम सरकार के सामने कब से पेंडिंग है ?

श्री भीखाभाई : उस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री सोहनलाल भटनागर : मेरा प्रश्न है कि कब से पेंडिंग है ?

श्री भीखाभाई : १९५६–१९५७ बताया मैंने।

श्री सोहनलाल भटनागर : मेरा मतलब साल से नहीं है, किस माह से पेंडिंग है ?

श्री भीखाभाई : मैं इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद बता दूंगा।

श्री सोहनलाल भटनागर : यह स्कीम बजट में रखी गई है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह आप बजट में देख लें।

श्री भीखाभाई : यह सरकार के विचाराधीन है, उसके बाद इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री सोहनलाल भटनागर : कब तक स्वीकृत कर दी जायगी ?

श्री भीखाभाई : इसके सम्बन्ध में निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती।

झालावाड़ जिले के मालवी ढोरों की उन्नति हेतु शासकीय कदम

१९८। **हरिश्चन्द्र (डग)** : Will the Agriculture Minister be pleased to state:-

1. What steps has the Government taken to improve the "Malvi Breed" of cattle in Jhalawar District ?

2. Is it a fact that all the tehsils of this cattle breeding area are not covered with Veterinary hospitals or dispensaries ?

3. By what time does the Government intend to provide proper medical facilities to the above area ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) (अ) सरकार पंचायतों को सांड वितरण करती है।

(ब) सरकार सांड बछड़ों को खरीद कर पालने के लिये १० रु० प्रति माह प्रति बछड़ा जब तक कि ये बड़े न हों तब तक देती है। ये सांड, बछड़े पशु पालकों को नस्ल सुधारने के लिए बिना मूल्य के वितरित किये जाते हैं। रद्दी सांड़ों को बधिया करने का कार्य पशु चिकित्सालय विभाग द्वारा किया जा रहा है जिससे कि नस्ल का सुधार हो सके।

चूंकि राजस्थान में अच्छे नसल के सांड़ों की कमी है अतः इसकी पूर्ति करने के लिए सरकार कृत्रिम प्रजनन केन्द्र खोलने के विषय में विचार कर रही है।

(२) जी हां।

Page No.7

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(३) यह आशा है कि झालावाड़ की सम्पूर्ण तहसीलों में द्वितीय पंच वर्षीय योजना में पशु चिकित्सालय खोले जा सकेंगे।

एक माननीय सदस्य : क्या झालावाड़ में ऐसे सांड भेजने का प्रबन्ध किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : झालावाड़ की ही तो बात हो रही है।

उपरोक्त माननीय सदस्य : आपने फरमाया कि पंचायतों को भेजे जाते हैं तो क्या झालावाड़ की पंचायतों को भी भेजे जाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : यह मैंने झालावाड़ का जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह।

महारानी गर्ल्स हाईस्कूल की अध्यापिकाओं की सुव्यवस्था

१८९ **श्री बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) महारानी गर्ल्स हाई स्कूल, धौलपुर में अध्यापिकाओं की संख्या क्या है तथा उनमें से जो ट्रेन्ड ग्रेज्युएट हैं क्या उनकी संख्या शिक्षण हेतु पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करनी चाहती है, और कब तक ?

(ख) क्या महाराजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धौलपुर में टेक्निकल कक्षाओं के शिक्षण के लिए आधुनिक साधनों की कमी है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी कर दी जायगी।

(ग) क्या राजकीय मिडिल स्कूल, धौलपुर में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टि में रखते हुए सरकार की वहां एक और मिडिल स्कूल को स्थापित करने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(घ) क्या यह सच है कि प्राइमरी गर्ल्स स्कूल, धौलपुर में स्थानाभाव है। यदि हां, तो क्या सरकार वहां एक और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(क) ७ अध्यापिकाएं हैं। संख्या अपर्याप्त है। ग्रीष्म अवकाश के पश्चात् पूरी नियुक्ति हो जावेगी।

(ख) जी हां। जल्दी ही कमी को दूर करने का प्रयत्न किया जावेगा।

(ग) मिडिल स्कूल खोलने का प्रश्न सरकार के अभी विचाराधीन है। जुलाई तक तय हो जावेगा।

(घ) जी हां। यह कार्य जिला विकास समिति के आधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर शास्त्री।

महाराजाज़ स्कूल ऑफ आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स के दो भाग

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री (आमेर) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि महाराजाज़ स्कूल ऑफ आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स जयपुर के दो भाग कर दिये गए हैं ?

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

(ख) यदि हां, तो ऐसा क्यों और किस सन् से किया गया और अब इनके डाइरेक्टर कौन कौन हैं ?

(ग) एक ही बिल्डिंग में दोनों विभाग चालू रखने में क्या आपत्ति थी ?

(घ) क्या सन् १९५० में इस स्कूल से कुछ विद्यार्थियों ने फाइनल परीक्षा पास की थी ? यदि हां, तो कितने लड़कों ने तथा किस किस उद्योग में ?

(ङ) क्या यह सत्य है कि सन् १९५० में जिन विद्यार्थियों ने फाइनल परीक्षाएं पास की थीं उन्हें आज तक भी उसका डिप्लोमा (प्रमाणपत्र) नहीं दिया गया ?

(च) यदि हां, तो क्यों और अब इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है ?

उप-उद्योग मन्त्री (श्री ऋषभ चन्द धारीवाल) : (क) हां ।

(ख) राजस्थान सरकार ने सन् १९५० में उनके आदेश संख्या १००। आई। १९५० दिनांक ५:९:५० के द्वारा एक नई संस्था जिसका नाम राजस्थान कला संस्था है, की स्थापना की और उसमें संगीत व चित्र कला, फाइन आर्ट सेक्शन को एक साथ कर दिया गया ।

(ग) दोनों के सेक्शन्स पृथक पृथक होजाने से और एक सेक्शन शिक्षा विभाग और दूसरा उद्योग विभाग में होने के कारण यह आवश्यक हो गया कि दोनों अलग अलग रखे जायें ।

क्राफ्ट्स स्कूल के प्रिंसिपल श्री जी. एस. शुक्ला और कला संस्था के प्रिन्सिपल श्री ब्रह्मानंद गोस्वामी हैं ।

(घ) हां । १२ विद्यार्थियों ने फाइनल परीक्षा पास की जिनमें से ९ छात्रों ने पेंटिंग आर्ट, में एक ने मूर्ति कला में, एक ने पोटरी में और एक ने काष्ठ कला यानि कार्पेंट्री में ।

(च) हां, आर्ट्स और क्राफ्ट्स सेक्शन अलग हो जाने के बाद प्रमाण पत्रों में संशोधन की आवश्यकता थी इसलिये रीऑर्गेनाइजैशन ओफ आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स कमेटी के सामने यह प्रश्न रख दिया गया। छात्र पुराने स्कूल के नाम से ही प्रमाणपत्र चाहते थे मगर आर्ट्स सेक्शन अलग होने के कारण पुराने नामों से प्रमाणपत्र नहीं दिये जा सकते थे; इस ही कारण प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये ।

(छ) सरकार इस विषय में जल्दी ही निर्णय लेगी ।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : क्या यह सही है कि सरकार की ओर से महाराजाज् आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स स्कूल को दो भागों में बांटने के लिए कोई लिखित आज्ञा नहीं थी ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : मैंने कहा न कि आदेश संख्या १००। आई। १९५० दिनांक ५:९:५० के अनुसार इसे दो भागों में विभक्त कर दिया ।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कि ५ सितम्बर, ५० को गवर्नमेंट का जो यह ऑर्डर निकला था उसके बाद एक ऑर्डर और निकला था जिसमें इस ५ सितम्बर वाले ऑर्डर को वापिस ले लिया गया था ?

Page No.9

श्री धारीवाल : माननीय सदस्य ने उस ऑर्डर की तारीख बताई नहीं। मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : अगर माननीय अध्यक्ष आप आज्ञा दें तो मैं उस ऑर्डर को पढ़ कर सुना सकता हूँ, जिसमें लिखा है.......

श्री अध्यक्ष : इसके बाद में भी तो ऑर्डर हो सकता है। जब सरकार ने तय कर दिया तो इसको दोहराने से क्या मतलब ?

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : मैं बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं था कि इसे दो भागों में बांटा जावे।

श्री अध्यक्ष : इस विभाजन के बारे में आपको अगर आपत्ति है तो और सवाल पूछ सकते हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : अभी तक उन लोगों को डिप्लोमा नहीं दिया, जिसके कारण उन लड़कों को नुकसान हुआ, इसका क्या कारण है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : कारण अभी मैंने बताया कि वे विद्यार्थी उसी नाम से, आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्स स्कूल के नाम से सर्टिफिकेट लेना चाहते थे लेकिन आर्ट्स सेक्शन अलग होने के कारण पुराने नाम से प्रमाणपत्र नहीं दिये जा सकते थे। वे इन्सिस्ट करते रहे कि उसी नाम से प्रमाण पत्र लेंगे, इस लिए देर हुई। आर्ट्स के स्टूडेन्ट्स को प्रमाणपत्र दिये गये और जो नहीं लेना चाहते थे उनको उद्योग विभाग से लेने के लिए कहा गया।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : छात्र १९५० में डिप्लोमा पास करें और उनको सन् १९५७ तक प्रमाणपत्र नहीं मिलें, यह कहां तक उचित है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : यह देरी उन छात्रों की तरफ से है न कि विभाग की तरफ से। वे प्रमाण पत्र लेना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती तो उनको दिये नहीं जा सकता।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या लड़कों ने इस सम्बन्ध में आवेदनपत्र सरकार के पास प्रस्तुत किये थे ? अगर सरकार के पास वे आवेदन पत्र आये तो सरकार ने क्या उत्तर दिये ?

श्री ऋषभचन्द्र धारीवाल : ऐसा होता है कि आवेदनपत्र कभी तो लाते हैं और कभी जुबानी ही बात-चीत कर जाते हैं, आवेदनपत्र नहीं लाते। ऐसा नहीं है कि सभी ने आवेदन पत्र दिये हों।

(श्री हरिशङ्कर सिद्धान्तशास्त्री के और अनुपूरक प्रश्न पूछने हेतु खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष : आप रिपीट कर रहे हैं उसी बात को जिसका कि उत्तर मिल चुका है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स स्कूल की बिल्डिंग में और भी कोई दफ्तर चल रहा है ?

श्री ऋषभचन्द्र धारीवाल : जी हां, उस बिल्डिंग में आर्ट्स का दफ्तर और क्राफ्ट्स का दफ्तर, दोनों ही हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : इसके अतिरिक्त और कौन सा दफ्तर चल रहा है ?

Page No.10

श्री अध्यक्ष : इसका इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्स स्कूल का नियम बना हुआ है कि सिवाय आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्स के और किसी काम के लिये यह बिल्डिंग काम में नहीं लाई जायगी। पर राजस्थान सरकार की ओर से एक दफ्तर और वहां चलाया जा रहा है जिससे वे लोग इधर उधर आते हैं, जाते हैं, जिससे आर्ट्स-क्राफ्ट्स का काम ठीक तरह से नहीं चल सकता और एक प्रकार से वह चिड़ियाघर बना हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कौन आते जाते हैं ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : इन्डस्ट्रीज़ का भी दफ्तर उसी बिल्डिंग में चलता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता दूं कि अब उस बिल्डिंग का उपयोग केवल संगीत, नाटक और आर्ट्स के लिए ही किया जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : इसके लिये मुख्य मन्त्रीजी को धन्यवाद। पर लड़कों को प्रमाणपत्र जल्दी से जल्दी दे दिये जायं।

श्री अध्यक्ष : श्री सुगनचन्द जैन।

राणा प्रताप सागर बांध पर इस समय तक बनाये गये भवन

१६१ **श्री सुगनचन्द जैन** (केगूं): क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राणा प्रतापसागर बांध पर इस वक्त तक कितने मकान बनाये गये हैं और उन पर कितने रुपये खर्च हुए हैं ?

(ख) उपरोक्त बांध का कार्य कब से शुरू हुआ और अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(ग) उपरोक्त बांध से कितनी सिंचाई होगी तथा कहां कहां, कौन-कौन से रास्ते से बिजली जावेगी और उस पर कितनी रकम खर्च होगी ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) इस समय तक एक कोलोनी बनी है जिसमें लगभग १०० मकान हैं व लगभग ६ लाख रुपया खर्च हुआ है।

(ख) सन् १९५४के प्रारम्भ में इस जगह बांध बनाने का विचार था। अन्त में गांधी सागर पर बांध बनाने का निश्चय हुआ। जो मकानात पहले इरादे से प्रस्तुत किए गये थे वे राणा प्रतापसागर बांध का काम प्रारम्भ होने पर उपयोग में आवेंगे, इसी कारण इस योजना की रिपोर्ट मय एस्टीमेंट के अब तक नहीं बनी थी। इस योजना को चम्बल घाटी योजना की दूसरी स्टेज में शुरू करने का निश्चय है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में पड़ता है। रिपोर्ट अब बना कर केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ भेज दी गई है।

(ग) योजना के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात्। इससे राजस्थान में लगभग डेढ़ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। राजस्थान के उन भागों को

(श्री भीखाभाई)

बिजली सम्भव होगी जिनको गांधीसागर बांध से सम्भव नहीं होगी। वे जावर माइन्स उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा आदि भू-भाग होंगे। लाइन का रूट निश्चित नहीं है; संभवतः नीमच, भवंरबाड़, उदयपुर, जावर माइंस हैं। इस योजना पर मय बिजली के लगभग १० करोड़ रुपया खर्च होगा।

इटावा भोपजी (त० आमेर) की माध्यमिक पाठशाला को उच्च विद्यालय में परिवर्तित करने सम्बन्धी

१८२. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर): क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील आमेर में इटावा भोपजी नाम के कस्बे में सरकारी मिडिल स्कूल कई वर्षों से चल रहा है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि गांव वालों की तरफ से इसे हाई स्कूल परिवर्तित कराने हेतु लगातार आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं ?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि वहां हाई स्कूल चलाने योग्य उपयुक्त बिल्डिंग मौजूद है ?

(घ) यदि हां, तो फिर वहां हाई स्कूल कब तक खोल दिया जावेगा ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) :

(क) जी हां।
(ख) जी हां।
(ग) जी हां।

(घ) आमेर तहसील में पहले से ही दो हाई स्कूल्स हैं। एक चौमू में तथा दूसरा कालाड़े में, जो इटावा भोपजी से नजदीक है। अन्य मिडिल स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूल बनाते समय इस पर भी इसकी उपयुक्ततानुसार अवश्य विचार किया जावेगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : कालाड़े में जो स्कूल है वह सरकार का है या गैर-सरकारी है ?

श्री पूनमचन्द : यह गवर्नमेंट एडेड स्कूल है।

श्री सिद्धांतशास्त्री : यह स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं चल रहा है, सेठ की तरफ से चल रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अब कहां कहां खोलने का गवर्नमेंट विचार रखती है ?

श्री पूनमचन्द : हाईस्कूल खोलने के लिए कई शर्तें होती हैं :

(१) यह कि वहां पर २५० विद्यार्थी होने चाहिये।

(२) वहां पर १३ कमरे २०×१५ के होने चाहिये।

(३) वहां २० मील में कोई हाई स्कूल नहीं होना चाहिए।

(४) खेल के मैदान के लिए फैसिलिटी होनी चाहिये।

(५) यह है कि जहां तहसील हो क्वार्टर्स पर हाई स्कूल नहीं है उनको प्रायोरिटी दी जावेगी।

इसके अलावा आमेर में दो स्कूल चल रहे हैं, एक हाई स्कूल और दूसरा हायर सेकन्ड्री। जब आवश्यकता होगी तो (सरकार) इस पर विचार करेगी।

Page No.12

श्री सरदारसिंह : आपने बताया कि जहां पर तहसील हैडक्वार्टर्स हैं वहां पर हाई-स्कूल खोले जावेंगे। क्या वहां पहले तहसील हैडक्वार्टर था और अब वहां से हटा दिया गया है, वहां पर हाईस्कूल है उसको भी हटा दिया जाएगा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हाईस्कूल नहीं हटाया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास

राजनैतिक पीड़ित व्यक्ति माने जाने वाले व्यक्तियों की श्रेणी

१०३ **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पोलीटिकल सफरर्स किस किस श्रेणी के व्यक्तियों को माना गया है तथा इसके अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को कितनी सहायता किस किस रूप में दी गई है?

(ख) क्या गोआ मुक्ति आंदोलन में भाग लेने वाले व बलिदान होने वाले व्यक्ति उक्त श्रेणी में गिने गये है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री):

(क) पोलीटिकल सफरर्स का अर्थ राजनैतिक पीड़ित सहायता नियम, १९५६ के नियम २(३) में दिया हुआ है। यह नियम राजस्थान राजपत्र दिनांक ४६ मई, सन् १९५६ में प्रकाशित हो चुके हैं।

उक्त नियमों के अन्तर्गत ५ आदमियों को सहायता दी गई है वह इस प्रकार है :—

(१) केप्टिन मथुराप्रसाद, भरतपुर	५० रु० मासिक आजन्म
(२) श्री हरनाथ, निवासी रतनगढ़, जिला गंगानगर	१५ बीघा सिंचित भूमि।
(३) श्री ओंकारसिंह निवासी करौली	४० रु० प्रतिमाह
(४) श्रीमती केवल कंवर बेवा श्री अभयमल जैन जोधपुर	बोनस व ब्याज की रकम २१८ रु० ४ आने जो भूतपूर्व जोधपुर राज्य ने जब्त की, वापिस दिलाई गई।
५) श्री जेठाराम रांकावत, जोधपुर	२० रु० मासिक

(ख) प्रश्न विचाराधीन है।

श्री धर्मपाल : क्या गंगानगर में (अअव्य) शहीद की धर्मपत्नी को एक बीघा जमीन दिये जाने की तजवीज था, उसका क्या हुआ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह विचाराधीन हो सकता है इसलिए उसका नाम नही है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या गोआ मुक्ति संग्राम में पन्नालाल यादव शहीद हुए वे राजनैतिक सफरर्स में लिये जावेंगे या नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि ये सारी बातें विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके अलावा भी किसी को सहायता दी गई है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इसके अलावा किसी को नहीं दी ।

श्री धर्मपाल : राजस्थान में जो लोग आन्दोलन नहीं कर सके और उन्होंने कहीं आसपास जाकर, जैसे पंजाब में जाकर वहां जेल यात्रा की और आन्दोलन किया क्या वे राजस्थानी होने के नाते जमीन मांग रहे हैं, क्या उनको जमीन दी जावेगी या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यह प्रश्न भी विचाराधीन है ।

श्री दयाकृष्ण : इस बात को किस आधार पर माना जाता है कि दरअसल वे व्यक्ति पोलीटिकल सफरर्स है ? इसके लिये क्या आधार माना गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इसके लिये रूल्स गजट में पब्लिश हो चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

चित्तौड जिले में खोले जाने वाले बड़े व छोटे उद्योग

१६४. **श्री भवानीशंकर नन्दवाना** (कपासिन): क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चित्तौड़ जिले में कौन कौन से बड़े व छोटे उद्योग खोले जा रहे हैं ?

(ख) क्या चित्तौड में सीमेंट फैक्ट्री खोलने का लाइसेन्स किसी को दे दिया गया है ? यदि हां, तो किस पार्टी को दिया गया है और कार्य कब तक शुरू हो जायगा ?

(ग) लाइसेन्स किस तारीख को किन किन शर्तों पर दिया गया है ?

उप-उद्योग मन्त्री (श्री ऋषभचन्द धारीवाल) : (क) चित्तौड़ जिले में एक सीमेन्ट फैक्ट्री व एक रंगाई–छपाई उत्पादन शिक्षण केन्द्र (डाईंग एन्ड प्रिंटिंग प्रोडक्टस-कम-ट्रेनिंग सेन्टर) खोले जाने की योजना है ।

(ख) चित्तौड़ में सिमेन्ट फैक्ट्री खोलने के लिये लाइसेन्स मेसर्स एस. जोरास्टर एण्ड कम्पनी, जयपुर को दिया गया । चित्तौड़ के लाइम स्टोर की जांच कराई जा रही है । काम का शुरू होना पार्टी पर निर्भर है ।

(ग) लाइसेन्स दिनांक २४. १२. ५६ को दिया गया है । शर्तें संलग्न तालिका में दी गई हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

सामान्य शिक्षकों के स्थानान्तरण की निश्चित अवधि

१६५. **श्री रामनारायण** (पीपलदा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सामान्यतः शिक्षकों का कितने समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तर किये जाने की व्यवस्था है ?

(ख) भीलवाड़ा गर्ल्स मिडल स्कूल की मुख्याध्यापिका कितने वर्ष से इस स्कूल में कार्य कर रही हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त मुख्याध्यापिका के विरुद्ध स्थानीय जनता के द्वारा कई बार शिकायतें गई हैं लेकिन न तो उनकी जांच ही की गई है, न उनका वहां से स्थानान्तर ही किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No.14

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पुनमचन्द) : (क) ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। व्यवस्था की दृष्टि से स्थानान्तरण किया किया जाता है।

(ख) जनवरी, १९५४ से कार्य कर रही हैं।

(ग) केवल एक शिकायत की गई थी, जिसकी जांच की गई; शिकायत आधारहीन थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बगरू व फागी (जयपुर) की माध्यमिक पाठशालाओं का उच्च विद्यालय में परिवर्तन

१९५. रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

बगरू (जयपुर) एवं फागी (जयपुर) जो बड़े कस्बे हैं हाई स्कूल बनाने में सरकार क्यों उदासीन है ? क्या सरकार बगरू व फागी में जहां वर्षों से मिडिल स्कूल ही चल रहे हैं उन्हें हाई स्कूल में परिवर्तित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कब तक हो जावेगा ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द) : सरकार के उदासीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अन्य मिडल स्कूलो को हायर सेकन्डरी स्कूल बनाते समय इनकी उपयुक्तानुसार इस पर भी अवश्य विचार किया जायेगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : आज ये दोनों जगह, जिनमें फागी तहसील का हैडक्वार्टर भी है, बड़े टाउन हैं। आस-पास में कोई हाई स्कूल नहीं है और वहां के लोग बड़े लालायित हो रहे हैं; तो मेरा यह निवेदन है कि इसको पहले प्राथमिकता दी जावे। ऐसी ही स्थिति बगरू की है।

श्री पूनमचन्द : तहसील हैड क्वार्टर को प्राथिमकता (प्रायोरिटी) दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री अध्यक्ष : Now absent Members. Questions are being repeated. Shri Bhairon Singh.

उद्योग व रसद विभाग की विक्रय वाहन की बोडी हेतु टेन्डर

१७५. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देंगे : (क) क्या यह सत्य है कि फरवरी, १९५७ में उद्योग एवं रसद विभाग के आयुक्त द्वारा विभाग के विक्रय वाहन (मोबाइल सेल्स वान) की बोडी के निर्माण के लिए बन्द टेन्डर्स आमंत्रित किये गये थे ?

(ख) यदि हां, तो उक्त टेन्डर्स कब खोले गये और उनका परिणाम क्या रहा ?

(ग) क्या यह सत्य है कि नेशनल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, किशनपोल बाजार, जयपुर का टेन्डर न्यूनतम होने के कारण उसको आश्वासन दिया गया कि उसका टेन्डर मन्जूर किया जायगा किन्तु बाद में इन्कार कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उप उद्योग मन्त्री (श्री ऋषभचन्द धारीवाल) : (क) हां

(ख) उक्त टेन्डर फरवरी २६, सन् १९५७ को खोले गये। दो टेन्डर्स प्राप्त हुए और दोनों रद्द कर दिये गये।

(श्री ऋषभचन्द)

(ग) टेन्डर्स मन्जूर किये जाने के बाबत कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : ये दोनों टेन्डर्स नामन्जूर क्यों किये गये?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : टेन्डर्स के लिए जो नोटिस जारी किये गये थे वह हिन्दुस्तान के सभी बड़े बड़े अखबारों में छपाया कराये गये थे। इसके बावजूद सिर्फ दो आदमियों के ही टेन्डर्स इस बारे में आये : एक टेन्डर तो राजस्थान मोटर्स, मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर और दूसरा नेशनल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, किशनपोल बाजार, जयपुर का था। राजस्थान मोटर्स का जो टेन्डर था वह ६ हजार का था और नेशनल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का ३२०० रुपये का था। ये दोनों टेन्डर्स जो दिये गये थे उनमें साफ तौर से नोटिस में दर्ज कर दिया गया था कि ब्ल्यु प्रिन्ट के अन्दर जो स्पेसिफिकेशन्स दिये गये हैं उनके अनुसार टेन्डर दिए जायें। लेकिन ये दोनों टेन्डर स्पेसिफीकेशन्स के अनुसार नहीं थे और खास सूरत में जो नेशनल ट्रेडिंग कार्पोरेशन का टेन्डर था वह तो उस स्पेसिफीकेशन की पूर्ति नहीं करता था। ऐसी सूरत में क्योंकि उसके अन्दर यह लिखा हुआ था कि मोटर बोडी जो लकड़ी की बनेगी वह बना देंगे और यह स्पेसिफीकेशन के खिलाफ था इस लिए टेन्डर नामन्जूर कर दिये गये और क्योंकि इन दोनों में बहुत फर्क था इसलिए यह तय किया गया कि क्राफ्ट्स स्कूल जो कि कॉमर्शियल अन्डरटेकिंग भी करता है उसकी मार्फत यह काम करवा लिया जाय? इसके द्वारा वह बॉडी बनाई गई और उसने इच्छानुसार बना दी।

श्री भैरोंसिंह : टेन्डर्स के कैन्सिल करने का मुख्य कारण यह था कि केवल दो ही टेन्डर्स आये या मुख्य कारण यह था कि स्पेसिफिकेशन के मुताबिक टेन्डर्स नहीं दिये गये?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार टेन्डर्स न आने का ही मुख्य कारण था जिससे टेन्डर्स नामन्जूर कर दिये गये।

श्री भैरोंसिंह : जो स्पेसिफिकेशन्स टेन्डर में दिये गये थे, तो क्या जो नेशनल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने टेन्डर दिया था वह उसके मुताबिक नहीं था?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : जब ये दो टेन्डर्स आये तो उनमें से एक ने ६००० का दिया और दूसरे ने ३२०० का दिया; तो क्या सरकार यह उचित नहीं समझती थी कि उन टेन्डर्स की जांच की जाती और सरकार उससे बात करती जिसने ३२०० रुपये का टेन्डर दिया था कि वह इतने रुपये में स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम कर देगा या नहीं?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : उनसे दर्याफ्त किया गया था और खास सूरत में नेशनल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से तो दर्याफ्त जरूर किया गया था और वह ३२०० रुपये में सिर्फ बोडी बनाना चाहता था। अब चूंकि वान के ऊपर रंग करना भी जरूरी था। उसके अन्दर बिजली, मैटिंग आदि का काम भी कराना था जिसको करने के लिए वह तैयार नहीं था। ऐसी सूरत में और कोई चारा नहीं था क्योंकि टेन्डर्स के एडवर्टाइज़मेंट में काफी रुपया लगा था।

Page No.16

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने ३२०० रुपये का टेन्डर केंसिल किया तो उस पर यह विचार भी कर लिया था कि इसको केंसिल करने के बाद ३२०० रुपये के अन्दर इसकी बोडी और दूसरा सारा काम दूसरी जगह बन सकेगा ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ कि उससे अच्छी बोडी इस क्राफ्ट्स स्कूल में सिर्फ ४२०० रुपये में बनी है और जिसका निरीक्षण भी किया जा चुका है और वह काम इच्छानुसार ही हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : यह जो ४२०० रुपये में बोडी बना कर दी है तो क्या इसमें और सारा काम जैसे बिजली, मैटिंग आदि का हुआ है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि नेशनल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने ३२०० में अपना टेन्डर दिया और ४२०० में यह काम क्राफ्ट्स स्कूल से कराया गया तो जितना इनमें फर्क है उससे कम रुपया नेशनल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वाले को दिया जाता तो सारा काम हो जाता ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, ये इर्रेगुलर जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ कि एक हजार रुपये के फर्क में कुछ रुपया दूसरे को देकर काम कराया जा सकता था और इस टेन्डर को एक्सेप्ट किया जा सकता था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे आप क्षमा करें इन टेन्डर्स के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा अर्ज कर दूं। इन टेन्डर्स को या तो एक्सेप्ट किया जाता है और जब एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो उसके बाद में उससे यह तय नहीं किया जाता कि इसमें यह काम और जोड़ दो और इतना ले लो। यह एतराज की बात समझी जाती है और माननीय सदस्य भी कई बार इस प्रकार का एतराज करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : श्रीमान्, मेरा प्रश्न तो बिल्कुल ही दूसरा है। मेरा प्रश्न यह है कि ३२०० रुपये का टेन्डर सिर्फ बोडी बनाने का आया था, तो क्या सरकार ने यह सोचा था कि बिजली और रंग और दूसरा काम जो उनको उसमें करवाना था उसके लिए कुछ रकम और दी जाय तो वह काम ४२०० से कम में ही पूरा हो सकता है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : जी हां, इस बारे में सोच लिया था और फिर यही उचित समझा गया कि जो रकम और बोडी के अलावा, खर्च होगी वह हजार से ज्यादा नहीं हो सकती और ऐसी सूरत में इस काम को दूसरी जगह करा लिया गया।

बाड़मेर जिले में गत पांच वर्षों से २०००) रु० अथवा इससे अधिक की तकावी

१७६. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

बाड़मेर जिले में २०००) रु० अथवा इससे अधिक किस किस को तकावी लोन गत पांच वर्षों में दिया गया ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : श्री सांवतसिंह, गांव खेजड़ीयाली तहसील

Page No.17

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सिवाना को ५,००० रुपये सन् १९५४-५५ में और श्री परबतसिंह, गांव सिवाना को ८,६४० रुपये सन् १९५४-५५ में दिये। कुल मिला कर योग १३,६४० रु० है।

उद्योग व रसद विभाग की विक्रय वाहन की सामग्री हेतु टेन्डर

१७७. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि फरवरी, १९५७ में उद्योग व रसद विभाग के आयुक्त द्वारा विक्रय वाहन (मोबाइल सेल्सवान) में लाने के लिए सामग्री संबन्धी बन्द टेन्डर्स आमन्त्रित किये गये थे ?

(ख) यदि हां, तो उक्त टेन्डर्स कब खोले गये और उनका परिणाम क्या रहा ?

(ग) क्या यह सत्य है कि नेशनल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, किशनपोल बाजार, जयपुर का टेन्डर न्यूनतम होने के कारण, उसको आश्वासन दिया गया कि उसका टेन्डर मंजूर किया जायगा, किन्तु बाद में इन्कार कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री (श्री ऋषभचन्द धारीवाल) : (क) हां।

(ख) दिनांक २६-२-५७ को उक्त टेन्डर्स खोले गये। टेन्डर की स्वीकृत शर्तों व प्रतिबन्ध के अनुसार सम्बन्धित सामग्री के लिये आदेश जारी किये गये।

(ग) कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

श्री भैरोंसिंह (१४) : जो टेन्डर स्वीकार किया गया क्या वह लोअरस्ट रेट का था ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : ये जो टेन्डर्स थे वे तीन विभिन्न चीजों के थे; एक जनेरेटर का था, दूसरा प्रोजेक्टर का था, और तीसरा पर्दे का था। जेनरेटर सैट के बारे में यह था कि २, ५, २ और ४ किलोवाट के कोटेशन्स मांगे गये थे और उनके तीन आदमियों ने कोटेशन दिये। इनमें जो टेण्डर जेनरेटर का था वह लोएस्ट होते हुए भी स्वीकार नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह (१४) : जो लोएस्ट रेट का टेन्डर था वह स्वीकार क्यों नहीं किया गया ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : उसको स्वीकार नहीं करने का कारण यह था कि जो हायर रेट वाले ने टेन्डर दिया था उसके अन्दर उसने एक तो फ्री सर्विसिंग के लिए लिखा था और इसका उसने वादा किया। दूसरा लोएस्ट टेन्डर वाले में सेल्स टैक्स के बारे में कोई जिक्र नहीं था। तीसरा यह कि यह लोएस्ट टेन्डर वाली कम्पनी इनमें डील नहीं करती और वह ऐसे स्थान के अन्दर है जहां कि उसका कोई खास व्यवसाय नहीं नजर आता और दरअसल में जिसका टेन्डर मंजूर किया गया वह कम्पनी इलेक्ट्रिक के सामान के अन्दर ही डील करती है। इन सब बातों को देखते हुए यह जेनरेटर का ऑर्डर लोएस्ट रेट वाली कम्पनी को नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह (१४); क्या यह सही है कि टेन्डर को मंजूर करने से पहले उसकी

(श्री भैरोंसिंह)

वास्तविक स्थिति के बारे में कोई जांच नहीं करवाई गई ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : वह जांच तो डिपार्टमेंट से की गई है और जांच डिपार्टमेंट से हुई है और उसकी रिपोर्ट आई और उसके अनुसार ही यह टेन्डर दिया गया।

श्री भैरोंसिंह (१४) : तो क्या रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि नेशनल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के नाम की कोई फर्म ही नहीं है जो कि इलेक्ट्रिक के काम में डील करती हो !

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : जी हां।

श्री भैरोंसिंह (१४) : तो क्या सरकार यह उचित नहीं समझती थी कि जो कम्पनी इलेक्ट्रिक को डील नहीं करती और उससे टेन्डर आ जाता है तो उससे गारन्टी ले लेती है कि वह सामान समय पर सप्लाई करेगी ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : इसका एक कारण यह था कि चूंकि साल खत्म हो रहा था और यह जरूरी था कि इस बात के अन्दर एप्लीएन्सेज़ फिट करा दिये जायें, ऐसी सूरत में यह बात होती तो काफी समय लगता।

श्री भैरोंसिंह (१४) : इसकी जांच कराने में कितना समय लगा और अर्नेस्ट मनी लेने में कितना समय लगा ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : जांच तो उसी समय करा ली गई थी।

श्री भैरोंसिंह (१४) : तो क्या फिर यह सही है कि जिस समय ये टेन्डर्स खोले गये थे, अगर सरकार चाहती तो अर्नेस्ट मनी जमा कर लेती !

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : अर्नेस्ट मनी जमा न कराने की बात नोटिस में नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह (१४) : तो क्या जो टेन्डर्स लोएस्ट कम्पनी के आये उनके अन्दर इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि वह फ्री ऑफ सेल्स टैक्स होंगे ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : जी नहीं, उसके अन्दर यह चीज नहीं थी कि सामान फ्री ऑफ सेल्स टैक्स होगा। लेकिन इसके बारे में जो दूसरे टेन्डर्स आए थे उसमें यह लिखा था कि यह एक्सक्लुज़िव ऑफ सेल्स टैक्स होगा।

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या यह सही है कि नेशनल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का जो टेन्डर था उसमें इस बात का उल्लेख था कि जो सामान वह सप्लाई करेगी वह फ्री ऑफ सेल्स टैक्स होगा ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : उस टेन्डर में स्पेसीफिकली दर्ज नहीं था।

बाड़मेर में बिजली की व्यवस्था

१७९. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या मन्त्री विद्युत विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बाड़मेर में बिजली की व्यवस्था किसके हाथ में है ?

(२) उपरोक्त व्यवस्था कब से चालू हुई है और क्या यह सही है कि अब तक भी जन-साधारण के उपयोग के लिए बिजली उपलब्ध नहीं हो सकी है ?

(३) क्या सरकार नगरपालिका की

(श्री तनसिंह)

आर्थिक स्थिति और व्यवस्था की शिथिलता को ध्यान में रखकर बिजली की व्यवस्था अपने हाथों में लेने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप विद्युत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) यह व्यवस्था बाड़मेर नगरपालिका कर रही है।

(२) सन् १९५४ में बाड़मेर निवासियों को सहज जल उपलब्ध करने के सिलसिले में एक छोटा इन्जिन बिजली के लिए लगाया गया था, जो केवल सड़कों पर रोशनी सप्लाई ही कर सकता है और कर रहा है।

(३) नहीं। सरकार की ओर से वक्त-नफक्कतन आर्थिक सहायता कर्जे के रूप मे दी गई है और दी जाती रही है। इस रुपये से एक समिति द्वारा, जिसमें दो सरकारी मनोनीत सदस्य भी होंगे, बिजली सम्बन्धी कार्य भी किये जायेंगे। बिजली का कार्य विद्युत विभाग की देख-रेख में होगा। बिजली के लिए २ इन्जिन भी आ गये हैं और सामान उपलब्ध करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

श्री तनसिंह : सरकार ने जिस कमेटी का कहा है क्या उनके नामों को भी तय कर दिया है।

श्री भीखाभाई : अभी सदस्यों को नोमीनेट नहीं किया गया है; मैंने कहा इतने सदस्य होंगे। भविष्य के लिये कहा है।

श्री तनसिंह : आपने फरमाया कि तीन सदस्य होंगे; एक नगरपालिका की ओर से और दो सरकार द्वारा मनोनीत होंगे।

श्री भीखाभाई : अभी निश्चित संख्या नहीं बताई गई है। सरकार ऐसा विचार कर रही है कि विद्युत का कार्य एक कमेटी के सुपुर्द होगा, उसके कौन कौन सदस्य होंगे यह अभी विचाराधीन है; आगे इस पर विचार किया जायगा :

कस्बा घाटोली पंचायत क्षेत्र के मवेशियों का ढोला मारूनी बन में चरना

१८०. श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा) : क्या वनमन्त्री नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कस्बा घाटोली पंचायत क्षेत्र (तहसील इकलेरा जिला झालावाड़) के मवेशी ढोला मारूनी के जंगल में कितने वर्षों से चरते रहे हैं और अब इस पंचायत क्षेत्र में चराई की क्या व्यवस्था है ?

(ख) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि मवेशियों के पीने का पानी ढोला मारूनी के जंगल में ही है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि वन विभाग वाले वहां मवेशियों को चरने और पानी पीने से रोकते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) ढोला मारूनी के जंगल में मवेशी बहुत अर्से से चरते आये हैं और अब भी चरते हैं, इसके अतिरिक्त गांवों में मवेशियों की चराई के लिये चरागाह कायम कर दिये गये हैं।

(ख) जी हां। वन विभाग वाले मवेशियों को चरने व पानी पीने से नहीं रोकते हैं।

Page No.20

बाडमेर तहसील में प्राथमिक पाठशालायें

१८१. श्री तनसिंह (बाडमेर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

बाडमेर तहसील में कहां कहां प्राइमरी स्कूलें हैं तथा वे कब कब खोली गई थीं ?

उपशिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ; अगर आप फरमावें तो पढ़कर सुना सकता हूँ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

खानपुर कनवास सड़क हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत धनराशि

१८३. श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) खानपुर–कनवास रोड हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी धन–राशि स्वीकृत की गई थी तथा उसमें से कितनी रकम किस किस काम पर खर्च हुई ?

(ब) क्या यह सही है इस रोड पर जो पुलिया बनाई गई है वह उपयुक्त नहीं है ?

(स) उपरोक्त रोड के अब तक पूरा नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (अ) १ लाख १०. हजार रुपये स्वीकृत हुए थे और उनमें से ७५८८४ रु० इस सड़क से काम पर खर्च हो गये हैं।

(ब) व (स) यह सही नहीं है; सड़क को पक्की करने की योजना अभी नहीं है। कुछ कार्य बाकी है देरी का कारण ठेकेदार की सुस्ती है।

शिव तहसील में प्राथमिक पाठशालायें

१८५. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

शिव तहसील में कहां कहां प्राइमरी स्कूलस हैं और वे कब कब खोली गयी हैं।

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

सदन की मेज पर रखे गये अतारांकित प्रश्नोत्तर

भीचोर-सिंगोली रोड पर तैयार की गई पुलियाएं

१. श्री सुगनचन्द जैन (बैगूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) भीचौर–सिंगोली रोड के बीच में कितनी पुलियाएं तैयार कराई गई हैं ?

(ख) इन पुलियाओं के लिये कितनी रकम स्वीकृत हुई, तथा उपरोक्त पुलियाओं का कार्य किस तारीख से शुरू हुवा और काम खतम होने की मियाद कब तक थी ?

(ग) उपरोक्त पुलियाओं पर कितना रकम कार्य हो चुका और अब कितना कार्य शेष है। इतना विलम्ब होने का क्या कारण है तथा काम कब तक खतम हो जाने की संभावना है ?

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

उत्तर

१. ४ पुलियायें.
२. २७,४०० रुपये दिनांक १५-६-५४ से प्रारंभ कर मियाद दि० १४-११-५४ तक थी।
३. लगभग २५,००० रुपये का कार्य हो चुका है और थोड़ा कार्य शेष है। विलम्ब का कारण ठेकेदार की सुस्ती है। एक माह में।

मार्च, ५७ में बीकानेर के विभिन्न फीडर्स पर बिजली बन्द होने की पूर्व सूचनाएं

२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या विद्युतमन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) मार्च, १९५७ में बीकानेर में बिजली किन किन फीडर्स पर कितने समय के लिये बन्द रही ? कृपया सकारण विवरण दें ?

(ख) क्या बिजली बन्द होने की सूचना प्रभावित क्षेत्र के उपभोक्ताओं को दी गई थी ?

(ग) यदि हां, तो कृपया उनके नाम बताइये ?

उत्तर

(क) मार्च १९५७ के महीने में बीकानेर जिला में संलग्न सूची के अनुसार केवल ७ मोकों पर बिजली बन्द रही।

(ख) नहीं, क्योंकि तमाम पॉवर सप्लाई के शट डाउन्स और इन्टरपास इस तरह के हैं जो कि विभाग के काबू के बाहर हैं। ऐसे मामलात में पहले कोई नोटिस नहीं दिया जा सकता। ऐसे नोटिस पूर्वभासित काम के समय में ही दिये जाते हैं।

(ग) उपरोक्त 'ख' के उत्तर के अनुसार यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

धौलपुर में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत चल रहे एवं चलने वाले शासकीय कार्य

३. **श्री बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) धौलपुर उप जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन कौन से कार्य चल रहे हैं ? उनके सम्पन्न होने की कब. तक आशा है ?

(ख) उक्त उप-जिले में द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन २ से कार्य सरकार द्वारा कराये जाने की योजना है ?

अतारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर

क. पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत धौलपुर उपजिले में जो विभिन्न कार्य चल रहे है तथा जब तक उनके समाप्त होने की आशा है वे निम्न प्रकार हैं :

१. वन विभाग :	१. वन सीमाकंन तथा बन्दोबस्त	१९६०.६१ तक समाप्त होगा।
	२. फॉरेस्ट रिसर्च	जारी रहेगा।
	३. भूमि सुधार के लिए प्लान्टेशन	१९६०-६१ तक समाप्ति होगी।
	४. वेधशाला की रक्षा व विस्तार	,, ,, ,,

(मुख्य मंत्री)

	५. निम्नांकित ३ गेम सेंक्चुरीज़ का विस्तार : क. वनविहार ख. राम सागर। ग. केसर बाग	जारी रहेगा।
२. विद्युत विभाग :	१. १०० तथा १७५ बी० एच० पी० की मरम्मत तथा श्रोवर हॉलिंग।	द्वितीय योजना काल के अन्त तक पहले समाप्त हो जायेगा।
	२. धौलपुर बाड़ी लाइन को ३.३ के० बी० से ११ के० बी० २० मील लम्बी लाइन को बदलना।	,, ,,
३. शिक्षा विभाग :	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रथम वर्ष १९५६-५७ में जो कार्य भरतपुर जिले में सम्पूर्ण हो चुके हैं वे निम्न प्रकार हैं :	

१.	नये प्राथमिक स्कूल	२९
२.	नये मिडिल स्कूल	५
३.	अतिरिक्त अध्यापकों की भारती	१३
४.	प्राथमिक स्कूल जो बेसिक स्कूलों में बदले गये	११
५.	इन्टर कॉलेजों व हाई स्कूलों में पुस्तकालयध्यक्षों की जगह रखना	४
६.	मल्टीपरपज़ स्कूल	२
७.	स्कूल भवन पर खर्च ६४=३३ रु०	
८.	तीन बेसिक स्कूलों में क्राफ्ट विषय खोलना	२

४. चिकित्सा विभाग	नवाब नामक स्थान पर एक एलोपैथिक डिस्पैन्सरी खोली गई।	
५. आयुर्वेदिक विभाग :	१९५६-५७ में चार नये औषधालय निम्न स्थानों पर खोले गये : १. सावलिया कापुरा, २. पिपरोन, ३. चीलपुर, और ४. मुहाकंचनपुर।	
६. सिंचाई विभाग :	श्रामई के पास पारवती बांध की तथा बारीपुरा के पास बारीपुरा बांध की चालू योजनाएं हैं।	ये १९५८-५९ व १९५७-५८ में सम्पूर्ण होंगी।

Page No.23

(मुख्य मंत्री)

७. सड़क विभाग :	१. धौलपुर से भरतपुर तक रूपवास और सपाऊ होकर सड़क का कार्य।	इस सड़क की लम्बाई भरतपुर से धौलपुर तक ५४ मील की है। उत्तर प्रदेश का भाग छोड़ कर धौलपुर से कैथरी तक १७.६ मील पूरी हो गई है। २ मील भरतपुर से पहले ही पूरी हो चुकी है। पूरा ५४ मील का कार्य २ वर्ष में सम्पन्न होने की आशा है।
	२. सरमथुरा से करौली सीमा तक।	मिट्टी का कार्य लगभग सम्पन्न हो गया है। पुलिया शीघ्र होने की आशा है।
	३. पुलिस थाना बसई डांग का कार्य।	लगभग सम्पन्न।

८. विकास विभाग : धौलपुर सब डिविजन में २ ब्लॉक राजाखेड़ा और बसेड़ी में खोले गये हैं। इन ब्लॉकों द्वारा धौलपुर सब डिविजन की कुल ग्रामीण जनसंख्या का ४१.४ प्रतिशत लाभान्वित हुआ है।

ख. प्रत्येक जिले में प्रति वर्ष किये जाने वाले कार्यों का कार्यक्रम प्रति वर्ष तैयार किया जाता है; अतः इस समय यह बताया जाना कि आगे की कार्यों की क्या योजना है असंभव है।

बीकानेर जिले में बी० कॉम० क्लासेज़ चलाने की मांग

४. श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर जिले में बी० कॉम० तक की पढ़ाई का कोई प्रबन्ध नहीं होने की कमी को दूर करने हेतु जनता की कितने वर्षों से मांग चल रही है ?

(ख) क्या सरकार इस मांग को पूरा करने का इरादा रखती है ?

(ग) अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(क) सरकार इस मांग के बारे में अवगत है। यह मांग कदाचित कुछ वर्षों से चल रही है

(ख) इस वर्ष बीकानेर खास में एक प्राईवेट कॉलेज को बी० कॉम० क्लासेज़ खोलने की युनीवर्सिटी ने इजाजत दे दी है। इस प्रकार बीकानेर की मांग की पूर्ति हो रही है। ऐसी दशा में सरकारी कालेज में बी० कॉम० क्लासेज़ खोलना उचित नहीं होगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No.24

गोलबाग (बीकानेर) में एक नागरिक द्वारा घण्टा घर बनाने हेतु प्रार्थना-पत्र की प्रस्तुति

५. **श्री भीमसेन** (लूकरनसर): क्या निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बीकानेर रेल्वे स्टेशन के सामने गोलबाग में किसी व्यक्ति ने अपने खर्चे से एक घन्टाघर बना दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त कार्य हेतु स्वीकृति देने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(क) जी हां । कलेक्टर बीकानेर ने जो चेयरमेन, सिटी इम्प्रूवमेन्ट कमेटी बीकानेर भी है इस कार्य के लिये फ्री जमीन देने की सिफारिश की है जो सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) कलेक्टर से जमीन की कीमत के बारे में पूछा गया है, जवाब आने पर निर्णय लिया जावेगा ।

अप्रेल,५२ से अप्रेल,५७ तक भीलवाड़ा, सिरोही इत्यादि जिलों में जब्त किये गये लाइसेन्स या रजिस्टर्ड शुदा हथियार

६. **श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १-४-५२ से १-४-५७ तक भीलवाड़ा सिरोही, नागौर, बाडमेर, चित्तौड़, और सीकर जिलों में किन किन व्यक्तियों के लाइसेन्स या रजिस्ट्रेशन शुदा हथियारों को जब्त किया गया, किस किस तारीख को, और क्यों ?

(ख) इन जब्त शुदा हथियारों में किन किन को किस तारीख को उनके हथियार वापिस किये गये और क्यों ?

(ग) जो हथियार जब्त किये गये उनके रजिस्ट्रेशन या लाइसेन्स किस किस तारीख को रद्द किये गये ?

(घ) किन किन व्यक्तियों के हथियारों के लाइसेन्स या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटस को रिन्यू नहीं किया गया और क्यों ?

(ङ) जिनके हथियार प्रोहिबीटेड बोर होने के कारण या अन्य कारणों से जब्त किये गये हैं उनको उनके हथियारों की कीमत दी गई या नहीं ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृपया प्रत्येक भाग की एक एक तालिका सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उत्तर

भीलवाड़ा, सिरोही, नागौर, बाड़मेर, चित्तौड़ और सीकर जिलों में लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन शुदा हथियारों को जब्त नहीं किया गया, अलबत्ता प्रोहीबिटेड बोर के हथियार या ऐसे हथियार जिनकी बाबत कोई शिकायत हुई है उन्हें अवश्य जब्त किया । ऐसे हथियारों की संख्या संलग्न सूची के स्तम्भ ४-५ में देखिए ।

(ख) जब्त शुदा हथियारों को वापस

(श्री गृह मंत्री)

करने का नियम नहीं है इसलिए वापस करने का प्रश्न ही नहीं उठता। शायद प्रश्न कर्ता का अभिप्राय उन हथियारों से है जो किसी कारणवश पुलिस में लिए गये हों और आवश्यक कार्यवाही के बाद लौटा लिये गये हों, उनके लिए संलग्न सूची का स्तम्भ ६ देखिये।

(ग) प्रश्न 'ख' के उत्तर से इनका जवाब देना बाकी नहीं रहता है। फिर भी जिस तारीख से शस्त्र नहीं रखने का आदेश दिया जाता है तब ही से उनके रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस आदि रद्द कर दिए जाते हैं।

(घ) नियमानुसार सब ही लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समय पर पेश हो जाने पर रिन्यु कर दिए जाते हैं। यदि उनमें कोई बात पूछताछ की, आवश्यकता या अन्य कोई दिक्कत न हो—यदि कुछ पूछताछ करना हो तो ऐसा करने के बाद लाइसेन्स रिन्यु कर दिये जाते हैं। ऐसे हथियारों की संख्या सूची संलग्न के स्तम्भ ७ में देखिये।

(ङ) इस सम्बन्ध में नियम यह है कि प्रोहीबीटेड बोर का शस्त्र न रखने की आज्ञा देते समय शस्त्र के स्वामी को निश्चित या ६ माह की अवधि दी जाकर स्पष्टतया आदेश दे दिया जाता है कि वह इस अवधि में इसे बेच देवे या निकाल देवे। यदि वह इस अवधि में ऐसा नहीं कर सके तो उस शस्त्र को जब्त-सरकार घोषित कर दिया जाता है और उसकी कीमत उसके स्वामी को नहीं दी जाती।

ऐसे मामलों में जो व्यक्ति निश्चित अवधि मिलने पर भी शस्त्र नहीं बेच सके तो ऐसे शस्त्र जब्त-सरकार हैं और उनकी कीमत देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिन व्यक्तियों को बेचने की अवधि नहीं दी गई है उनको अब दी जायगी और वे यदि नहीं बेच सकेंगे तो अवधि के बाद उन हथियारों को भी जब्त-सरकार समझा जायगा।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

अप्रेल, ५२ से अप्रेल, ५७ तक जोधपुर पाली इत्यादि जिलों में जब्त किए गए लाइसेंस या रजिस्टर्ड शुदा हथियार

७. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १-४-५२ से १-४-५७ तक जोधपुर, पाली, चूरू, बीकानेर और जयपुर जिलों में किन किन व्यक्तियों के लाइसेन्स या रजिस्ट्रेशन शुदा हथियारों को जब्त किया गया, किस किस तारीख को और क्यों ?

(ख) इन जब्त शुदा हथियारों में किन किन को किस किस तारीख को उनके हथियार वापस किए गये और क्यों ?

(ग) जो हथियार जब्त किए गए उनके रजिस्ट्रेशन या लाइसेन्स किस किस तारीख को रद्द किये गये ?

(घ) किन किन व्यक्तियों के हथियारों के लाइसेन्स या रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट्स को रिन्यु नहीं किया गया और क्यों ?

(ङ) जिनके हथियार प्रोहीबिटेड बोर होने के कारण या अन्य कारणों से जब्त किये

(श्री भैरोंसिंह)

गये हैं उनको उनके हथियारों की कीमत दी गई या नहीं ? यदि नहीं, तो इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृपया प्रत्येक भाग की एक एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उत्तर

(क) जोधपुर, पाली, चूरू व बीकानेर तथा जयपुर जिलों में लाइसेन्स या रजिस्ट्रेशन शुदा हथियारों को जब्त नहीं किया गया, न ऐसा करने के नियम ही हैं; अलबत्ता "प्रोहीबिटेड बोर" के हथियार या ऐसे हथियार जिनकी बाबत कोई शिकायत हुई है वे जब्त किये हैं। इन हथियारों की संख्या संलग्न सूची के स्तम्भ ४, ५ में देखिये।

(ख) जब्त शुदा हथियारों को वापस करने का नियम नहीं है इसलिए वापस करने का प्रश्न ही नहीं उठता। शायद प्रश्न-कर्त्ता का अभिप्राय उन हथियारों से है जो किसी कारणवश पुलिस में लिए गए हों और आवश्यक कार्यवाही के बाद लौटा दिए गये हों। उनके लिए संलग्न सूची का स्तम्भ ६ देखिये।

(ग) प्रश्न 'ख' के उत्तर से इसका जवाब देना बाकी नहीं रहता है। फिर भी जिस तारीख से शस्त्र नहीं रखने का आदेश दिया जाता है तब ही से उनके रजिस्ट्रेशन और लाइसेन्स आदि रद्द कर दिये जाते हैं।

(घ) नियमानुसार सब ही लाइसेन्स या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समय पर पेश हो जाने पर रिन्यू कर दिये जाते हैं। यदि उनमें कोई बात पूछताछ की आवश्यकता या अन्य कोई दिक्कत न हो—यदि कुछ पूछताछ करना हो तो ऐसा करने के बाद लाइसेन्स रिन्यू कर दिए जाते हैं। ऐसे हथियारों की संख्या संलग्न सूची के स्तंभ ७ में देखिये।

(ङ) इस सम्बन्ध में नियम यह है कि प्रोहीबिटेड बोर का शस्त्र न रखने की आज्ञा देते समय शस्त्र के स्वामी को निश्चित या ६ माह की अवधि दी जाकर स्पष्टतया आदेश दिया जाता है कि वह इस अवधि में इसे बेच देवे या निकाल देवे। यदि वह इस अवधि से ऐसा नहीं कर सके तो उस शस्त्र को जब्त सरकार घोषित कर दिया जाता है और उसकी कीमत उसके स्वामी को नहीं दी जाती।

ऐसे मामलों में जो व्यक्ति निश्चित अवधि मिलने पर भी शस्त्र नहीं बेच सके तो ऐसे शस्त्र जब्त-सरकार हैं और उनकी कीमत देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिन व्यक्तियों को बेचने की अवधि नहीं दी गई है उनको अब दी जायगी और वे यदि नहीं बेच सकेंगे तो अवधि के बाद उन हथियारों को भी जब्त सरकार समझा जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

११.५५ म. पू.

अशासकीय संकल्प

श्री अध्यक्ष : Private Members' Resolutions; Shri Sohan Lal Bhat Nagar.

(श्री सोहनलाल भटनागर के न उठने पर)

He (Shri Bhatnager) does not want to move it.

(विराम)

Shri Bhairon Singh.

राज्यकर्मचारियों की शिकायतें सुनने हेतु एक समिति का निर्माण

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव सदन की अनुमति के लिये प्रस्तुत करता हूं :

"इस सदन की सम्मति है कि सरकार एक उच्च स्तरीय समिति, न्याय विभाग के एक उच्चाधिकारी के अधीन, नियुक्त करे जिसके समक्ष सरकारी कर्मचारी अपनी नियुक्ति, तरक्की, स्थानान्तरण व तनख्वाह आदि में हुई अनियमितताओं के संबन्ध में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर उचित संरक्षण प्राप्त कर सकें।"

अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले मैं यह चाहूंगा कि सदन मेरे इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये जांय उन विचारों के ऊपर अपना मनन ठीक प्रकार से कर उचित निर्णय ले, लेकिन अभी अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से एक व्हिप इश्यू किया गया है........

श्री ज्वालाप्रसाद : On a point of order, Sir, is it......

श्री अर्जनदास : Another point of order. Is any Hon'ble Member entitled to speak while he is chewing 'pan' in the House He ? is not audible.

श्री ज्वालाप्रसाद : I can raise a point of order at any time.

श्री अध्यक्ष : But not with 'pan'.

श्री भैरोंसिंह : पान से मादक खराब होता है, मुंह साफ करके फिर बोलें।

श्री ज्वालाप्रसाद : I can speak all right, मेरा पोइन्ट आफ ऑर्डर यह है क्या किसी पार्टी की बात सदन में रखी जा सकती है रिजोल्युशन मूव करते वक्त ? इस तरह से क्या उस बात का ओन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस जिक्र किया जा सकता है ?

श्री भैरोंसिंह : (जारी रखते हुए) मैं समझता हूँ आपकी आवाज पान के नीचे दबी हुई होने से साफ नहीं आ सकी। मेरे अर्ज करने का मतलब यह था कि हर एक सदस्य स्वतंत्र होकर इस मेरे प्रस्ताव के ऊपर विचार करे तो ज्यादा अच्छा रहता। हालांकि मुझे अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है उस सम्बन्ध में मुझे अपनी विचार-धारा व्यक्त करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरे इस प्रस्ताव की प्रस्तुति का कारण, मैंने जिस समय राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट १ अप्रेल, १६५३ से लेकर ३१ मार्च, १६५४, जिस समय सदन में प्रस्तुत की थी उस रिपोर्ट को पढ़ते समय मुझे कुछ ऐसा ध्यान आया कि राजस्थान में राजकीय सेवाओं को प्रोटेक्शन देने के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन है। लेकिन जब मैंने उस रिपोर्ट को देखा, उसके उद्धरण पढ़े, जिनमें से कुछ उद्धरण मैं सदन में पढ़ कर भी सुनाऊंगा, जिससे माननीय सदस्यों को यह आभास हो जायगा कि राजस्थान का पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे हम यह अपेक्षा करते हैं कि राजस्थान के राज्य कर्मचारियों को उससे प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, किसी हद तक मिलता है, यह इससे साफ हो जायगा। अध्यक्ष महोदय मैं इस रिपोर्ट के पेज संख्या १२ पेरेग्राफ २० की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उसमें लिखा है .. ....

Page No.28

(श्री मेहरसिंह)

"The Rajasthan Public Service Commission were further of opinion that the decision of the Government also ignored cannons of good Administrative Policy, which required that Service Questions should be decided in accordance with known published Rules and in accordance with the procedure laid down in these Rules. Relying on mere practice which may vary from time to time and from State to State would amount to introducing an element of uncertainty which might adversely affect the morale of the Services. If the 'Civil Service system' as contemplated in our democratic Constitution was to be established and maintained it was imperative that every serving official should have the satisfaction that his rights and prospects in Government service were determined according to known rules and regulations. Government's decision that no rules were necessary in deciding cases of promotion amounted to a definite set-back to the growth of that 'Civil Service system'.

अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे निश्चित रूप से यह आवश्यकता महसूस हुई कि जहां सरकार ने अपने यहां यह परम्परा बना रक्खी है कि सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, सरकारी कर्मचारियों का प्रोमोशन, सरकारी कर्मचारियों का स्थानान्तरण आदि, इन विषयों को लेकर कोई अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है तो मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि इस प्रकार के कानून के अभाव में कहीं सरकारी कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार न हो जावे और उसको रोकने के लिये मैंने यह आवश्यक समझा है कि सरकार एक कमेटी नियुक्त करे जिसका अध्यक्ष एक कोई अच्छा जुडिशियल ऑफिसर हो और उनकी अध्यक्षता में वह कमेटी सरकारी कर्मचारियों के जितने ग्रीवान्सेज हों उनको सुने और इस सम्बन्ध में वह सरकार को अपनी राय भेजे जिसके द्वारा उन सरकारी कर्मचारियों को प्रोटेक्शन मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, यह इस तरह का प्रसंग है जिस पर सदन में अभी कई दिनों से चर्चा हुई थी, विचार भी हुआ था और हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने पब्लिक सर्विस कमीशन के सम्बन्ध में जिक्र करते हुए भ्रष्टाचार सम्बन्धी बातों का जिक्र करते हुए सरकारी कर्मचारियों को प्रोटेक्शन देने की बात कही थी। मैं समझता हूं, उस समय जो प्रोटेक्शन की बात कही वह शायद भ्रष्टाचार के बारे में थी और मैं जिस प्रोटेक्शन की चर्चा करता हूँ वह प्रोटेक्शन और है। यह उनके बारे में है, जिन कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जाकर, उनके हकों को दबाकर, उनसे जूनियर कर्मचारियों को प्रोमोशन दे दिया जाता है। एक प्रोटेक्शन होता है भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के लिये और दूसरी प्रकार का प्रोटेक्शन होता है उन सरकारी कर्मचारियों के लिये जिनका प्रोमोशन वाजिब है, पर उन्हें वह नहीं दिया जाता है। तो इन दोनों प्रोटेक्शन्स में बड़ा भारी अन्तर है। मैं अपने प्रोटेक्शन की दलील इस सदन में प्रस्तुत करना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय, इस सारी रिपोर्ट को

(श्री भैरोंसिंह)

देखने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा, माफ करें सरकार और सरकार के प्रतिनिधि, यदि मैं यह कहूं कि हमारी आज की पब्लिक सर्विस कमीशन सरकार की निगाहों में एक मखौल की चीज है। इस रिपोर्ट में जहां २ भी मैंने पढ़ा है, सरकार और पब्लिक सर्विस कमीशन के बीच में जहां जहां भी कोरेस्पोन्डेन्स हुई है, पब्लिक सर्विस कमीशन ने हर जगह सरकार की इर्रेगुलेरिटिज को पोइन्ट आउट किया है। रेकॉर्ड मांगने की चेष्टा पी. एस. सी. द्वारा की गई, वहां पर इसमें लिखा हुआ है कि सरकार की ओर से उत्तर नहीं आ रहा है। मैं कई पैराग्राफ्स की केवल गिनती करवा देना चाहता हूं जिनमें केवल यह लिखा है कि सरकार की ओर से उत्तर की प्रतिक्षा की जा रही है। वह केवल एक जगह नहीं पी. ए. सी की इस रिपोर्ट में सात जगह सात प्रेराग्राफ्स में यह उल्लिखित है।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखा-डिया) : यह क्या पी. ए. सी. का रेफ्रेन्स है, अध्यक्ष महोदय ?

श्री भैरोंसिंह : मैं पी. एस. सी. के लिये कह रहा हूं। हो सकता है पी. ए. सी. का नाम आ गया हो।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस रिपोर्ट में जहां भी हम देखें वहीं हमें इस बात का पता लगेगा कि सरकार की ओर से पी. एस. सी. को सहयोग देने के स्थान पर किस उपेक्षापूर्ण नीति को अपनाया गया है ? सरकार कहीं प्रोमोशन के बारे में जिक्र करे, अपोइन्टमेन्ट्स के बारे में जिक्र करे तो इसके सम्बन्ध में एक सूचना मिलती है कि सरकार और पी. एस. सी. के बीच में प्रोमोशन की बातों को लेकर कोई विवाद भी चला है।

पी. एस. सी. ने अपनी राय अलग जाहिर की और सरकार की राय उसी मामले पर अलग रही। सरकार की राय है कि यदि किसी को प्रोमोशन देना है, एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रोमोशन करना है तो ऐसी सूरत में पी. एस. सी की राय लेना जरूरी नहीं। जब कि पी. एस. सी. यह राय होल्ड करती है कि एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में एक निम्नस्थान से दूसरे उच्च स्थान पर नियुक्त करना है तो यह मामला पी. एस. सी. के हाथ में आना चाहिये और सरकार को चाहिये कि ऐसे केसेज़ को उनको रेफर करे, उसके द्वारा कन्फर्मेशन करना चाहे वह करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिये अगर आप कहें तो और मुख्य मन्त्री चाहें तो मैं पी. एस. सी. की रिपोर्ट में से उस अंश को यहां पढ़ कर सुना सकता है, पर मैं समझता हूं कि सदन का समय लेना बेकार है। इसकी रिपोर्ट सब के पास है और माननीय मन्त्री महोदयों ने और सदस्यों ने उसे पढ़ा भी होगा और उस पर से अपने अपने विचार और मत बनाये भी होंगे। उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति यदि स्वतन्त्र राय से कहना चाहे तो निश्चिन्त होकर कहेगा कि पी. एस. सी. में और सरकार में कोआर्डिनेशन की स्पिरिट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके पहले की दो रिपोर्टर्स भी पढ़ी हैं। उनमें भी एक बात देखी है। उनमें एक चैप्टर है इर्रेगुलर अपोइन्टमेन्ट्स का। मैं समझता हूं कि पी. एस. सी. रिपोर्ट में इर्रेगुलर अपोइन्टमेन्ट्स का चैप्टर हो और उसकी सरकार तामील न करे, उसको किसी तरह से रैक्टिफाइ करने की सरकार कोशिश न करे और इस हद तक कि

(श्री भैरोंसिंह)

५१-५२ से लेकर ५४-५५ और ५५-५६ तक भी तय न हो और बराबर हर रिपोर्ट में उनका उल्लेख चला आता हो तो यह बड़ी आश्चर्य की बात है।

पिछली पी. एस. सी. की रिपोर्ट में और उससे पहले की रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि समाज कल्याण विभाग में बैकवर्ड क्लास के अन्दर तीन अधिकारियों की नियुक्ति हुई है जिसका सरकार को अधिकार नहीं था, उनको टेम्पोरेरी बेसिस पर अोपइन्टमेन्ट दे दिया गया। बाद में उनके पेपर्स पी. एस. सी. के पास भेजे गये तो उसने कहा कि ऐसी सूरत में हम कोई भी अपोइन्टमेन्ट्स नहीं कर सकते।

सरकार ने इन तीन नियुक्तियों के पहले यह भी लिखा था कि हमें डिप्टी डाइरेक्टर, बैकवर्ड क्लासेज़ की आवश्यकता है। इसके लिये एडवर्टाइज़मेन्ट किया जावे और एप्लीकेशन्स इन्वाइट की जावें। पी. एस. सी. की ओर से विज्ञापन इन जगहों के लिये किया गया, आवेदनपत्र निमन्त्रित किये गये और आवेदनपत्र पी. एस. सी. में पहुंचे भी। पर जहां एक ओर तो यह हो रहा था वहां बीच में ही दूसरी तरफ सरकार ने तीन अपोइन्टमेन्ट्स कर दिये और यदि मैं इनके बारे में यह कहूं कि इन तीनों पर बड़े लोगों का वरद् हस्त था जिसके कारण कि इनकी नियुक्ति हुई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक व्यक्ति को सिविल सप्लाइज़ विभाग से लिया गया, जिसके खिलाफ उस समय के सप्लाइज़ मिनिस्टर और आज के मुख्य मन्त्रीजी ने स्वयं ने कहा कि इनके खिलाफ रिश्वत की शिकायतें आई हुई हैं और जिस पर स्वयं ने उसको डिमोट करने को लिखा था। पर उस समय वे रेवेन्यु मिनिस्टर थे और इस आदमी के बारे में उनकी यह राय थी। सौभाग्य है कि आज वे माननीय मुख्य मन्त्री बन गये। पर जिस व्यक्ति के बारे उन्होंने एक ओपीनियन होल्ड की थी वही व्यक्ति पी. एस. सी. की विरोधी राय के बावजूद असिस्टेन्ट सोश्यल वैलफेयर अधिकारी होकर दूसरे डिज़र्विंग कर्मचारियों में एक जलन सी पैदा करने की हवा बांधते हैं। सर्विसेज़ सारी जले तो क्या हो गया ? पी. एस. सी. की राय खिलाफ है तो क्या हुआ ? वे तो आज भी असिस्टेन्ट सोश्यल वैलफेयर अधिकारी बने हुए हैं। उनका नाम भी मैं आपको बता दूं। उनका नाम है शान्तिलालजी गुप्ता। मैंने आपकी जानकारी के लिये यह भी बता दिया है।

यहां तक हुआ कि इस बारे में सदन में प्रश्न पूछे गये। उनकी सर्विस शीट के बारे में जानकारी की गई, कॉन्फिडेन्यल नोटस् के के बारे में जानकारी की गई। एक उत्तर आया कि सर्विस शीट जला दी गई। किस तरह जलाई, क्यों जलाई, और यदि सर्विस शीट जलाई तो पिछली सर्विस के बारे में जांच भी की या नहीं। पर मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि जांच करते तो एक बात नहीं, सवाई माधोपुर में अनाज का मामला, सिविल सप्लाईज के घोटाले और इसी तरह कई मामले निकलते और उन पर अगर ईमानदारी से निर्णय लिया गया होता तो ऐसा व्यक्ति आज असिस्टेन्ट डाइरेक्टर नहीं हो पाता। पी. एस. सी. ने भी इसके लिये लिखा। इस सदन में भी प्रश्न आया, पर आज तक इसके लिये कुछ नहीं किया गया। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय,

(श्री भैरोंसिंह)

समाज कल्याण विभाग आज ऐसा विभाग हो रहा है कि जिसको और कहीं नौकरी न मिले उसे इस समाज कल्याण विभाग में नौकरी मिल जावेगी, बशर्ते कि साथ में अच्छी सिफारिश जरूर हो, फिर इसकी भी चिंता नहीं कि क्वालिफिकेशन्स कितनी हैं, इसकी चिन्ता नहीं कि इस विभाग के टैक्नीकल तरीकों का ज्ञान है या नहीं, पिछली सर्विस उसकी कैसी रही है इसकी भी चिन्ता नहीं। आवश्यकता हो तो प्रार्थनापत्र दो, नहीं तो हमारी सरकार तो सीधा हुक्म भी देने को तैयार है। इसके लिये आवेदनपत्र देने की भी आवश्यकता नहीं। किसी को बीकानेर डिविजन में, किसी को दूसरे डिविजन में अपोइन्टमेन्ट दे दिया गया। कोई दिल्ली में सर्विस करने वाले हैं, सिविल सप्लाईज् में काम करने वाले हैं, वहां से बुला लिये गये और बीकानेर में लगा दिये गये। लोगों ने हल्ला मचाया, पर कोई असर नहीं हुआ; वे दामाद होते हैं एक राजस्थान के राजनैतिक नेता के इस लिये।

मैं कहता हूं कि राजस्थान के मन्त्रीगण यह कह सकते हैं कि राजस्थान के मन्त्री होने के नाते उनको यह भी प्रिविलेज है कि उनके साथी, सारे कुटुम्बी, रिश्तेदार भी नौकरियों में जावें। मैं समझता हूं कि इस बात में किसी की आपत्ति नहीं हो सकती। पर आपत्ति तो इस बात में है कि उनका सिलेक्शन नहीं होता। अगर कोई माननीय मुख्य मन्त्री के या किसी दूसरे मन्त्री महोदय के या मेरे सम्बन्धी हैं तो उनके लिये सामान्य नियम हैं। वे दर्खवास्त दें। सिलेक्शन बोर्ड के सामने जावें, कम्पीटीशन में पहले नम्बर या दूसरे नम्बर पर आवें और फिर नियुक्ति प्राप्त करें। अगर ऐसा होता है तो किसी को कोई आपत्ति के लिये स्थान नहीं। पर मैंने चेष्टा यह देखी है कि इस नियम की अवहेलना की जाती है। कोई इसे चेलेन्ज करना चाहे तो मैं नाम भी बताऊंगा कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को प्रोमोशन मिला है जो अनपढ़ भी हैं। वे गजटेड पोस्ट्स पर बैठे हैं। यदि उनका पांच साल का रिकार्ड देखा जाय तो आपको पता लगेगा कि जिनको ३० रुपया मिलता था उनको आज जिम्मेदारी की जगहों पर ३००-३५० मिल रहा है। वे मन्त्रियों के रिश्तेदार हैं, उनका नाम बताना बुरी चीज होगी। फिर यह कहा जावगा कि उनके रिश्तेदारों को नौकरी करने का अधिकार है। मैं मानता हूँ, उनको नौकरी करने का अधिकार है, लेकिन यदि दुरुपयोग होता है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा नहीं होगा कि इसका यहां जिक्र करके इसको यों ही छोड़ दिया जाय। ३० से ३५० किसको मिलने लग गये इसका जिक्र कर दें तो अच्छा होगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता था कि उनका नाम बताऊं। लेकिन जब माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने नाम पूछ लिया है तो मुझे बताना पड़ेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि राजस्थान के एक्साइज़ विभाग में एक मन्नालालजी नाम के नाकेदार थे। सिविल सप्लाइज़ से ट्रान्सफर हुआ था। एक्साइज़ विभाग में ग्रेडेशन लिस्ट है। सी. ग्रेड में उन्हीं मन्नालालजी का नाम ८२ नम्बर पर लिखा था। उनको सी से 'बी' में लिया गया और फिर 'सी' से उनको 'ए' में लिया गया। 'ए' ग्रेड में लेने के बाद उन्हें एन्टी स्मगलिंग

(श्री भैरोंसिंह)

ऑफिसर बना दिया गया। मैं समझता हूं कि उनको ३५० और २७५) के बीच आज भी मिल रहे हैं। मुख्य मन्त्रीजी नाम बताने को कह रहे थे, इसलिए मैंने उनको बताया है। अगर गलत है तो उसको वे कॉन्ट्राडिक्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता था कि इस प्रकार नाम बताऊं।

इस प्रकार और कई उदाहरण हैं। यदि मैं उनका नाम बताऊँ तो मैं समझता हूँ कि यह एक अप्रिय घटना होगी। मैं नहीं चाहता था कि उसको लूं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो मोटी चीज़ बताना चाहता था कि आपने न्याय प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। आपको चाहिये था कि लोगों के साथ न्याय हो, बाकी की जनता के साथ भी ऐसा रवैया बनायें।

समाज कल्याण विभाग में जितने असिस्टेन्ट डाइरेक्टर्स हैं, सोशयल वेलफेयर ऑफीसर्स बने हुए हैं, उनकी जांच की जाय कि वे पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा बिना एप्रूवल हैं और किनका एप्रूवल नहीं है मैं समझता हूं आप लोन सर्विस पर ले सकते हैं। कोई कलकत्ता से आये हैं। कहा जाता है कि उनको एक्सपर्ट होने के नाते ले सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि राजस्थान में भी कई एक्सपर्ट्स हैं, इस काम में निपुण हैं, उनकी इस सम्बन्ध में राय ली जाय, उनकी नियुक्ति की जाय; तब फिर पता लगेगा कि जिनकी एक्सपर्ट होने के नाते नियुक्ति करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा राजस्थान की मरुभूमि में पैदा होने वाले निपुण मिलेंगे, योग्य मिलेंगे। लेकिन उनको इग्नोर किया जाता है। यह समाज कल्याण विभाग का दृष्टान्त रखा।

राजस्थान में कोई ऐसा विभाग नहीं होगा कि जहां इस प्रकार से नियुक्तियां न की गई हों। पुलिस विभाग की ओर से चार डी वाई, एस. पी. बनाये गये हैं। प्रोमोशन देने का अधिकार आई. जी. पी. को होता है, गृह मंत्रालय को होता है, लेकिन यह नहीं हो सकता है कि जिनका हक है प्रोमोशन का उसको मार दिया जाय और जिनका हक नहीं होता है उनको दिया जाय। मैंने तलाश किया है, उनके पास नजीरें हैं, एक सर्कल इन्स्पेक्टर का नाम तीसरी लिस्ट में है, उनको डी वाई, एस. पी. बना दिया गया। उनका नाम थर्ड लिस्ट में भी २४-२५ नम्बर पर है। मैं सही नहीं कह सकता कि यही नम्बर है, लेकिन उनको लिया गया और बाकी को छोड़ दिया गया, जो उनसे भी ऊपर हैं। वे कहते हैं कि इम्पार्शियलिटी की दृष्टि से हमारी सर्विसेज़ के रिकार्ड को देख लिया जाता और उसके बाद निर्णय कर लिया जाता कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य। लेकिन कुछ नहीं हुआ और ४ को प्रोमोशन दे दिया गया। वे पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जाकर शिकायत पेश कर सकते हैं लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन की ही खुद की शिकायत है कि हमारी आज्ञाओं की अवहेलना की जाती है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐसा लिखा है कि जिनका हम चुनाव करते हैं, जिनको एप्रोप्रियेट हम समझते हैं, उनको सरकार लेती है, कई दिनों तक टालमटूल करके। सरकार की ओर से तय होता है, अमुक तारीख तक एप्लीकेशन्स इन्वाइट की जायं और अमुक तारीख तक व्यक्तियों को सिलेक्ट किया जाय। सिलेक्शन होता है, लेकिन कई दिनों तक इन्तजार करना पड़ता है अपोइन्टमेंट के लिए। पब्लिक सर्विस

Page No.33

(श्री भैरोंसिंह)

कमीशन की रिपोर्ट में शिड्यूल दिया हुआ है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा किस किस तारीख को रिलेक्शन हुआ, सरकार ने किस तारीख तक निर्णय करके भेजा और कब तक राज्य सरकार ने नहीं लिया। पुलिस के अधिकारी जब ऐसा सोचें और जब उनको पता लगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन की आज्ञाओं की अवहेलना होती है तो फिर उस पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जाने की क्या आवश्यकता है? पुलिस का ऐसा हाल है।

अध्यक्ष महोदय, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में निवेदन करूं। इस सम्बन्ध में जिक्र कई बार इस सदन में भी आया है और सदस्यों को भी अच्छी तरह मालूम है। पिछले दिनों अमीनों का अपोइन्टमेन्ट हुआ था और मैंने ऐसा देखा है कि कई व्यक्ति बिना सिफारिश के सेटलमेन्ट कमीश्नर के पास जाकर खड़े होते हैं, दरख्वास्तें पेश करते हैं और कहते हैं कि जिन व्यक्तियों की नियुक्ति कर रहे हैं उनसे हम ज्यादा क्वालिफाइड हैं। उनको स्पष्ट कह दिया गया कि जगह की भर्ती हो गई लेकिन भर्ती होने के बाद कई व्यक्ति ऐसे होंगे जिनकी नियुक्ति हुई। कई व्यक्ति मेरे पास आये। पब्लिक सर्विस कमीशन की और शायद मन्त्रीजी की बिना राय के भी सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वे नियुक्तियां कर दी गईं। माननीय राजस्व मन्त्रीजी को मालूम होगा, उन्होंने सदन में सूचना दी थी, उन्होंने स्वीकार किया था कि जहां सेटलमेन्ट कमिश्नर द्वारा जितनी नियुक्तियां होती हैं उनके लिए नियम बने हुए नहीं हैं और वे नियम बनने चाहिए थे। लेकिन मुझे अफसोस है कि नियमों के विरुद्ध उन व्यक्तियों की नियुक्तियां हो गईं, अमीन बना दिये गये। वे एक केटेगरी के नहीं, एक क्वालिफिकेशन के नहीं, एक उम्र के नहीं, एक योग्यता के नहीं लेकिन अमीन बना दिये गये। किसी का टेलीफोन आया किसी की चिट आ गई और किसी की सिफारिश आ गई और इस प्रकार अमीन बना दिये गये। अध्यक्ष महोदय, मुझे नियुक्तियों के लिए एतराज नहीं है। अगर फेयर कम्पीटिशन में आगे बढ़ते हैं तो कोई रोक-टोक करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन प्रत्येक विभाग में विभागाध्यक्षों को अधिकार दिया गया है कि टेम्पोरेरी बेसिस पर मीनियल सर्विसेज़, क्लास फोर्थ सर्विसेज़ और बाकी के क्लर्कस को नियुक्ति करें। जो साधारण नियम हैं, होने चाहिए, उनसे अगर विलग होते हैं तो हर साधारण से साधारण व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि उसको चैलेन्ज करके न्याय प्राप्त कर सके। लेकिन उसका अभाव है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से चाहूंगा कि जब वे जवाब दें तो इस बात का भी उल्लेख करें कि किन किन छोटे विभागों में भी इस प्रकार के नियम हैं। मैं समझता हूं, किसी में नियम नहीं हैं, सेटलमेंट कमिश्नरी में नहीं।

इन्श्योरेन्स का हाल देखें। उनके कर्मचारी की, इस सदन में तो नहीं, एक घटना सुनी। एक कर्मचारी अधिकारी के पास गया, कागजात पेश किये, अधिकारी नाराज हुआ और उस अधिकारी के नाराज होने के कारण उस अधिकारी के हाथ मे जो फायल थी वह उस कर्मचारी के मुंह पर दे मारी। वहीं रो-धो कर वह बैठ गया। चीफ सेक्रेटरी के पास मामला गया, कोई नियम नहीं उस विभाग में। उस कर्मचारी को डर था कि जब इस

Page No.34

(श्री भैरोंसिंह)

विभाग में कोई नियम नहीं है, कोई शिकायत हुई, उसने अगर इसको पस्यु किया तो उसको नौकरी से ही निकाल दिया जायगा। सुनते हैं उस मामले को रफा-दफा कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यह एक जबर्दस्त बात है। अध्यक्ष महोदय, इन्श्योरेंस डिपार्टमेंट के अगर आंकड़े उठाकर देखें, लिस्ट उठाकर देखें तो पता चलेगा कि एक घर का महकमा बना हुआ है, बिलकुल घर का। जिसको चाहे लोअर डिवीजन क्लर्क बना दें, जिसको चाहें अपर डिविजन क्लर्क बना दें, जिसको चाहें सुपरवाइज़र बना दें और जिसको चाहें इन्सपेक्टर बना दें। सुपरवाइज़र के ऊपर यदि किसी को प्रोमोशन देना है तो होता क्या है कि उसका दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रान्सफर कर दिया जाता है। जिन सर्विसेज़ को प्रोटेक्शन मिलना चाहिये आज उनके साथ यह स्थिति होती है। आज इन्श्योरेंस डिपार्टमेंट के व्यक्तियों को, हमारे विभाग का समय है १० से ५ बजे तक का, ६ बजे सुबह बुला कर ६ बजे शाम तक छोड़ा जाता है लेकिन उनको कोई स्पेशल अलाउन्स नहीं मिलता। कोई बोलता है तो उसकी सर्विसेज़ टर्मिनेट कर दी जाती हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे तीन साल के इन्श्योरेन्स डिपार्टमेंट के किन किन गरीब कर्मचारियों की सर्विसेज़ टर्मिनेट की हैं, आंकड़े बतावें। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह बताऊं कि होता क्या है कि इन्श्योरेन्स डिपार्टमेंट केन्टीन बना कर बिजनेस चलाता है, सरकारी सेक्रेटेरियेट की बिजली जलाते हैं, चाय बनाते हैं और जो मुनाफा होता है कर्मचारियों में बांटते हैं। सरकार को पता नहीं कि सरकारी रुपयों का किस प्रकार दुरुपयोग होता है, मुफ्त में बिजली जलाते हैं, जो कर्मचारी केन्टीन का पैसा नहीं देता है तो उसे कहा जाता है कि निकल जाओ, इन्श्योरेन्स डिपार्टमेंट में तुम्हें रहने का हक नहीं। इन आदमियों की सर्विसेज़ टर्मिनेट करो। ऐसे कर्मचारी भी हैं जो चुगली करते हैं तो उनको प्रोमोशन मिलता है। इन्श्योरेन्स डिपार्टमेंट में एक लोअर डिविजन क्लर्क है मिस्टर टेमानी। उनका अपोइन्टमेंट हुआ था सन् ५५ की जनवरी में। उनको योग्यता भी अन्य लोअर डिविजन क्लर्क्स के बराबर ही थी लेकिन उस विभाग में असिस्टेन्ट डाइरेक्टर हैं वे भी टेमानी हैं। उन्होंने देखा कि वह भी टेमानी और मैं भी टेमानी, तब फिर टेमानी क्लर्क जो है उसको फायदा क्यों नहीं दिया जाय? और उसको प्रोमोशन दे दिया गया। बाकी जो क्लर्क उनके साथ या पहले नियुक्त हुए थे वे सब रह गये। इसमें कोई एफिशियेन्सी का ख्याल नहीं, इस बात का भी ख्याल नहीं कि कौन काम करता है और कौन काम नहीं करता है, लेकिन उनको प्रोमोशन मिल गया। बाकी के सब चिल्ला उठे और कहने लगे कि आज टेमानी होने के नाते उसको प्रमोशन मिल गया, तो कल शिवेश्वरकर होने के नाते किसी दूसरे को मिल जायगा। कल मद्रासी होने के नाते, मैं उनका नाम भूल गया, मेरा मतलब डाइरेक्टर साहब से है, कल कोई सोचेगा कि मैं डाइरेक्टर का व्यक्ति हूँ, कोई यह सोचेगा कि मैं असिस्टेन्ट डाइरेक्टर का व्यक्ति हूं इसलिये मुझे प्रमोशन मिलना चाहिये। यदि कोई रिश्तेदार होने के नाते प्रमोशन पायेगा तो अध्यक्ष महोदय, मुझे डर है कि छोटे तबके के कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं होगा।

इसी प्रकार का प्रश्न आता है राजस्थान में तहसीलदारों के बारे में। अभी कुछ तहसीलदारों को प्रमोशन मिला है। मैं यह नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

कहता कि जिनको प्रमोशन मिला है उनमें कोई काम करने लायक नहीं है या योग्य नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ यह निर्णय करना चाहिये था कि जिनको प्रमोशन देना है उनमें से कौन सीनियर है, सीनियोरिटी लिस्ट में किसका कौन सा स्थान है, कौन कितना क्वालिफाइड है, सर्विस शीट में किस प्रकार की एन्ट्री है, इन सब बातों को देख कर यदि प्रमोशन दिये जायं या नियुक्ति करें तो कोई ऐतराज की बात नहीं है। लेकिन लोग कुछ और ही बातों के आधार पर चुन लिये जाते हैं, सीनियोरिटी और योग्यता का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। मुझे बताया गया कि जिनको तहसीलदारों की पोस्ट पर प्रमोट किया गया है वे सीनियोरिटी लिस्ट में किस स्थान पर हैं या सीनियोरिटी लिस्ट में किस स्थान को होल्ड करते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और उनका काम किस प्रकार का है, इसका कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जहां तक इन चीजों का प्रश्न आता है हमें ध्यान से सोचना पड़ेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस रेगुलेशन्स के अनुसार जिन चीजों को प्रोटेक्शन देना चाहिये वे दिये नहीं जाते हैं।

आज से ७-८ दिन पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था कि फोरेस्ट डिपापार्टमेन्ट में कर्मचारियों का फिक्सेशन हुआ या नहीं? उसका जवाब मिला कि फिक्सेशन होने जा रहा है, एन करीब ही हो रहा है। ये ही दो-तीन शब्द प्रश्नों के उत्तर में रख दिये जाते हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न और था। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के रेन्जर्स, फोरेस्टर्स, अपर डिविजन क्लर्क्स, लोअर डिविजन क्लर्क्स का फिक्सेशन हुआ या नहीं और उनकी सीनियोरिटी लिस्ट बनी या नहीं? तो मंत्रीजी ने जवाब दिया कि लिस्ट बन गई है। दूसरा प्रश्न पूछा कि कितनी बार लिस्टें बनीं तो उत्तर दिया कि तीन बार बनीं। तीन बार लिस्टें बनने का कारण पूछा तो कहा कि ओब्जेक्शन्स इन्वाइट किये गये थे। अध्यक्ष महोदय, यह सर्वमान्य नियम है कि सीनियोरिटी लिस्ट प्रकाशित करें और उसके साथ ही लिस्ट पब्लिश करें और सीनियर व्यक्तियों के ओब्जेक्शन्स इन्वाइट करें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक ओब्जेक्शन्स का प्रश्न है, मैं सहमत हूं कि ओब्जेक्शन्स इन्वाइट करने चाहिये थे लेकिन नहीं किये गये। लेकिन बाद में जब इन्वाइट किये गये तो उस चेप्टर को क्लोज़ करना चाहिये था, लेकिन नहीं किया गया। उसके बाद जब दूसरी बार शाया की गई तब विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई गई लेकिन बाद में फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने तीसरी लिस्ट बनाई, उसके अनुसार जिनको देना चाहिये था उनको नहीं दिया गया और जिनको नहीं देना चाहिये था उनको दे दिया गया और जिनको वास्तव में देना चाहिये था वे रह गये। एक बार फिर ओब्जेक्शन्स इन्वाइट किये गये, लेकिन फिक्सेशन जिस ढंग से होना चाहिये था उस ढंग से नहीं हुआ। इस प्रकार लोगों को उनकी सीनियोरिटी ऑफ सर्विस के हिसाब से प्रमोशन नहीं मिले। इन सब बातों के होते हुए हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कर्मचारी अच्छी तरह से राज्य और जनता की सेवा कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय; कर्मचारियों के ऊपर ज्यादतियें होती हैं इस हद तक कि कर्मचारी किसी रूप में अधिकारियों की शिकायत करना चाहते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती।

डॉक्टर्स के बारे में यहां इस सदन में

Page No.36

(श्री भैरोसिंह)

पिछली बार कई दफा चर्चा हुई है और उससे यह पता लगा कि डॉक्टर्स की सीनियोरिटी को लेकर कई झगड़े चले थे, उनको ग्रेड देने के बारे में लिस्ट प्रकाशित करने में देरी हुई थी। मैं समझता हूँ इस देरी को सारा सदन, सारे राजस्थान की जनता और मेडिकल विभाग के डॉक्टर्स अच्छी तरह से जानते हैं। सरकार की तरफ से जान-बूझ कर देरी की गई। इसका क्या कारण था? इसका कारण यह था कि कुछ व्यक्तियों को सीनियर ग्रेड में लेना था और वे सीनियोरिटी के हिसाब से आ नहीं सकते थे इसलिये कई दिनों तक उसे प्रकाशित नहीं किया गया। यदि मन्त्री महोदय जबाब अच्छी तरह नहीं देंगे तो मैं उन व्यक्तियों के नाम भी बताऊंगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं पेश करना चाहूँ गा जिसके जरिये हम जान पायेंगे कि अल्प वैतनिक कर्मचारियों के साथ किस प्रकार अन्याय होता है।

भरतपुर में एक लेडी हैल्थ विजिटर हैं श्रीमती एस. पी. लाल। वह दो साल पहले वहां थी। इन दो सालों के अंदर किस प्रकार उसके साथ ज्यादतियें हुई, यह बताना इस सदन के लिये शोभा की बात नहीं होगी। उस लेडी हेल्थ विजिटर के एक लड़की थी। डॉक्टर की साजिश से उसे भगाया गया और मद्रास ले जाया गया। जब उस लेडी हेल्थ विज़िटर ने हुल्लड़ मचाया तो वह लड़की वहां से वापिस बुलाई गई और लेडी हेल्थ विजिटर को सौंपी गई। उसके बाद जब उस लेडी हेल्थ विज़िटर को महसूस हुआ कि वह भरतपुर में चैन से नहीं रह सकती तो उसने डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की। नतीजा यह हुआ कि आजकल के मेडिकल विभाग के मंत्री जब दौरे पर भरतपुर गये तब उसके खामिन्द ने और उसने मंत्रीजी के पैर पकड़ लिये और उनसे कहा कि मेरा यहां से ट्रान्सफर कर दिया जाय। मंत्रीजी न मालूम उस समय किस मूड में थे, शायद वह डॉक्टर उनके साथ था इसलिये उन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया और कहा कि डॉक्टर तेरी शिकायत करता है इसलिये मैं तुझे रखने को तैयार नहीं हूं। वह बिचारी वापिस आ गई। राजस्थान विधान सभा के सदस्य, कांग्रेस के सदस्य और विरोधी दल के सदस्य अच्छी तरह से परिचित हैं और मुझे भय है कि जो मामला मैं यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं उसका नतीजा उस कर्मचारी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि रात दिन जो ज्यादतियें सहती है, उससे तो बढ़कर यह होगा कि सरकार के कदम से एक दम ही वह मर जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। मन्त्रीजी अच्छी तरह से परिचित हैं कि भरतपुर से भीलवाड़ा उसका ट्रान्सफर हुआ। वहां जाना उसने पसन्द नहीं किया तो ऑर्डर हुआ कि उसे नागौर भेजा जाय। तब उसने कहा कि मेरे ७ बच्चे हैं वहां जाने में मुझे तकलीफ होगी। बहुत कुछ कहने सुनने के बाद उसकी ट्रान्सफर नहीं हुई और उसे भरतपुर ही रखा गया और उसे कहा गया कि तुम्हारे लिये अच्छे स्थान की तलाश कर रहे हैं। इस पर डॉक्टर ने अपनी इन्सल्ट समझी और उसने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसे मैं यहां से निकालना चाहता हूं वह इस प्रकार यहां रह जाय तो उसे सजा मिलनी चाहिये। मैं इसका भी नमूना आपके

Page No.37

(श्री मैनेसिंह)

सामने प्रस्तुत करदूं। उस लेडी हैल्थ विजिटर का खाविन्द इस होस्पिटल में इलेक्ट्रिशियन के तौर पर ७५ रू० पर काम करता था। इस डाक्टर साहब ने इसे गिरफ्तार कराया यह कह कर कि वह पागल है। इस सम्बन्ध में मैं आपको २ लाइनें पढ़ कर सुनाता हूं :

"FROM

The Principal Medical & Health Officer, Bharatpur

To

The Superintedent of Police, Bharatpur.

Shri Pyarelal, Electrician of Victoria Hospital, Bharatpur, whose services have been terminated with effect from 28.5.1956 may please be taken under custody as he seems to be out of sense. well as generous. Kindly treat this as immediate".

फिर उसके बाद में मजिस्ट्रेट की तरफ से लिखा गया है :

"Presented by Dr. Devendra... It is better and safe in the case of justice to get him medically examined, vide section 14 of the Indian Lunacy Act."

अब इसके बाद में तीसरी दफा जो लेटर लिखा जाता है उसमें लिखा है, डाक्टर जिसे डिजेरेंड बतता है, वह डाक्टर जिसे आउट ऑफ सेन्सेज़ बताता है, २८ तारीख को सुबह सर्टीफाई करता है, उसी २८ तारीख को तीसरे पहर फिर सर्टीफिकेट लिखता है, यानि माफी मांग ली है :

"I have examined Shri Pyarelal S/o Mangal Singh. Now he is mentally fit. At about 1 P. M. he uttered such words which a sensible man could not......."

आगे लिखा है :

"He seems......... (अश्रव्य)
Now he is talking good sensibly.
S. M. Asopa
28-10-56."

अब अध्यक्ष महोदय, अन्दाज लगाया जाय कि आज कोई व्यक्ति किसी की शिकायत करना चाहे तो वह किस प्रकार से शिकायत कर सकता है ? मैंने माननीय मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में सूचित किया था कि इस सरकारी मुलाजिम के साथ ज्यादती की जा रही है, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए, वह एक्शन नहीं लिया गया और उस लेडी हैल्थ विजिटर का झुंझुनू ट्रान्सफर कर दिया गया। उसके बाद डाइरेक्टर ऑफ मेडीकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज, डी. एम. एच. ओ., को लेटर लिखते हैं, जिसमें लिखा है :

"The matter of awarding punishment etc. to the above noted lady Health Officer is receiving attention of this office. Meanwhile, you can keep strict watch over her irregularities as soon as detected and see if she can be charge-sheeted, if so necessitated."

मैं समझता हूं कि किसी डाइरेक्टर का इस प्रकार का बर्ताव छोटे कर्मचारियों के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। मैंने यह सदन में इसलिए रखा है कि उसके छोटे

Page No.38

(श्री भैरोंसिंह)

छोटे बच्चे डरते डरते मानवता के नाते मेरे पास एक दफा आये। अध्यक्ष महोदय, मैं ही क्या उस समय राजस्थान विधान सभा के कुछ कांग्रेसी सदस्य भी वहां बैठे थे, वे भी उनकी करुणा भरी कहानी सुन कर रो उठे! उन्होंने, जिस समय म्युनीसिपल एक्ट पर सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग हो रही थी, वह कहानी माननीय मंत्रीजी को कही थी, उनका भी हृदय कुछ देर के लिए द्रवित हुआ था; लेकिन थोड़ी देर के लिए हम लोगों से कहा कि कोई टेक्निकल रुकावट होगी। मैं अध्यक्ष महोदय; निवेदन करूं कि आज छोटे कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को किस तरह, बुरी तरह से दाबा जा रहा है और उनको रिट्रेंस नहीं मिलता है; कई दिनों तक तनख्वाह नहीं मिलती, उनको टी० ए० नहीं मिलता, यह छोटे कर्मचारियों पर कैसा अन्याय है?

(घंटी)

अध्यक्ष महोदय, हमें सोचना पड़ेगा कि इस अन्याय से बचाने के लिए किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिये।

मैं थोड़े शब्दों में, अध्यक्ष महोदय, एक-दो और बातों की ओर सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज प्रेक्टिस हो गई है ऊंची तनख्वाह पाने वालों की, बिना पब्लिक सर्विस कमीशन को इन्फोर्मेशन दिये सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में री एम्प्लॉय करने के बारे में प्रेक्टिस हो रही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आज बेकारी ऐसी फैल रही है कि जनता चिल्ला रही है। लेकिन सरकार नये कानून बना कर, हमारी सरकार ऐसी कार्यवाही करती है और राजस्थान सरकार ने ऐसा रवैया बना रखा है कि हमारे कई कर्मचारियों को जहां सर्विस का बेनिफिट मिलने वाला है, वहां वह यह कह कर कि यह टेक्निकल पोस्ट है, इसके लिए जिस क्वालिफिकेशन की जरूरत है, उस क्वालिफिकेशन का आदमी मिल नहीं रहा है, एक पुराने व्यक्ति को री-एम्प्लाय करती है। एक तरफ तो युनिवर्सिटियों की ऊंची ऊंची डिग्री लेकर हमारे राजस्थान के नवयुवक भटकते फिरते हैं, दूसरी तरफ राजनैतिक दृष्टि से जो सरकार के कृपा-पात्र हैं, उनको री-एम्प्लॉय किया जाता है और नयी नियुक्ति की जाती है। मैंने बजट पर बहस के समय श्री हरिभाऊ जी के सम्बन्ध में, जो इस समय यहां पर नहीं हैं, जिक्र किया था कि जिस समय अजमेर का विलय हुआ, उससे तीन दिन पहले वहां के तथाकथित मुख्य मन्त्री जी ने अपने दामाद को डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव एण्ड इन्डस्ट्रीज बनाया लेकिन आज जो अजमेर के अध्यापक हैं, जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को निकालने का नोटिस दिया जाता है। अध्यापकों को यह कहा जाता है कि १६५५ में नहीं थे, जिनकी सर्विस ३० अक्टूबर, १६५६ तक मुस्तकिल नहीं हो सकी, उनको निकाल दिया जायगा। दूसरी तरफ जो व्यक्ति गजटेड पोस्ट पर अपोइन्ट किया जाता है, वह आज दावा करता है कि वह परमानेंट सर्विस में है।

अध्यक्ष महोदय, हमें विचार करना पड़ेगा कि छोटे कर्मचारियों पर इस तरह से अन्याय होता है और दूसरी तरफ गजटेड पोस्ट पर बिना पब्लिक सर्विस कमीशन को पूछे; बिना गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की परमिशन लिए नियुक्ति की जाती है। इतना ही नहीं पिछले वर्ष एक टूरिस्ट इन्सपेक्टर की जगह

(श्री भैरोंसिंह)

खाली हुई। यह नहीं कि कोई व्यक्ति टेक्निकल एक्सपर्ट था, और किसी दूसरे स्थान पर चला गया, या उसकी सर्विस टर्मिनेट कर दी या उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, या किसी का स्थानान्तरण हुआ, जिससे जगह खाली हुई और उस जगह को भरने के लिए नियुक्ति हुई और पब्लिक सर्विस कमीशन की राय नहीं ली गई। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी कहेंगे कि रिश्तेदार की बात कहता है, लेकिन मैं आपको निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, कि वे एक राजनैतिक नेता के रिश्तेदार थे, जिनको गजटेड पोस्ट पर टूरिस्ट इन्सपेक्टर के स्थान पर नियुक्ति की गई। ऐसी नियुक्ति एक नहीं; समय समय पर ऐसी नियुक्तियां होती रहती हैं। ऐसे टेक्निकल स्थानों पर टेक्निकल आदमियों की नियुक्ति हो सकती है। लेकिन प्रश्न यह आता है, जो सरकारी अधिकारी प्रेमोशन पाने के हकदार हैं उनको प्रमोशन नहीं मिला है, उससे उनको दिक्कत पैदा होती है। जो व्यक्ति सीनियर थे, उनको सीनियोरिटी के नाते जो प्रमोशन मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख किया है, जो प्रोमोशन दिये जाते हैं, उनका उल्लेख किया है, जो नियुक्तियां होती हैं, उनका उल्लेख किया है, और री एम्प्लॉय किए जाते हैं, उनका भी उल्लेख किया है। अब मैं एक बात और कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। हमारे यहां के आर. ए. एस. ऑफिसर्स को आई. ए. एस. का प्रमोशन किस प्रकार से मिलता है? माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि इस प्रकार का प्रश्न राजस्थान सरकार के हाथ में नहीं है। मैं मानता हूं कि इसका सम्बन्ध भारत सरकार से है, जितने भी प्रमोशन्स होते हैं उनके बारे में भारत सरकार से राय ली जाती है। लेकिन मैं बताऊं कि राजस्थान सरकार ने एक तरीका बनाया है और उस तरीके के आधार पर राजस्थान सरकार सिफारिश करती है कि इन व्यक्तियों को आई. ए. एस. में लिया जाय। लेकिन सिफारिश करने का माप दंड क्या है? इसके नियम नहीं हैं। आर. ए. एस. ऑफिसर्स की लिस्ट सामने है, उसमें से सीनियरिटी के लिहाज से प्रोमोशन मिलता है, क्वालिफिकेशन की दृष्टि से प्रमोशन मिलता है, इस आधार पर आई. ए. एस. ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है। मैं अध्यक्ष महोदय, यह कहूंगा कि भारत सरकार जो निर्णय लेती है, वह सर्विस शीट के आधार पर निर्णय लेती है, इस सर्विस शीट को राजस्थान के मुख्य सचिव और सचिव तैयार करते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस सर्विस शीट के द्वारा किसी को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस सर्विस शीट को देखते हैं और फिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जिनकी हम सिफारिश कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को आई. ए. एस. के पद पर नियुक्त किया जाय। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार का इस सम्बन्ध में स्कोप लिमिटेड है। यदि राजस्थान सरकार ने २० आदमियों की लिस्ट भेज दी, और उसमें योग्यता और सर्विस का कोई ख्याल नहीं रखा गया, कि इन २० में से भारत सरकार को प्रोमोशन देना है यानि आई. ए. एस. के लिए चान्स २० व्यक्तियों में से दिया जायगा; ऐसी सूरत में आर. ए. एस. ऑफिसर्स जो बोल नहीं सकते, जिनके ऊपर राजनैतिक नेताओं का हाथ नहीं है, ऐसे राजनैतिक नेता, जो उस पक्ष में बैठते हैं, उन्हें न आई. ए. एस. का प्रमोशन मिल

(श्री भैरोंसिंह)

सकता है, न उनका इन्क्रीमेंट हो सकता है। मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि राजस्थान के माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि राजस्थान की सेवायें सतुष्ट हैं और इस संतोष का माप-दंड उन्होंने बताया था कि पंच वर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हैं, जिनमें करोड़ों रुपया खर्च होता है, वह काम इस ढंग से होता है कि जिससे हम कह सकते हैं कि सर्विस क्लास संतुष्ट है। यदि यह मापदंड है तो मैं कहूंगा कि सर्विसेज़ की सीनियोरिटी और इन्टिग्रिटी है, उसका नाजायज फायदा उटाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि उनकी सीनियरिटी और इन्टिग्रिटी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। जो उनकी आशा होती है, वह पूरी नहीं होती है तो उससे उनको ठेस पहुंचती है और ठेस का कारण यह हो सकता है कि सर्विसेज में आम तौर पर एक प्रकार का डिस्सेटिस्फेक्शन मिलता है। जो यह अनुभव करते हैं कि सर्विसेज हमारी पंचवर्षीय योजनायें ठीक तरह से निभा रहे हैं, चला रहे हैं, मैं उनको कहता हूं कि कहीं ये ऑफिसर्स सरकार को धोखा न दे दें।

अध्यक्ष महोदय, करप्शन बढ़ने के जहां अनेक कारण हैं वहां सरकारी कर्मचारियों में असंतोष बढ़ना एक प्रधान कारण है। इन सब चीजों को स्टोप करने के लिये, रोकने के लिये मेरा मत है, मैं समझता हूं कि सदन का भी यही मत होगा, पर यह मेरा अपना मत है कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ऐसी छोटी-मोटी, और बड़ी बातों में चेकिंग नहीं हो सकता, कोई सरकारी कर्मचारी दर्ख्वास्त देकर दुख दर्द दूर नहीं करा सकता, वहां एक कमेटी बना देनी चाहिये ताकि किसी कर्मचारी के साथ उसकी नियुक्ति में ज्यादती हुइ हो, स्थानान्तरण के मामले में ज्यादती हुई हो, प्रोमोशन के बारे में ज्यादती हुई हो, या और किसी प्रकार की ज्यादती हुई हो तो वह उस समिति के पास शिकायत करे और जिसके पास शिकायत की जाय वह कोऑर्डिनेशन के नाते दूसरे डिपार्टमेंट्स से सम्पर्क बढ़ा कर उसकी शिकायत को दूर करे।

इसी धारणा को लेकर मैंने सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव का सभी माननीय सदस्य समर्थन करेंगे और इसे स्वीकार करेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय अध्यक्ष, श्री भैरोंसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। पर मेरी यह धारणा है कि जो सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन के निर्णयों को नहीं मानती, उसकी राय को नहीं मानती, खुद अपने प्रस्तावों को नहीं मानती वह इस प्रस्ताव को कैसे मानेगी? यह जान कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस पर व्हिप जारी किया गया है। व्हिप के बारे में यहां आपत्ति उठाई गई; यहां सदन में बैठे सदस्यों को पर्चे बांटे जाते हैं कि इस प्रस्ताव के विपक्ष में मत देना है। एक न्यायसंगत बात का विरोध करने के लिये व्हिप इश्यू किया जाता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है।

मुझको ऐसा लगता है कि हम विरोधी दल के लोगों को तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, हम प्रश्न रखते हैं, बड़े जरूरी होते हैं पर उनका टालमटोल जवाब दिया जाता है, एक सही बात कहते हैं उसे भी टालने का प्रयास किया जाता है, तो फिर मैं समझता हूं हमारे यहां इस सदन में रहने की आवश्यकता नहीं है। यह सब देखते हुए

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

तो मुझे ऐसा लगता है कि हम विरोधी दल के लोगों को तो सदन के बाहर रह कर काम करने का अवसर है। यदि हम विरोधी दल वाले व्यक्ति न्यायसंगत बात कहें, शासन व्यवस्था में सुधार और सहयोग की बात कहें तो सरकारी पक्ष को उसे मानने में इन्कार नहीं होना चाहिये।

सर्विसेज़ के बारे में प्रश्न है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सर्विसेज़ में एक तरह से उमंग आई थी कि हमारा देश आज़ाद है, अब हमें हमारे देश के लिये काम करने का मौका मिलेगा, आज तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के लिये आज तक काम करते थे, अब हम हमारे देश के लिये काम करेंगे। सर्विसेज ने सोचा कि हम हमारे देश का निर्माण करेंगे, पर ज्यों ज्यों एक एक वर्ष बीतता गया, जो दैनदिनी शासन व्यवस्था थी उसमें भी हमारी सरकार ने हस्तक्षेप करना शुरू किया। यहां तक कि छोटे मास्टरों तक की ट्रान्स्फर में सरकार की ओर से हस्तक्षेप होने लगा। सीकर के इन्सपेक्टर ओफ स्कूल्स को सदन के एक भूतपूर्व सदस्य थे उन्होंने कहा कि फलां मास्टर की ट्रान्स्फर कर दो, इन्सपेक्टर ने भी यह लिखा है कि श्री एम. एल. ए. के कहने पर इस आदमी का ट्रान्स्फर किया जाता है। इस तरह रोजमर्रा के, प्रतिदिन के जो कार्य हैं उनमें हस्तक्षेप किया जाता है।

प्रारम्भिक दिनों में जब हमें स्वतन्त्रता मिली ही थी तो शासन-व्यवस्था कुछ सुधरी थी, पर आज ऐसी बिगड़ी है कि उसके विषय में कुछ कह नहीं सकते। इससे कोई इन्कार भी नहीं कर सकता। किसी आदमी को प्रमोशन देना है, अपोइन्टमेंट देना है, ट्रान्स्फर करना है, चाहे वह जायज तरीकों से हो या नाजायज तरीकों से, सरकार उसे करती है। यही कारण है कि आज शत-प्रतिशत राज्य कर्मचारी असंतोष प्रकट करते हैं और सरकार यदि उन्हें छूट दे दे अपना संगठन बनाने की तो एल. डी. सीज़, यु. डी. सीज़ आदि सब के सब कर्मचारी अपना संगठन बनाने को तैयार हैं। यही नहीं, पुलिस विभाग के कर्मचारी भी चोरी छुपके अपने ट्रान्स्फर प्रोमोशन, स्थानान्तरण आदि के बारे में विचार करते हैं और ट्रेड यूनियन के आधार पर अपनी यूनियन बनाने को तैयार हैं। वैसा दिन दूर नहीं है। कहा जाता है कि सर्विसेज़ ने चुनावों में सरकार का साथ दिया, पर मेरा यह मत है कि कुछ लोगों को छोड़ कर, जिन्हें कि नाजायज तरीके से एपोइन्टमेंट, या प्रमोशन मिल गये, या जो सरकारी पक्ष के लोगों के रिश्तेदार थे उन लोगों को छोड़ कर, दूसरों ने सरकार का साथ नहीं दिया, क्योंकि वे लोग सरकार से असंतुष्ट हैं कि सरकार उनके साथ मनमानी करती रही है।

मैं यह नहीं कहता कि किसी का समर्थन नहीं किया; किया होगा, पर कुछ लोगों को छोड़ कर बाकी ने हृदय से नहीं किया। इसकी यह वजह नहीं कि उनको वेतन कम मिलता है; वेतन भी कम लेने को तैयार हैं, जहां तक कि उनके साथ ईमानदारी बरती जाय। आठ-आठ, दस-दस वर्ष हो गये, इन लोगों का फिक्सेशन नहीं होता है। बीकानेर का एक केस मेरे पास आया है। इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में एक फोरमैन फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट थी, उस पर एक आदमी काम करता आया है; सीनीयर था, उसके हक को मार कर उसके नीचे जो एक्टिंग का काम करता था और उससे कई वर्ष

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

जूनियर था, पर इसलिये कि वह बड़े प्रभाशाली व्यक्ति का रिश्तेदार था, उसे फर्स्ट ग्रेड फोरमैन का चान्स दिया गया।

अगर उच्च स्तरीय एक समिति का निर्माण किया जाय, जो न्याय विभाग के ट्रस्ट के अन्दर में हो और वह इस प्रकार की शिकायतों की सुनवाई करे तो इस प्रकार की समिति के निर्माण में सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है, सरकार से सम्बन्धित अधिकारी ही इनके बारे में जांच करेंगे।

आज हमारा न्याय विभाग जो है उस पर भारतवर्ष की जनता को गर्व है। न्याय विभाग ने ही हमारे प्रशासनिक विभाग को बड़ा करारा जवाब दिया है। हमारे प्रशासनिक विभाग ने प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट में कइयों को डिटेन किया और मनमानी कार्यवाही की, श्री मदनसिंह दांता को भी डिटेन किया था; पर हमारे न्याय विभाग ने इन मामलों की सुनवाई करके न्याय पूर्ण फैसले दिये और सरकार को करारा जवाब दिया। न्याय विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो प्रशासनिक विभाग को चुनौती देता है। ऐसी सूरत में न्याय विभाग के उच्च अधिकारी के नीचे इस प्रकार की एक समिति का निर्माण कर दिया जाय, तो जनता को जब विश्वास है कि हमारा न्याय विभाग न्याय करता है तो सरकारी कर्मचारियों को तो निश्चित रूप से विश्वास हो जायगा कि न्याय विभाग के अधिकारी के अन्दर में काम करने वाली समिति को हमारा काम सौंपा गया तो न्याय अवश्य होगा। आज कांग्रेस की हुकूमत है, कल कोम्युनिस्टों की हुकूमत आ सकती है, जनसंघ की आ सकती है, रामराज्य परिषद की आ सकती है और इसी तरह से सर्विसेज़ के साथ ज्यादतियां होती रहीं तो सर्विसेज़ में स्थिरता नहीं रहेगी। पार्लियामेंटरी फोर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है तो वहां तो सर्विसेज़ की सिक्योरिटी होनी चाहिये, सर्विसेज़ का ऐसा नियम होना चाहिए, चतुर्थ श्रेणी की सर्विसेज़ के नियम होने चाहिये, इस सम्बन्ध में हम मुख्य मंत्री महोदय से मिले थे, उन्होंने कहा था कि नियम बन गये हैं, सर्कुलेट कर दिये जायगे। पर आज इस बात को एक लम्बा अर्सा बीत चुका पर इनके अपोइन्टमेंट, प्रोमोशन और स्थानान्तरण के बारे में नियम सर्कुलेट नहीं हुए हैं। एक ऊंची तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति का स्थानान्तरण हो जाता है, एक जिले से दूसरे जिले में भेज दिया जाय तो वह इसे सहन कर सकता है परन्तु ४०-४५ रुपये पाने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को एक जिले से दूसरे जिले में बदल दिया जाय तो वह इसे कैसे सहन कर सकता है, जबकि वह एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानान्तरण को सहन नहीं कर सकता?

सीकर का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं। सीकर में एक उम्मीदवार खड़े हुए, हालांकि वे मेरे विरोध में लड़ रहे थे। उसका सम्बन्धी काफी प्रभावशाली था इसलिए उसका जो कि एक चपरासी था सीकर से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। रेवेन्यु में भी इस प्रकार की कई बातें होती हैं। जो व्यक्ति रिटायर हो जाता है उसको एक्सटेन्शन देकर उसका अपोइन्टमेंट कर दिया जाता है। मगर यह क्लर्कों में ही होता है, फोर्थ क्लास सर्विसेज़ में नहीं होता। उनको परमानेन्ट सर्विसेज़ में नहीं लिया जाता। इसके अलावा रिटायर होने वाले के स्थान पर भी किसी को लिया जाता है तो भी उसको एक्सटेन्सिव

Page No.43

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

बेसिस पर ही रखा जाता है। तीन महीनों के लिए या एक साल के लिए, जैसा वे चाहें रखते हैं और उस व्यक्ति को जिस समय उनकी मर्जी आती है निकाल देते हैं। वास्तव में देखा जाय तो यह कितना बड़ा अन्याय है ? जिन लोगों को आज सर्विसेज के बारे में सिक्योरिटी नहीं, जिनको यह भी मालूम नहीं कि वे आगे परमानेंट भी किये जावेंगे या नहीं, उनको तो यही कहा जाता है कि तुम एक्सटेंसिव सर्विस पर हो। डाइरेक्टर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट की मर्जी होती है तब तक उनको रखा जाता है और उनके बाद में उनको वहां से रिटायर कर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपने और आप की मारफत सदन के सभी सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि यह न्यायसंगत प्रस्ताव है, इस पर विचार किया जाए। मैं यह भी कहूँगा कि उधर बैठने वाले कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनमें से बहुत सों से हमें मिलने का अवसर मिला है और मैं समझता हूं कि वे चाहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था हो, मगर इस प्रकार का व्हिप उन पर लगा है कि उनकी अन्तर्आत्मा साक्षी देते हुए भी वे इस पर नहीं कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने वेकमीनेशन बिल का विरोध किया, हमने और कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध किया, करें और जब वोट का समय आवे उस समय जैसा व्हिप हो वैसा ही किया जावे, मगर जैसी उनकी भावना है वह यहां पर व्यक्त तो कर दें। यदि उनको किसी प्रकार का विरोध करना है इस प्रस्ताव का, तो वे इसके विरोध में ही कह दें और यदि वे इस प्रकार का अन्याय नहीं सहन कर सकते हैं तो जैसी उनकी इच्छा हो कह तो दें। मैं तो अपनी तरफ से इसका हृदय से स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष, एक माननीय सदस्य, जो श्री माधोपुर से आये हुए हैं, ने छोटे कर्मचारियों का जो मार्मिक चित्रण सदन के समक्ष चित्रित किया है उससे विरोधी दल के सदस्य ही नहीं अपितु ट्रेज़री बेंचेज के सदस्य भी द्रवित हो गए होंगे। उन्होंने उस चित्र में जिस प्रकार राज्य सत्ता के द्वारा, सत्तारूढ़ व्यक्तियों के द्वारा जो जो धांधलियें और ज्यादतियें हो रही हैं, अन्याय हुए हैं उनके कारणों का चित्र खींचा है। उसको देख कर ऐसा लगता है कि हमारी राजस्थान सरकार के अधिकारी अपने ही कुछ व्यक्तियों को, संबन्धियों को या पिट्ठुओं को आगे बढ़ाना चाहती है और जो नये और योग्य व्यक्ति हैं उनका ध्यान नहीं रखना चाहती।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो भी कर्मचारीगण हैं, चाहे वे हमारे यहां राजस्थान सरकार के हों, चाहे हिन्दुस्तान सरकार के हों, उनका सबसे पहला कर्तव्य यह होता है कि वे स्वामिभक्त होते हैं। सरकारी कर्मचारी स्वामिभक्त होते हुए भी उन पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध है कि उस से आप और सदन के सभी सदस्य अनभिज्ञ नहीं हैं। वे न तो राजनीति में सक्रिय भाग ले सकते हैं और न अपनी आवाज को मंत्री गण तक पहुंचा सकते हैं, वे किसी प्रकार का संगठन नहीं कर सकते। इस प्रकार की पाबन्दियों से वे लोग बंधे है। उन लोगों पर जब जुल्म ढाये जाते है तो हमारे सामने निस्संदेह एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि आखिर इन गरीब लोगों की आवाज को बुलन्द करने वाला कौन है ?

(श्री दयाकृष्ण विजय)

उनके साथ किस तरह से अन्याय होते हैं, किस तरह से उनके हकों को मार दिया जाता है, किस तरह से पक्षपात के कारण उनके, प्रोमोशन, स्थानान्तरण को लेकर धांधलियां की जाती हैं, उनके साथ न्याय करने वाला कौन है ? इसलिये जैसा कि श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किया है कि इस प्रकार की धांधलियों को रोकने के लिए एक समिति का निर्माण किया जाए, उस कमेटी के सामने जिस किसी व्यक्ति को (कर्मचारी को) अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में या किसी प्रकार की ट्रान्सफर या प्रोमोशन के बारे में आपत्ति हो तो वह अपना आवेदन पत्र उस समिति के समक्ष दे सकता है और उसका न्याय वहां पर किया जा सकता है। इसी प्रकार जब पब्लिक सर्विस कमीशन की यही राय होती है कि अमुक व्यक्ति को यहां पर लिया जाये, मगर पब्लिक सर्विस कमीशन की राय को ठुकरा दिया जाता है, वह नहीं मानी जाती है और उसका अर्थ केवल यही होता है कि अपने संबन्धियों को या रिश्तेदारों को प्रोमोशन दिया जाता है। कई ऐसे केसेज़ हैं जिनका निर्णय किया जा सकता हैं और अभी भी न्याय दिया जा सकता है। इस प्रकार के कई केसेज़ हैं जिनको आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि इस प्रकार की धांधलिएं हर विभाग में की जाती हैं। हम समझते हैं कि हमारे सामने ऐसी नीति होनी चाहिए कि जिन छोटे कर्मचारियों की आवाज को बुलन्द करने वाला कोई नहीं है उनको न्याय दिलाया जाए। मैं यह अर्ज करूंगा कि आप यह कहेंगे कि वे उच्च अधिकारी के पास प्रोपर चेनल से जा सकते हैं और उनको यह अधिकार प्राप्त है। मगर मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि प्रोपर चेनल से दिए कागजात दबा लिये जाते हैं। और वे क्यों दबा लिए जाते हैं; इसलिए कि वे वहां के अध्यक्ष या हेड आफ डिपार्टमेंट के विरुद्ध होते हैं। कोई टेम्पोरेरी नियुक्ति कर देते हैं, तो कोई किसी ट्रान्सफर कर देते हैं। इस प्रकार की अनेक धांधलियें हुआ करती हैं। जिस समय आवेदन पत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है और वहीं पर दबा लिया जाता है। उन लोगों की आवाज ऊपर के अधिकारियों तक नहीं पहुँच पाती और यदि कभी आती होगी तो मैं समझता हूँ कि वह चलती नहीं और उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता।

आज एक बहुत बड़ी समस्या जो उनके सामने है वह अर्थ की है। उनके सामने आर्थिक कठिनाई मुंह बाये खड़ी है और ऐसी हालत में भी उन लोगों का जो बहुत कम वेतन पाते हैं, स्थानान्तरण एक जगह से यानि एक जिले से दूसरे जिले में कर दिया जाता है। मुझे झालावाड़ के एक अमीन ने, जो मेरे मिलने वाले हैं, बताया कि उनका झालावाड़ से जैसलमेर तबादला किया गया है। आप ही देखिये कि अमीन को कितनी तनख्वाह मिलती है और इतनी कम तनख्वाह में वह क्या कर सकता है ? मगर आपस के द्वेष को लेकर ऐसा किया जाता है। वही अमीन पहले इन्सपेक्टर था और पार्टीबाजी के कारण ही उसको अमीन बना दिया गया। इस प्रकार की कई घटनाएं हैं। उन सब का उल्लेख करके मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता। मगर एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि जिस प्रकार मेरे एक माननीय सदस्य ने पहले कहा कि कांग्रेस सदस्यों पर एक प्रकार का व्हिप प्रसारित किया गया है जिसके अनुसार उन पर अपने मन के विचार

Page No.45

(श्री द्वारकाकृष्ण विजय)

प्रकट करने पर पाबन्दी लगी है, मैं समझता हूं कि वास्तव में ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। सदन के सभी लोगों का कर्तव्य है कि वे सच्ची बात को यहां पर रखें। हां, यह मैं नहीं चाहता कि वे किसी तरह से अपनी पार्टी के अनुशासन को भंग करें मगर साथ ही साथ यह भी कहूंगा कि वे इसको पार्टी में विचार के लिए रख कर इस पर विचार कर सकते हैं। इसके लिए वे पार्टी में बराबर लड़ सकते हैं और उन कर्मचारियों की आवाज को बुलन्द कर सकते हैं, जो यह आशा लगाये बैठे हैं कि हमारे प्रतिनिधि हमारी आवाज को बुलन्द करेंगे। आज कोई संकल्प विरोधी दल की ओर से रखा जाता है तो यह कहा जाता है कि इनको बोलने की आदत है, उनकी आवाज को दबाया जाता है; चाहे इस प्रकार के विचार उनके सही हों या गलत हों।

मैं आशा करता हूँ कि श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि छोटे कर्मचारियों के साथ नियुक्ति और ट्रान्सफर और प्रमोशन्स को लेकर, अनियमितताएं बरती जाती हैं उनको अवश्य दूर करें और मंत्रियों के द्वारा जो अनियमितताएं की जाती हैं उनको रोकने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की राय को कार्यान्वित करने की जरूरत है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हम इस सम्बन्ध में एक निष्पक्ष समिति का निर्माण करें, जिसके पास इस प्रकार के प्रार्थनापत्र आवें और वह उनका निर्णय करें। इसलिए मैं प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यही कहूँगा कि इस समिति का अध्यक्ष किसी उच्च न्यायालय का जज हो जो अपने विचार निष्पक्ष रूप से प्रकट कर सके। इन बातों को सदन के समक्ष रखते हुए मैं आशा करता हूं कि जो प्रस्ताव रखा गया है उसकी पूर्ति करने में अपना मत देंगे तो उचित होगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय अध्यक्ष, मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ और साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर से जो राय आती है, कभी कभी उनकी राय के विरुद्ध भी ऐसे ऐसे समय आ जाते हैं कि काम करना पड़ता है और इस प्रकार उनकी रायों को डिपार्टमेंटों को बदलने का मौका कई बार आया है। हमारे श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसका घोर विरोध किया है। मैं भी आपसे यह निवेदन करूंगा कि मुझे भी पब्लिक सर्विस कमीशन में काम करने का थोड़ा सा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस समय गवर्नमेंट बदली थी उस समय के पहले मैं बराबर पब्लिक सर्विस कमीशन का, पांच वर्ष से ज्यादा समय तक, चेयरमैन रहा हूं और मैं खुद इस बात को जानता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन का कार्य कितना ऊंचा होता है और इसके लिए गवर्नमेंट को कितना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। दूसरी जगह जाने दीजिए। दसियों और बीसियों उदाहरण दिए गए। वह तो दुनियां के उदाहरण हैं, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा, खास करके उदयपुर और जोबनेर के एग्रीकल्चर कॉलेजों के वास्ते कि दसियों जगह ऐसी भरी गई हैं जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी शायद योग्य नहीं समझा होगा तब भी उनकी राय कायम न रह सकी होगी, और यहां के जो बहुत से अध्यापक और लेक्चरार हैं जिनको उदयपुर में ले लिया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : कहां के अध्यापक से आपका मतलब है ?

रावल श्री नरेन्द्र सिंह : जोबनेर के अध्यापक जो आपने उदयपुर में ले लिए हैं। इन अध्यापकों को यद्यपि आपने उदयपुर में ले लिया है उनके लिए मुझे निवेदन करना है कि उनके लिए यहां तक हुआ है कि जिनको योग्यता के लिहाज से पब्लिक सर्विस कमीशन ने ठीक नहीं समझा, मेरे ख्याल से उनको प्रोफेसर के बजाय किसी छोटे स्थान के लेक्चरार के लिए सिफारिश करने के भी योग्य नहीं समझा गया होगा, उन सबको पब्लिक सर्विस कमीशन की राय के विरुद्ध भी सर्विसेज के अन्दर लिया गया। यही भावना, यहां ही, इधर के ही नहीं दूसरी तरफ की पार्टी बैठी हुई है, उनको भी गवर्नमेंट के एक्शन के विरुद्ध असंतोष रहा है। वे विरुद्ध रहे हैं व इस हॉल में बीसों दफा असंतोष दिखाया गया है। तो मैं यह निवेदन करूं कि यहां की जनता महाकाल, महानट और महा विराट बराबर साक्षी है। इस सदन की भीतें, व प्लेटफॉर्म हैं। ये भीतें अगर इनके जुबान हो तो वह कह सकती हैं कि इन्होंने, कांग्रेसियों तक ने टूथ एण्ड नेल्स जोबनेर कॉलेज को बचाने के लिए बड़ा जबरदस्त प्रयास किया है।

१.०५ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन आज वे चाहते हुए भी विरोध नहीं कर सकते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत से आदमियों के हृदय पसीज रहे थे।

श्री मोतीलाल चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रस्ताव पर बोल रहे हैं या जोबनेर कॉलेज का इतिहास बता रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : There should be no inter-change of discussion please. मेरा ख्याल है कि आप धीरे धीरे उसकी तरफ आ जावेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह : यह इसलिए ऐसा हुआ है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मामले में जैसा कि प्रश्न आ रहा था उसके ऊपर निवेदन करने के लिए यह सवाल उठा था। कोई भी महानुभाव इस मामले को चेलेंज करेगा तो मैं इस मामले में अपनी राय देने के लिए खड़ा हूँ और मैंने इसका संकल्प किया है और मैं बल के साथ मेरी संस्था के अस्तित्व के लिए कहूँगा। श्री माधोपुर के महानुभाव ने प्रश्न उठाया है और इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसके ऊपर किसी भी महानुभाव की या राजकीय सत्ता की तरफ से कोई डिक्टेटरशिप हो, यह नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member in front of the Chair.

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है उसको तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली बात जो इस प्रस्ताव में कही गई है वह एक समिति बनाने की बात है, किसी न्याय विभाग के उच्च अधिकारी के आधीन एक समिति के निर्माण करने की बात है। दूसरी बात जो इसमें कही गई है वह इस समिति के कार्य के बारे में है, अगर किसी कर्मचारी की नियुक्ति के बारे में या स्थानान्तरण के बारे में या और किसी विषय में कोई आपत्ति हो तो वह इस समिति के समक्ष अपना आवेदनपत्र उपस्थित करेगा। अन्त में इसका उद्देश्य बतलाया गया है कि किस भावना से प्रेरित होकर और किस विचार को सामने रख कर माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव को सदन के सामने रखा है। वह भावना और वह उद्देश्य है सेवाओं को संरक्षण देने का।

(श्री रामेश्वरदयाल)

इन तीन बातों को लेकर यह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है। जहां तक सेवाओं को संरक्षण देने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि सरकार की यह नीति है और सरकार इस विचार से सहमत है कि सेवाओं को संरक्षण दिया जाना चाहिए। हमारे विधान में भी यह घोषित नीति है कि सेवाओं को संरक्षण दिया जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में विधान के अन्दर आवश्यक व्यवस्था की गई है। इसीलिए पब्लिक सर्विस कमीशन का निर्माण भी किया गया है कि जिससे सेवाओं को संरक्षण मिल सके।

अब प्रश्न सामने यह आता है कि क्या सेवाओं को संरक्षण नहीं मिलता ? क्या इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा होती है ? माननीय सदस्य ने पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आपत्ति उठाई थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जो सिफारिशें की जाती हैं उनको सरकार नहीं मानती है। अव्वल तो ऐसा कोई उदाहरण इस सदन के सामने नहीं लाया गया कि जिसके बारे में यह कहा जा सके कि सरकार ने उन सिफारिशों को नहीं माना और यदि ऐसा कोई उदाहरण भी है तो इस बात का हमारे पास अभी कोई सरकार की ओर से उत्तर नहीं है कि किन कारणों से उन सिफारिशों को सरकार ने नहीं माना है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाय कि पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश को नहीं माना जाता तो फिर प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या जो व्यवस्था प्रस्ताव के अन्दर इसके लिये बतलाई गई है उस व्यवस्था को लागू कर देने से राज्य-सेवाओं को संरक्षण मिल जायगा ? जहां तक संरक्षण देने का सवाल है मैं समझता हूं कि सेवाओं को संरक्षण देने के बहुत से साधन हैं और बहुत से नियम हैं। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से कई नियम भी बनाये गये हैं। यह भी आपत्ति उठाई गई कि विभागाध्यक्षों द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं उनमें पक्षपात किया जाता है और उनमें नियमों की अवहेलनाएं की जाती हैं। हो सकता है कि डिपार्टमेंटल हैड्स द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं, उनमें पक्षपात हो लेकिन उसकी खिलाफत करने के साधन हैं, असंतुष्ट और पीड़ित कर्मचारी को उसके खिलाफ आवाज उठाकर न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। जिस किसी के खिलाफ कोई अन्याय किया गया हो और अधिकारों पर कुठाराघात किया गया हो वह अगर चाहे तो इसके विरुद्ध अपील कर सकता है। अगर किसी विभागाध्यक्ष ने गलत ऑर्डर दिया है तो उसके खिलाफ अपील का प्रोवीजन है और अपील के अन्दर वह अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकता है। इसी प्रकार से अगर कोई और भी शिकायत की बात हो तो उसके खिलाफ भी नियमों के अन्दर चाराजोई करने की व्यवस्था रखी गई है। अगर किसी डिपार्टमेंट के अन्दर इस प्रकार के नियम नहीं हैं या इस प्रकार के साधन नहीं जुटाये गये हैं तो सरकार से यह कहा जा सकता है कि इस सम्बन्ध में वह आवश्यक नियम बनाये और इन सेवाओं के संरक्षण के लिए माकूल इन्तजाम किया जाय, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मौजूदा जो व्यवस्था है उसको बदल दिया जाय। फिर दूसरा सवाल यह सामने आता है कि वर्तमान व्यवस्था के बदलने से क्या राज्य सेवाओं को ज्यादा संरक्षण मिल सकेगा। जब यह कहा जाता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन अनियमितता करता है पब्लिक सर्विस कमीशन

Page No.48

नियुक्तियों के अन्दर पक्षपात करता है तो...

श्री भैरोंसिंह : On a point of information, Sir, मैंने ऐसा नहीं कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : Please resume your debate.

श्री रामेश्वरदयाल: (जारी) मेरा ख्याल ऐसा था कि आपने ऐसा कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो नियुक्तियां करता है वह सरकार से प्रभावित होकर करता है। अगर आपने ऐसा नहीं कहा है तो ठीक है। अगर किसी के साथ अनियमितता होती है अथवा बेजाब्तागियां होती हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम इस व्यवस्था को बदल कर दूसरी व्यवस्था पैदा कर दें। अगर इस प्रकार की अनियमितताओं की जांच के लिए समिति बनाई जायगी तो समिति के सदस्य भी, चाहे वे न्याय विभाग के हों अथवा अन्य कोई, वे भी गलतियां कर सकते हैं, वे भी नियमों की अवहेलना कर सकते हैं, वे भी पक्षपात कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रस्ताव को लाने के बजाय माननीय सदस्य अपनी शंकाओं और भय के निराकरण के लिए कोई दूसरी ठोस बात सोचते। आज आवश्यकता इस बात की है कि नैतिक स्तर को ऊंचा किया जाय। डिपार्टमेन्ट का हैड जो मानव है गलती कर सकता है, दूसरे अधिकारी भी गलती कर सकते हैं उन गलतियों को ठीक करने के लिए इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के बजाय और कोई व्यावहारिक बात गवर्नमेन्ट के सामने रखी जाती। मैं समझता हूं इस प्रकार किसी समिति को यह काम सौंपना अनावश्यक होगा और निरर्थक होगा। जब राज्य सेवाओं को पर्याप्त संरक्षण दिया जा चुका है और दिया जा रहा है और गवर्नमेंट की नीति भी ऐसी ही है तो ऐसी हालत में यह प्रस्ताव निरर्थक है, इसलिए मैं इसलिए इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मेरे माननीय मित्र श्री भैरोंसिंहजी ने सदन के सामने रखा है; मैं समझता हूं कि वह प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण प्रस्ताव है। मैं, प्रस्ताव के मूल में जो शुद्ध इरादा व्यक्त किया गया है, उससे प्रभावित हो सकता हूं। मैं यह नहीं कहता कि संकल्प का इरादा ठीक नहीं है। इरादा तो अच्छा है और राजस्थान की राज्य सेवाओं को तो यह बहुत आकर्षक प्रतीत हुआ होगा। अगर वास्तविकता को देखा जाय तो इस संकल्प को प्रस्तुत करने का आन्तरिक मकसद यह है कि राजस्थान राज्य सेवाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जाय। पौराणिक काल में इस प्रकार के आकर्षण की विद्या प्रचलित थी और मुझे तो बहुत खुशी है कि इस सदन के एक माननीय सदस्य ने उस विद्या को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। प्रत्येक दृष्टि से यह संकल्प असमीचीन और अव्यावहारिक है।

सब से बड़ी बात जो मैं इसके लिये कह सकता हूं वह यह है कि राज्य सेवाओं में जो आधारभूत अनुशासन का माद्दा होता है, जो राज्य सेवाओं की आधारभूत मर्यादा है उन सब मर्यादाओं के प्रतिकूल, परम्पराओं के प्रतिकूल यह प्रस्ताव है। लन्दन को यदि हम देखें तो हमें साफ मालूम होगा कि राज्य सेवाओं के लिये जो नियुक्तियां की जाती हैं उनके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक सर्विस कमीशन की परम्परा हमारे यहां नयी है। अभी जैसा कि एक माननीय मित्र ने कहा था वे भी पबलिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन

(श्री जनार्दनराय नागर)

रह चुके हैं, उनको भी इस पद का अनुभव है, यह बहुत अच्छी बात है। किन्तु उस समय के पब्लिक सर्विस कमीशन और आज के पब्लिक सर्विस कमीशन में स्थिति और स्थापत्य के बारे में बहुत अन्तर है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : On a point of order. Sir, मैं यह समझता हूँ कि कम्पेरिजन करना बड़ा कठिन है!

श्री उपाध्यक्ष : आपका पोइन्ट ऑफ आर्डर क्या है? Shir Nagar may resume the Debate.

श्री जनार्दनराय नागर : (जारी रखते हुए) माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां पब्लिक सर्विस कमीशन की परम्परा नवजात परम्परा है जिसका सम्बन्ध केवल राजस्थान से ही हो यह बात नहीं, इसका सम्बन्ध हमारे भारत के राजतन्त्र से है। केन्द्र में भी युनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी है। राज्यों में जो नियुक्तियां होती हैं वे सारी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होती हैं। अब यह दूसरी बात है कि कई राज्य सरकारें समय और स्थिति के अनुकूल कुछ अप्रासंग की वजह से किन्हीं सिफारिशों को जो पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की गई हों, सरकार माने या न माने। लेकिन फिर भी वृहद् राजस्थान के निर्माण के बाद परिस्थिति के अनुसार, जिनमें पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिफारिश की हो उन सिफारिशों को कम माना हो, यह बात नहीं है। मूलतः यदि देखा जाय तो पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य सेवाओं में उचित व्यक्तियों की नियुक्ति का कार्य करते हैं। उसके आगे राज्य सरकार के अधिकार में है कि वे उनकी नियुक्ति कर किसी भी स्थान पर स्थानान्तरण करें, किसी प्रकार से उनमें अनुशासन रखें, उनकी वृद्धि आदि करें, उन सेवाओं में ठीक तरह से इन बातों को प्रचारित करने का सारा जिम्मा, सारे अधिकार राज्य सरकार का है।

हमारे संविधान में भी राज्य कर्मचारियों को संरक्षण दिया गया है। उनके प्रति किसी प्रकार का अन्याय होता है वे आगे अदालतों में जा सकते हैं अपील कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इन अधिकारों से कम सहमत हूँ। सब से बड़ा संरक्षण हमारे संविधान में राज्य कर्मचारियों को दिया गया है। वे राज्यतन्त्र द्वारा हुई अनियमितताओं के बारे में, उनके प्रति हुए अन्याय के लिये अदालतों में जा सकते हैं और अपना केस एक नागरिक की तरह रख सकते हैं। राज्य सेवाओं का यह एक प्रकार से फन्डामेन्टल राइट मान लिया है। मैं समझता हूं, यह समिति बनाने का संकल्प यदि कार्य रूप में परिणित हो गया तो हर क्षेत्र में, हर विभाग में राजतंत्र के कार्य में हस्तक्षेप हो जायगा, जो दुर्भाग्य पूर्ण सिद्ध हो सकता है।

मान लीजिये एक अधिकारी की नियुक्ति के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिफारिश की, उसके बाद उसकी नियुक्ति हो गई और नियुक्ति के बाद में उस अधिकारी को यह अनुभव हो जाय कि राज्य के अमुक विभागाध्यक्ष द्वारा अन्याय किया गया; अगर अन्याय हो गया है, तो उसको दूर करने का एक तरीका है, जो राज्य सरकार के तरीके के अन्दर मौजूद है। बड़ी मोटी सारी पुस्तक इस बारे में है। राजकीय सेवाओं में काम करने वाले हर व्यक्ति उससे संरक्षण पाते हैं।

Page No.50

(श्री जनार्दनराय नागर)

अगर आप इस प्रकार के अधिकार ... देना चाहते हैं तो उस अधिकारी के उस समिति के पास जाने पर, वह कमेटी जिस विभागाध्यक्ष ने उसके प्रति अन्याय किया है उन अधिकारियों से सवाल जवाब पूछेगी। मैं तो यह समझता हूं कि इस प्रकार की कमेटियों के स्थापित करने से विक्षोभ अधिक पैदा होगा, इससे फायदा कर्मचारियों को पहुंचाया नहीं जा सकता।

हर सूरत में.......

श्री अर्जुनदास : On a point of order. I think nobody can cross the floor between the Chair and Speaker, but the hon'ble Minister is trying to do so.

श्री उपाध्यक्ष : Who has come!

श्री अर्जुनदास : The present Minister, Shri Nathuram Mirdha.

श्री उपाध्यक्ष : I have not noticed that. Mr. Nagar to resume his debate. The point of order has not been well taken.

श्री जनार्दनराय नागर : (जारी रखते हुए) मैं यह बता रहा था कि हर हालत में यह नहीं भूलना चाहिए कि राज्य-सेवाओं के निष्पक्ष होने और उनके अधिकारों के संरक्षण का जो उनको मूलभूत अधिकार मिला हुआ है उनका संरक्षण करना राज्य सरकार का मूलभूत अधिकार है। जो उनके इस मूलभूत अधिकारों को नहीं मानते मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि राजतंत्र के जो मूलभूत अधिकार हैं उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। यह इस बात का सुबूत है कि माननीय मित्र को जोश तो बहुत है किन्तु राज्यतंत्र का वास्तविक अनुभव कम है।

इसके अलावा मेरे एक मित्र ने यह भी कहा कि राज्य सेवाओं के मामलों में जो भी विचार व्यक्त करें वे बहुत सावधानी से करने चाहिए। अच्छा तो यह होता कि इस प्रकार का प्रस्ताव ही नहीं लाते। राज्य सेवाओं के मामले में किसी प्रकार का असन्तोष हो, अनियमितता हो, तो अन्य तरीके भी हैं जिनके द्वारा उस असन्तोष को दूर किया जा सकता है, उसमें कमी कर सकते हैं। लेकिन आज इस संकल्प के द्वारा सच्चे राजतंत्र के समुचित अधिकारों को समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। सरकार और पब्लिक सर्विस कमीशन के बीच में एक जांच कमीशन, एक प्रकार की अदालत सी कायम करना चाहते हैं। यह मुझे उचित नहीं लगा। इसलिये मैं कहता हूँ कि राजतंत्र को राजतंत्र के रूप में स्वीकार करना चाहिये।

कोई भी हुकूमत हो, आज कांग्रेस की है, कल दूसरे ग्रुप की आ सकती है, आखिर भारतवर्ष में हमने प्रजातन्त्र का एक अभिनव प्रयोग प्रारम्भ किया है और इसमें सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है कि राज्य सरकार को हम उसके राज्य संचालन में सच्चा सहयोग दें, सही सहयोग की भावना व्यक्त करें, पर इसके विपरीत हम केवल जोश में आकर, केवल इसलिये कि कुछ सर्विसेज के प्रोमोशन के मामलों में गड़बड़ियां हो जाती हैं, कुछ पक्षपात हो जाता है, और इसी तरह की कुछ छोटी-मोटी बातें हो जाती हैं, हम राजतंत्र के के इतने बड़े अधिकारों को हथियाने का प्रयत्न करना चाहें, यह उचित नहीं। मैं माननीय सदस्यों को दूसरी दृष्टि से विचारने के लिये

(श्री जनार्दनराय नागर)

प्रेरित करता हूं। आज मान लीजिये कांग्रेस की हुकूमत है, कल वह नहीं है, आपकी आ सकती है, किसी दूसरे की आ सकती है, तब वही बात उनके लिये, आपके लिये भी हानिकारक हो सकती है। तो यह कितनी अपने सद् इरादों को कार्यान्वित करने में बाधक है? इसलिये मैं कहना चाहूँगा कि राजतंत्र के मूलभूत सिद्धान्तों को, विज्ञान की दृष्टि से जो प्रशासन के प्रयोग की अवस्था में विकसित किया जा रहा है, उसमें हमें बाधक नहीं सहायक बन कर अपने कर्तव्यपालन का परिचय देना चाहिये। फिर ऐसा भी बिलकुल नहीं है कि यह बिलकुल ही अभिनव प्रयोग ही हो। सौभाग्य से भारत-भूमि बड़ी है। वह अधिकांश में विविध राज्यों में संगठित है, वहां कुछ परम्पराएं स्थापित हुई हैं, केन्द्र की भी परम्पराएं जम गई हैं। तो ऐसी अवस्था में इस राजतन्त्र के जो मूल घटक हैं, इसकी प्रणालियां हैं, उत्तम परम्पराएं हैं, धीरे धीरे स्वीकृति हुई परम्पराएं हैं उनको हमें मानकर चलना पड़ेगा। हम और आप बीमार पड़ते हैं, उपचार भी कराते हैं पर फिर बीमार पड़ते हैं। तो इसी तरह से जहाँ जहां राजतंत्र है वहां कुछ न कुछ समस्याएं समय समय पर आती रहेंगी। हम पब्लिक सर्विस कमीशन को आज नहीं मानना चाहते जो उन समस्याओं का हल निकालता रहता है। होना तो यह चाहिये कि इसकी तटस्थता को, उसके विवेक पूर्ण निर्णय को, उसकी सिफारिश को स्वीकार करने की कोशिश करते। यदि इस प्रकार की कोशिश मेरे मित्र करते तो मैं और मेरे इधर बैठने वाले अन्य साथी उनका साथ दे सकते थे। पर आज वे इस प्रस्ताव के द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन को भी गौण करने का इरादा रखते हैं, यह मैं उचित नहीं मानता। उनको तो साहस के साथ यह कहना कि चाहिये था राज्य में जहां तक नियुक्तियों का सवाल है, उनको तरक्की देने, न देने, स्थानान्तरण करने, न करने का सवाल है पब्लिक सर्विस कमीशन की राय प्रथम है। मैं मानता हूँ, हमें जितना ध्यान उसकी राय को महत्व देने की तरफ देना चाहिये उससे कम दिया है। पर आज दो-ढाई साल से राजस्थान सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया है। मैं सरकार की वकालत नहीं कर रहा हूं कोई यह कर। पर वस्तुस्थिति यह है, जिसको मैं बता देना अपना कर्तव्य समझता हूं। वृहत् राजस्थान के सवाल के बाद दो–तीन साल गुजरे। राज्य सेवाओं को अकारण क्षेत्रीय भावनाओं में आकर छेड़ा गया इसके कई अनुभव हमारे सामने आये। इसमें लोगों के साथ पक्षपात के कई मामले भी हमारे सामने आये, यह सही है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता, और उन्हीं केसेज को राज्य सरकार ने हार्ड केसेज कहा है। आज भी कई लोगों के आवेदन पत्र निर्णयार्थ पड़े हैं। यह सब वस्तुस्थिति है, यह मैं मानता हूं और मैं यह भी.......

श्री नरेन्द्रसिंह : आन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर सर, मैं यह कहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि पहले के मंत्री मण्डल....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया मुझे सुनें। पोइन्ट आफ आर्डर क्या है, इसको कहिए?

श्री नरेन्द्रसिंह : जो मन्त्रीमण्डल पहले वाला यहां मौजूद नहीं है तो उसके बारे में कोई बात यहां कहना आवश्यक नहीं है।

Page No.52

श्री जनार्दनराय नागर : Mr. Dy. Speaker, I am being interrupted without any reason.

श्री उपाध्यक्ष : Yes. you have got the possession of the floor.

श्री जनार्दनराय नागर : I am sorry, Mr. Dy. Speaker. I am being interrupted without any reason. तो मैं कह रहा था उपाध्यक्ष महोदय कि... मेरा सारा मामला ही चला गया।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं, अब सोच लें।

श्री जनार्दनराय नागर : (जारी) सबसे बड़ी बात तो यह थी कि हमारे यहां पहले २४-२५ रियासतें थीं। उनके एकीकरण ने भी कई समस्याएं पैदा की। उनका सामना हमारा यह नवजात पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं कर सकता था, हमारी सरकार भी इन समस्याओं का अकेले सामना करने में असमर्थ थी। तो आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि हम और हमारा यह प्रदेश एक ऐतिहासिक दौर से गुजरा था। सारे भारत में और जो राज्य थे उनमें और हमारे यहां की स्टेट में बहुत अन्तर था। हमारे यहां सामन्ती शासन था। उसको धीरे धीरे समाप्त करके हमने एक जनतन्त्र प्रणाली को प्रतिष्ठापित किया है, २४-२५ रियासतों को समाप्त किया है। तो राजस्थान बनने के बाद भी राजस्थान के अन्दर जो पहले विभिन्न रियासतें थीं उनका राजनैतिक अस्तित्व जरूर समाप्त हो चुका था पर फिर भी वे विभिन्न रियासतें जीवित थीं हमारे मनों में, दिलों में जीवित थीं और इसके कारण सेवाओं के एकीकरण में, उनकी नियुक्तियों में, उनके प्रमोशन में, और उनको उचित संरक्षण देने में अनेक समस्याएं पैदा हुईं। इससे मैं इन्कार नहीं करता, कोई भी नहीं कर सकता। पर मैं यह भी मानता हूं कि हमारे इस पब्लिक सर्विस कमीशन ने और राजस्थान सरकार ने भी धीरे धीरे, गलतियां करते हुए भी, उनसे कुछ सीखते हुए भी, अच्छा काम किया है और गये दो सालों से तो जहां तक एकीकरण का सवाल है बहुत से मामले हल हो चुके हैं। इतनी बड़ी समस्याओं को हल करना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं, पर उस खेल को भी धीरे धीरे कुछ गलतियों के साथ खेल लिया गया है।

इसके बावजूद भी आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं एक तरह के, तो मैं भी दे सकता हूँ जिसमें शिकायतों का मौका मिल सकता है। पर मेरा यह कहना है कि हम उनमें न जाकर मूल में जायेंगे तो आप स्वयं यह मान लेंगे कि पब्लिक सर्विस के समानान्तर सरकार के अधिकारों के बारे में भी कुछ स्वीकृत परम्परायें हैं, राजस्थान ही में नहीं, अन्य राज्यों में भी ये परम्पराएं हैं। तो हमें भी उन सब परम्पराओं को मान कर ही चलना पड़ेगा। इसलिये मैं अपने माननीय विरोधी पक्ष के सदस्य की भावना के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी यह मानता हूं कि यह प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें इसका विरोध करना चाहिये। अगर इसे स्वीकार किया जाता है तो मैं निश्चित तौर से कहता हूँ कि सर्विसेज में अनुशासन नहीं रहने वाला है। आज सर्विसेज़ में अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। इसके अभाव में आज राजतन्त्र में कागज ठीक तरह से नहीं निकल पाते, जनता की परेशानियों और कठिनाइयों में अभी कोई खास अन्तर नहीं आ पाया है। कई विशाल समस्याएं अभी हमारे सामने हैं

(श्री जनार्दनराय नागर)

जिनको सुलझाने के प्रयत्न में हम सब लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में इस समिति को कायम करके हम इन प्रयत्नों के मूल आधार पर ही चोट करेंगे, यह मेरी मान्यता है क्योंकि अगर यह समिति बनी तो राज्य का हर कर्मचारी यह मान कर चलेगा कि उसके साथ चाहे न्याय हुआ या नहीं हुआ; एक कहता है न्याय हुआ, दूसरा कहेगा नहीं हुआ तो वह उस समिति के सामने जावेगा। तो इससे किसी विभाग में भी अनुशासन कायम नहीं रह सकेगा और राजतन्त्र का जो विज्ञान जानते हैं, मैं समझता हूं मेरे मित्र भी अच्छी तरह जानते हैं, कि इतने विशाल परिवार में किसी एक-आध, दो-चार, दस-बीस के प्रति अन्याय हो सकता है, हमें लगता है कि अन्याय है, पर कुछ थोड़ा बहुत हमें व्यावहारिक बात भी मानकर चलना पड़ता है कि ऐसा होना असम्भव नहीं है और किसी के प्रति अभी अन्याय हो ही नहीं, यह भी सम्भव नहीं है। यह तो व्यावहारिक बात है, जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। हां, इसके लिए भी उस अन्याय को दूर करने के कई अन्य उपयुक्त रास्ते हैं। इसलिए मेरे दिमाग में खतरा यह है कि अगर हमने इस प्रस्ताव को माना तो इसकी वजह से तो एक व्यापक अनुशासनहीनता इन सर्विसेज में फैलने का हमारे सामने डर पैदा हो जावेगा।

दूसरी बात यह है कि....

श्री अर्जुनदास : Is there any time limit, Mr. Dy. Speaker ?

श्री उपाध्यक्ष : I am consicous of Rule 149.

श्री अर्जुनदास : He is being unduly lengthy.

श्री जनार्दनराय नागर : I am sorry, a reflection has been made on me.

श्री उपाध्यक्ष : Please resume your debate.

श्री नरेन्द्रसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट में आक्षेप हो रहे हैं। इस वास्ते मुझे कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : Please resume your debate.

श्री जनार्दनराय नागर : तो मैं यह कह रहा था कि हमें इस बात को बराबर देखना पड़ेगा कि अनुशासन का माद्दा हमारी सर्विसेज़ धीरे धीरे बढ़े।

समस्या क्या है ? कहा जाता है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रति अन्याय हो रहा है, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के प्रति अन्याय हो रहा है। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों के साथ होता है, या हो रहा होगा, हुआ होगा या हो सकेगा। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। हजारों कर्मचारी हैं जिनके लिए कोई यह नहीं कह सकता कि उन सबके साथ समान रूप से न्याय हुआ होगा या होता होगा। पर उन्हें हल करने का तरीका राजतंत्र में है कि नहीं, इसको देखना चाहिये और मेरा सोचना यह है कि वह सबसे बड़ा तरीका हमारे संविधान में निहित है। इसे हमने नहीं, हमारी लोक सभा ने इस तरह के संविधान के द्वारा सब के अधिकार मजबूती से स्थापित कर दिये हैं।

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य

Page No.54

(श्री जनार्दनराय नागर)

सेवाओं में आपस में भी तनाव है। आपने आइ. ए. एस. और स्थानीय सेवाओं का उदाहरण दिया। मुझे मालूम है इन दो वर्गों में आपस का तनाव है। राज्य सेवाओं में असन्तोष है और कुछ स्थितियों और अवस्थितियों की वजह से मतभेद भी हैं। इन तमाम को लेकर भी उपर्युक्त सुझाव, इसका कोई वास्तविक हल नहीं है। इसका तो एक ही हल है कि हम सब मिल कर पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रतिष्ठा को बढ़ावें। मैं सूचना के तौर पर कहना चाहता हूं कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन का बहुत आदर करते हैं और हम उस आदर को जारी रखना चाहते हैं, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आज यह अधिक आवश्यक है कि उसकी अच्छे से अच्छे स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़े. जनता में इसकी हम कोशिश करें। इसलिये कई अहम सवाल इसमें आते हैं। इसलिए दिल में यह मानते हुए भी कि प्रस्तावक महोदय की भावना बहुत ही सदाशयतापूर्ण है, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि राज्य कर्मचारियों को अपनी ओर आकर्षित करने का यह एक बहुत ही कुशलता पूर्वक ढूंढा गया तरीका है। मैं उनको इस कुशलता के लिए मुबारकबाद देता हूं। पर कई बातों को देखते हुए इस प्रस्ताव में एक सुनहरा खतरा है जिसकी ओर हम सबको ध्यान देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : I would liked to draw attention of the House to Rule 149. This is just to refresh the knowledge of this rule, so far as it concerns the check.

"Duration of speech--No speech on a resolution except with the permission of the Speaker, shall exceed fifteen minutes in duration :"

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय,... ....

श्री उपाध्यक्ष : Yes, the Hon'ble member on my left side.

श्री होतीलाल (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी अभी मेरे पूर्व वक्ता ने, उनसे पहले के पूर्ववक्ता ने, प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहा कि यह जो प्रस्ताव आया है वह महज आकर्षण की दृष्टि से आया है इसलिए कि सर्विसेज़ का आकर्षण दूसरी ओर हो जाय बजाय सरकार की ओर के। इसके लिए यह अर्ज करूंगा कि आकर्षण इस हाउस में उधर की ओर ज्यादा नजर आता है बजाय हमारी ओर के। लेकिन फिर भी वे अपने को नीरस समझते हैं, आकर्षित करने लायक नहीं समझते हैं, यह सवाल अलग है।

संविधान के बारे में कहा गया, कुछ नियमों के बारे में भी कहा गया। कानून समय समय पर बनते हैं लेकिन देखना यह पड़ता है कि उनका इम्प्लीमेन्टेशन किस तरीके से होता है, और उसका इन्टरप्रिटेशन किस तरीके में लाया जाता है। जो व्यवहार में चीज़ आती है उस चीज़ को लेकर अगर समझ के अनुसार उसका व्यवहार किया गया तो वह चीज़ चालू रहती है लेकिन कैसा ही अच्छा नियम हो अगर व्यवहार में सही तरीके से प्रयोग में नहीं लाया जाता है तो उसमें अमेन्डमेन्ट, बदलाव लाने पड़ते हैं। जहां तक नियमों में सर्विसेज़ के संरक्षण का सवाल है, जहां तक उनके अपील में जाने का सवाल है, जो संरक्षण के तरीके हैं वे संविधान में

Page No.55

(श्री होतीलाल)

मौजूद हैं, जो dismissal, suspension के तरीके हैं वे मौजूद हैं। लेकिन साथ साथ सर्विसेज में एक तरीका चलता है कि अगर एक छोटे कर्मचारी पर अन्याय होता है और सीनियर ऑफिसर उसको कोई सजा देता है तो डिसिप्लिन के नाम पर कोई अपील भी करे, कोई रिवीजन में भी जायं, तब भी डिसिप्लिन के नाम पर नीचे के अधिकारी के फैसले को ही बहाल रखा जाता है। इस प्रस्ताव का जो मैं मतलब समझ पाया हूं वह यह है कि नियमों का जो स्वतन्त्र रूप से इन्टरप्रिटेशन होना चाहिए, जो सही फैसला मिलना चाहिए वह आज नहीं मिल रहा है।

संविधान के बारे में कहा। मेरे से पूर्व वक्ता ने इस सम्बन्ध में कहा। मैं समझता हूँ कि जो आशय इस प्रस्ताव का है उसको वे टीक तरह से नहीं समझ पाये हैं और संविधान की जिस आर्टिकल को एप्लाई करना चाहिए, जो फन्डामेन्टल रूल्स हैं, उनका संरक्षण जिस आर्टिकल के तहत मिलता है वे उसको एप्लाई नहीं कर पाये। सस्पेन्शन, डिसिमसल किया जाता है तो उससे पहले चार्ज शीट देनी पड़ती है, इसका प्रोविजन कोन्स्टिट्युशन के अन्तर्गत है। लेकिन जहां तक सवाल है नम्बर काट कर, बाइपास कर दिया जाता है उसके लिए विधान में, कॉन्स्टिट्युशन में कोई प्रोविजन नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है। वह तो रूल्स के तहत ही देना पड़ता है। ये चीजें; स्थानान्तरण, तरक्की वगैरह की जो चीजें हैं, वे इस तरह की हैं कि जिनका संविधान से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके लिए यह तो जरूर मानना पड़ेगा कि एक तरीके का असंतोष सर्विसेज में है और वह असंतोष सर्विसेज में इसलिए है कि किसी को बाइपास किया गया, किसी को परेशान करने के लिए ट्रान्सफर किया, या किसी को किसी भाव से, किसी को किसी भाव से, इस असंतोष से बचाने के लिए यह प्रस्ताव आया है। मैं समझता हूँ, अगर सरकार को या सरकारी पक्ष को इसमें कोई एतराज हो कि इस तरीके का विरोधी दल से प्रस्ताव आया है, इस तरीके से इसको नहीं मानना चाहिए, अगर ऐसा महसूस करते हैं तो मैं समझता हूँ यही माना जायगा कि अगर इन सारी चीजों को हम सामने रख दें और सरकार कोई हल निकाल ले।

पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कहा। मैं कुछ कोटेशन्स दूंगा। अगर सरकार जांच करेगी तो सही उतरेंगे। अभी हाल ही में आर० ए० एस० की लिस्ट आउट हुई उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की लिस्ट में ७ और १४ नम्बर पर दो मुलाजिम थे, जिन्होंने कम्पीटिशन में भाग लिया और उसमें ७ और १४ नम्बर के या एक और नम्बर १७ हो सकता है, यह मुझे पूरा ध्यान नहीं है, उनका पहली पब्लिक सर्विस कमीशन की लिस्ट में नाम था और जब पी० एस० सी० से लिस्ट आउट होती है, आपको एक अचम्भा लगेगा कि कुल लिस्ट में ४२ थे, उनमें से ७, १४ या १७ नम्बर के मेरिट्स के हिसाब से थे तो पता लगाइये कि कितने इन्टेलीजेन्ट होने चाहिये, लेकिन जब लिस्ट आउट होती है तो बेचारे दोनों का नाम गायब होता है। आप अन्दाज लगाइये कि कौन से रूल्स के अन्तर्गत कहां जाय और अगर रूल्स हैं तो बार बार ऐसी चीज होती है, जब कोई चीज की भरमार हो जाती है तब उस वक्त एक

(श्री होतीलाल)

सनसनी पैदा हो जाती है । एक कुलबुलाहट लोगों में पैदा होती है कि कोई रेमेडी होनी चाहिए । नियम हमारे रहते हैं लेकिन ठीक तरह इस्तेमाल नहीं होते हैं तो नयी सूझ और खोज के लिए आदमी को विवश होना पड़ता है ।

इसके साथ साथ मैं आपको पुलिस महकमे की मिसाल देना चाहता हूं । करीब चार-पांच आदमी हैं जो सन् ४८—४६ से ५२ तक सब इन्सपेक्टर थे । उसके बाद इन्टीग्रेशन हुआ, सब कुछ हुआ, उनको इन्टरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया, यह सब इन्पेक्टरर्स का कसूर नहीं था, लेकिन उसके बाद सन् ५६ में आकर सब इन्सपेक्टर की पोस्ट से उनको डिग्रेड कर दिया । डी० आई० जी० पी० और आई० जी० पी० से आर्डर्स होते हैं. इन्टाग्रेशन में नहीं आये इसलिए डिग्रेड कर दिया गया । छः महीने परेशान होते हैं, डी० आई० जी० पी और आई० जी० पी० को दरख्वास्तें, रिविजन, अपील करते हुए और वह भी छुट्टी लेने के बाद । अन्दाज लगाइये, नियम वे ही हैं, माननीय सदस्य का कहने का भी मतलब यही था कि नियम हैं, लेकिन उनका पालन ठीक प्रकार से नहीं होता है और इस प्रकार छः महीनों तक परेशान होना पड़ा । बाद में जाकर उनके लिए ऑर्डर्स यही हुए कि ४८ से रिइन्स्टेट किया जाय । इसके साथ सरकार को उनको छः महीने की तनख्वाह और देनी पड़ी । राज्य का नुकसान हुआ और उन बेचारों को परेशान होना पड़ा । इस प्रकार नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं होता है या उनमें कोई कमी है इसलिए ऐसा सोचना पड़ता है ।

एक दूसरी चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं । एक पारथसिंह और दूसरा मुरारीलाल सब इन्सपेक्टर्स हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हम व्यक्तियों पर अधिक चर्चा कर रहे हैं । सिद्धान्तों पर ही विवाद उपयुक्त है, फिर जैसा आप समझें ।

श्री होतीलाल : रूल्स में गड़बड़ियां होती हैं, उनको सामने रखेंगे तब ही बदलने में हम कामयाब हो सकेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : The principle is that measues are to be discussed in the Assembly and not men. Here we are advocating tho cause of individuals in the Assembly though our time is very precious.

श्री होतीलाल : (जारी) यह मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि शायद जनरल में कोई बात कही जाय तो जवाब देते समय यह कहा जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर चीज नहीं कही गई और जनरल वे में अनियमितता का शब्द इस्तेमाल कर दिया गया, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है । इसलिये मैं आपके सामने उनके नाम रख रहा था ताकि उनको ट्रेस करें तो पता चले कि नियमों का पालन नहीं हुआ है ।

मैं अर्ज कर रहा था कि २ साल पहले एक बवन्डर उठा था । दोनों सब इन्सपेक्टर्स भरतपुर में थे । मेरा ख्याल है कि एक एडजोर्नमेन्ट मोशन भी इस सम्बन्ध में विधान सभा में पेश किया गया था । इस सम्बन्ध में जो इन्क्वायरी हुई उसका क्या हुआ, क्या न हुआ मैं नहीं जानता लेकिन

(श्री होतीलाल)

एक सब इन्सपेक्टर अब भी इन्सपेक्टर मौजूद हैं। एक इर्रेगुलेरिटी के कारण भ्रष्टाचार पनपता है, नियमों को बाइपास करके तरक्की दे दी जाती है।

इसी तरह के और भी कई उदाहरण मौजूद हैं। अभी हाल का एक किस्सा है। डी० आई० जी० पी० का अभी विज़ीट हुआ था। उनकी विजीट से सम्बन्धित एक बात पेश करूंगा। भरतपुर में ऐसे ऐसे आदमी मौजूद हैं जिनके बारे में डी० आइ० जी० का रिमार्क था कि इन पर्टिकुलर आदमियों को किसी थाने का चार्ज नहीं दिया जाय लेकिन किन्हीं पर्टिकुलर कारणों से कहिये या पक्षपात के कारण कहिये, वहां के एस. पी. ने उनके बारे में यह रिमार्क दिया कि पहले कोई खास बात हो गई थी इसलिये उनको चार्ज नहीं देने के लिये कहा गया था लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है इसलिये इनको किसी थाने का चार्ज देना चाहिये और उनको चार्ज दिया गया। आप अंदाज लगाइये, डी. आई. जी. के आॅर्डर को भी डिसरिगार्ड कर देते हैं। कौनसा नियम मानना चाहिये, कौनसा नहीं मानना चाहिये लेकिन इर्रेगुलेरिटी जरूर है। जो अनियमितताएं हैं उनको महसूस करके ही, मेरा जहां तक ख्याल है, प्रस्ताव रखा गया है। किसी चीज की अच्छाई को देखकर बुराई को दूर करना चाहिये, इस तरह की चीज आज होती है। इस प्रस्ताव की तहत एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया गया है वह ऐसी बात नहीं है जिससे कि सरकार डर जाय कि वह सरकार की सोवरिन्टी पर असर करती है। यदि कोई ऐसा ख्याल है कि सरकारी काबू से चीज निकल जायगी ऐसा डर हो तो मैं समझता हूं ऐसी कोई चीज नहीं होगी। क्योंकि जहां तक इस प्रस्ताव में रखा है यह कमेटी न्यायविभाग के किसी उच्चाधिकार के आधीन होगी। लेकिन इससे यह नहीं होगा कि वह सरकार के नियंत्रण के बाहर हो जाय, ऐसा आशय प्रस्ताव का नहीं है और यदि सरकार को कोई प्रेक्टिकल डिफिकल्टी इस कमीशन या कमेटी को बनाने में आती है तो मैं समझता हूं उन प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज़ को निकाल कर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की सहूलियत को देखकर यदि कोई दूसरा मार्ग निकल सके और यह तरीका निकल सके जिससे कि छोटे कर्मचारी धाँधली से बच सकें ऐसा कोई तरीका अपनी परिस्थिति के अनुकूल सरकार रखे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव है उसमें जो सुझाव रखा गया है कि तरक्की वगैरह, के लिये जो गैरइन्साफ होता है उसको रोकने के लिये एक न्यायाधीश को लेकर एक कमेटी बनाइ जाय और उसका फैसला लेकर प्रोमोशन, तरक्की वगैरह में जो कुछ अन्याय हुआ है या होता है उसको हल किया जाय। मैं समझता हूं, यह जो प्रस्ताव है वह व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से कोई भी सरकार या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी एग्ज़ीक्युटिव बोडी अपना काम नहीं चला सकती जब तक उनके जो एम्पलोईज़ होते हैं, मुलाजिम होते हैं उनका प्रमोशन करना, नियुक्ति करना या तरक्की करने का पूरा अधिकार उनके हाथ में न हो। यह जब तक नहीं होता है तब तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन

(श्री होतीलाल)

एफिशियेन्टली चल नहीं सकता । लेकिन साथ साथ हम मानते हैं कि यह प्रस्ताव अव्यवहारिक है । लेकिन साथ साथ इसके फंडामेन्टल में, इसकी तह में जो चीज है उसको भी हमें नोट करना है। मैं समझता हूं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या संस्था चल नहीं सकती जो उस एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत मुलाजिम हैं, उनके दिल में नौकरी के लिये, तरक्की के लिये व और सब बातों के लिये वह सिक्योरिटी महसूस न करे। यहां जो सर्विसेज़ हैं उनके दिल में, उनके मन में जो सिक्योरिटी की भावना पैदा न कर सकें और यह भावना पैदा न कर सकें कि उनके साथ इन्साफ होगा या गैर इन्साफ नहीं होगा, ऐसा न पता कर सकें तो भी हम एफिशियेन्टली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते । मैं कहना चाहता हूं कि प्रस्ताव अव्यवहारिक है, इसको मैं सपोर्ट नहीं कर सकता । हम कहते हैं कि इस प्रस्ताव को पास करने के बाद कोई भी सरकार हिन्दुस्तान में हो या विदेश में हो, चल नहीं सकती । लेकिन साथ ही साथ किसी भी पार्लियामेंन्ट को अपनी नींव मजबूत रखनी है तो उसको चाहिये कि उनके बारे में एग्जिक्यूटिव का लोगों के दिल में यकीन हो और जनता महसूस करे कि एग्जिक्यूटिव इन्साफ से काम करती है । आज जो यहां पर यह प्रस्ताव आता है वह इस बात का द्योतक है कि कुछ हमारे सरकारी मुलाजिम हैं या पब्लिक है, उसके दिल में शक है कि उनको इन्साफ नहीं मिलेगा । इसके लिये हमारी सरकार की तरफ से भरसक कोशिश करना चाहिये कि इस भावना को वह खत्म कर दे क्योंकि हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी में नीयत और भावना तोली जाती है ।

इस प्रस्ताव को पेश करते हुए मूवर ने जो दो-चार इन्सटान्सेज़ दी हैं मैं चाहता हूं कि उनके बारे में हमारे चीफ मिनिस्टर उसकी जांच करें और जो बातें बताई हैं यदि हूँ वे वैसी ही हैं तो मैं मानता कि किसी भी सरकार के लिये यह शर्मनाक बात है । लेडी हेल्थ विज़ीटर की बात शर्मनाक है । यदि प्रिन्सिपल मेडिकल ऑफिसर इस तरह की बात करता है तो वह प्रिन्सिपल मेडिकल ऑफिसर के पद पर रहने के काबिल नहीं है । मैं कहूंगा कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर नहीं रखना चाहिये, उसको सर्जन बना दिया जाय । जो आदमी १ बजे लिखता है कि यह पागल है और ३ बजे लिखता है कि यह सेन हो (sane) गया है तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इस पोस्ट के काबिल नहीं होता । जो इतना अस्थिर मत होता है ऐसा आदमी यदि इस पोस्ट पर होगा तो वह हमारे एडमिनिस्टेशन को बदनाम करेगा ।

मैं कहता हूं कि यह प्रस्ताव अव्यवहारिक है लेकिन साथ ही साथ जिन परिस्थितियों की वजह से प्रस्ताव आता है उन परिस्थितियों को दूर करना चाहिये । इसके लिये एलर्ट होना चाहिये, यह देखने की बात है एग्जिक्यूटिव के लिये ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ नियुक्तियों के बारे में, तरक्कियों के बारे में, ट्रान्सफर्स के बारे में । मैं जानता हूं कि छोटी छोटी तनख्वाह पाने वालों को दूर दूर ट्रान्सफर करते हैं । जिनको ४० रुपया तनख्वाह मिलती है

(श्री होतीलाल)

उनकी ट्रान्सफर की हद सारे राजस्थान में है, जयपुर से जैसलमेर भेज दिये जाते हैं। मैं समझता हूं ऐसा कानून बनाना चाहिये जिसके अनुसार ४० रु० पानेवालों की ट्रान्सफर ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिये। यदि ४०-४५ रुपये पाने वाले आदमी का घर से ३०० मील दूर ट्रान्सफर कर दिया जाय, उसके घर का भी इन्तजाम नहीं हो पाता है, उसके बाल बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, इसके लिये सरकार को विचार करना चाहिये।

दूसरी बात तरक्की के सम्बन्ध में कही गई। मैं जानता हूं कि इन्टीग्रेशन के बाद से आज तक बहुत डिपार्टमेंट्स में ज्यादातर लोगों का फिक्सेशन नहीं हो पाया है, नेशनल-लाइजेशन ऑफ पे स्केल्स के कारण एरियर्स का पेमेंट नहीं हुआ हैं। डिपार्टमेंट्स की तरफ से दूसरे डिपार्टमेंट्स की जानकारी के लिये इन्स्ट्रक्शन भेजते हैं कि नीचे के अधिकारियों का जो फिक्सेशन नहीं कर पाये हैं, तनख्वाह के जो एरियर्स हैं, उनको पूरा करने की कोशिश की जाय। तनख्वाह के लिए जो बिल बना कर भेजे जाते हैं, वे एकाउन्ट्स आफिस से रिजेक्ट होकर आये हैं। इससे मालूम होता है कि इन्स्ट्रक्शन देते हैं वे इन-कम्प्लीट होते हैं। मैंने देखा है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सेवकों का इन्टीग्रेशन होता है, अलग अलग सर्विस इकट्ठी करते हैं, तो फिक्सेशन वगैरह के लिए फोर्म बना कर भेजते हैं। लेकिन यहां इन्टीग्रेशन हुआ है, लेकिन कोई फोर्म नहीं बनाये गये कि डिफ्रेन्ट स्केल्स में फिक्सेशन होना चाहिये, वह किस तरह से होना चाहिये, पे स्केल्स में किस तरह से फिक्सेशन होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि फिक्सेशन एक सिद्धान्त से हो सकता है। इसके अलावा दूसरी बात और है कि एरियर्स के पे बिल बनाने में जो दिक्कत होती है, उसका कारण यह है कि नीचे के महकमें हैं, नीचे के ऑफिस हैं, उनमें जो लोग काम करते है, जो क्लर्क्स हैं, उनको एकाउन्ट्स की ट्रेनिंग नहीं मिलती है। जो क्लर्क बिल सेक्शन में, पे बिल सेक्शन में काम करते हैं, जो फिक्सेशन क्लर्क का काम करते हैं, उनको सरकार इस काम की ट्रेनिंग दे और एकाउन्ट्स ऑफिस में एक-दो क्लर्क को भेज कर उन सब बातों की ट्रेनिंग दिलाई जाय। इससे फिक्सेशन और पे के एरिया का झगड़ा है, वह खत्म हो सकता है। इतना कहते हुये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमदास।

श्री अर्जुनदास : May I draw your attention to Rule 231, Sir. looking to the agenda before the House to-day I think it will be worth-while for the Deputy Speaker to take action under Rule 231. We have given full time for it, therwise we can probably go through it.

श्री उपाध्यक्ष : "whenever the debate on any motion in connection with a Bill or on any other motion becomes unduly protracted the Speaker may, after taking the sense of the House, fix time limit for the conclusion of discussion on any stage or all stages of the Bill or the motion, as the case may be." क्या सदन की अनुमति है इस सम्बन्ध

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह

(श्री भैरोंसिंह)

मसला इस तरह का है कि इस मसले के ऊपर, मैं चाहता हूँ सदन के काफी सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, इसलिए यदि इस सम्बन्ध में समय की पाबन्दी न लगाई जाय, तो अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री): इसीलिए तो सदन से पूछ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Are there more objections about this?

श्री भैरोंसिंह : अब मुक्तिलालजी मोदी बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : समय की पाबन्दी लगा दी जाय, इस सम्बन्ध में किसी को आपत्ति तो नहीं ?

एक माननीय सदस्य : पाबन्दी का सवाल नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, पाबन्दी नहीं लगाई जाय।

श्री उपाध्यक्ष : I drop the issue. Mr. Purushottam Lal.

श्री पुरुषोत्तमलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने प्रस्ताव यह है :

'इस सदन की सम्मति है कि सरकार एक उच्चस्तरीय समिति न्याय विभाग के एक उच्चाधिकारी के अधीन नियुक्त करे जिसके समक्ष सरकारी कर्मचारी अपनी नियुक्ति, तरक्की, स्थानान्तरण........"

श्री उपाध्यक्ष : It is there on the record.

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, इसमें यह बताया गया है "नियुक्ति, तरक्की, स्थानान्तरण व तनख्वाह आदि में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उचित संरक्षण प्राप्त कर सकें।" मैं प्रार्थना करूंगा कि यह प्रस्ताव दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो यह कि आज से पहले जो अनियमितताएं हुई हैं और दूसरी जो आगे होने वाली हैं उनके लिये जो पहले अनियमितताएं हुई हैं, उनके लिए आवेदन पत्र अब फिर लिये जायं, तो मैं समझूंगा कि जो सारे राज्य का ढांचा है और जो फिक्सेशन अभी तक हो चुके हैं, वह अस्त-व्यस्त हो जायेंगे, क्योंकि इस प्रस्ताव में यह बताया गया नहीं है कि आज से आगे होने वाली अनियमितताओं के लिए यह है ; पिछली अनियमितताओं के लिये ही इस प्रस्ताव में "हुई" शब्द शामिल किया गया है। इसलिये जहां तक पिछली नियुक्ति, तरक्की, स्थानान्तरण व फिक्सेशन का सवाल है, यदि उसके बारे में कोई समिति कायम की जाय तो और भी उलझनें पैदा हो जायेंगी और हमारी जो सरकारी व्यवस्था जमी है, वह कुल अस्त-व्यस्त हो जायगी। इसके अलावा आगे होने वाली अनियमितताओं के बारे में अगर इस प्रस्ताव को मंजूर किया जाय तो मैं अपने विचार उसके लिए भी प्रगट करना चाहता हूं कि आगे जो अनियमितताएं होने वाली हैं, उनके लिए समिति कायम की जाती है, तो मेरा विचार है कि जब हमारे यहां पब्लिक सर्विस कमीशन पहले से ही है और सब ही डिपार्टमेंटों में इन सब बातों के लिये नियम मौजूद हैं जैसा कि हमारे प्रति-पक्षी सदस्यों की तरफ से स्वीकार करके कहा गया है, कि

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

इन सबके लिये नियम भी हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन अपना जो फैसला देता है, उस फैसले की और जो नियम है उनकी तामील पूरी तरह सरकार द्वारा नहीं होती। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करता हूं कि एक तरफ तो प्रतिपक्षी सदस्य कहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की आज्ञाओं की और नियमों की तामील नहीं होती, इसलिये ही एक समिति कायम की जाय और दूसरी तरफ ये ही कहते हैं कि प्रशासनिक खर्चा कम किया जाय। मैं समझता हूँ कि इस तरह की समिति कायम करके प्रशासनिक खर्चे को और बढ़ाया जायगा, न कि कम किया जायेगा। इस प्रकार ये दोनों बातें एक-दूसरे के विपरीत हैं। आप आज देखेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन है, वह २४ घन्टे तीसों दिन बराबर काम करते हैं, समिति केवल थोड़े दिन ही काम करेगी। ऐसी अवस्था में पब्लिक सर्विस कमीशन अच्छी नहीं है तो यह समिति कैसे अच्छी होगी? यदि, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य २४ घंटे काम करते हैं, उसी प्रकार यह समिति स्थाई कायम होगी तो उससे प्रशासनिक खर्चा बहुत तेजी से बढ़ जायेगा। मैं नहीं समझता कि जो साहब सदस्य मुकर्रर होंगे वे २४ घंटे ही हर रोज बैठ कर काम कर सकेंगे, जिससे मैं समझता हूं कि और भी जो व्यवस्था है उसमें भी गड़बड़ घोटाला होने की पूर्ण आशंका है, क्योंकि उनके पास हर रोज इस कार्य के लिये बैठने को, मीट करने को इतना समय नहीं होगा। इसलिए जैसा कहा जाता है कि इन सबके लिये नियम बने हुए हैं, लेकिन अधिकारी-गण उन नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते और केसेज का ६–६ महीने तक अधिकारी फैसला नहीं करते हैं, इसलिये समिति नियुक्त करने की आवश्यकता हुई है, लेकिन यह बात इस समिति से कैसे हो सकती है? इससे बहतर तो यह होता कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के अलावा यह प्रस्ताव इस सदन में लाते कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के आदेश हैं, उनका पूर्णतया पालन नहीं होता, उनका पूर्णरूप से पालन किया जाय, जो नियम हैं, उनमें ऐसे नियम जोड़ते कि हर मामले का २ महीने, एक महीने में निर्णय देने का आदेश होता और जो अपील और दर अपील हों, उनके ऊपर शीघ्र निर्णय हो। मैं मानता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो उदाहरण अभी सदन में पेश किया, अगर वह सही है तो वह सरकार के लिये अशोभनीय है। मैं नहीं कह सकता कि जो बात कही गई है वह दर असल सत्य है। इसके सत्य-असत्य का निर्णय तो मुख्य मन्त्रीजी के उत्तर के बाद विदित होगा। मैं आशा करूंगा कि जो माननीय सदस्य ने उदाहरण पेश किया है, यदि वह सच है तो ऐसे ऑफिसर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और उसे वही दण्ड देना चाहिये, जो उचित हो।

इसके अलावा फन्डामेन्टल राइट्स संविधान में निश्चित हैं। मैं समझता हूं कि यदि नियम के खिलाफ कोई काम सरकार द्वारा किया जाता है, तो उसके खिलाफ रिट दायर की जा सकती है, यदि कोई सरकार नियम के विरुद्ध काम करती है, तो उसके बारे में रिट हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब पब्लिक सर्विस कमीशन है, और इन सब बातों के नियम बने हुये हैं, तो मैं नहीं समझता कि एक और समिति कायम की जाय और प्रशासनिक

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

खर्चा जो पहले बढ़ा हुआ है उसे और बढ़ाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

२. म० प०

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा गया है और उसके प्रत्युत्तर में जो कुछ साथियों ने, खास तौर से उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति की है कि इस प्रस्ताव की मन्शा यह है कि कई इस प्रकार के न्यायालय हैं जहां जितने भी काम करने वाले सरकारी कर्मचारी, क्लर्क या दूसरे छोटे और बड़े कर्मचारी हैं, उनको अगर अपनी नियुक्ति, तरक्की या ट्रांसफर के बारे में दिक्कत हो, शिकायत हो तो वे इस प्रकार के न्यायालय में दर्खास्त करें और वह कोर्ट फैसला करे। सामने बैठे हुए माननीय सदस्य यही समझ कर विरोध कर रहे हैं, ऐसा उनकी बातों से प्रतीत होता है। मैं समझता हूँ शायद वे ऐसा ही समझते हैं, पर जिन माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है, उनकी मंशा जहां तक मैंने समझने की कोशिश की है, यह है कि राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को प्रोटेक्शन देने के लिये ऐसी समिति बने ताकि जो समय समय पर उनके साथ अन्याय हो जाते हैं, नौकरशाही के जरिये, ऊपर के अधिकारियों के जरिये या एक दूसरे के संघर्ष से अन्याय हो जाता है इसकी सुनवाई के लिए ऐसी समिति बनाई जाय, मैं समझता हूँ यह इस प्रस्ताव की मंशा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यह न कहे कि हर एक को न्याय मिले, हमारा विधान भी यही कहता है कि हर आदमी को न्याय मिले और न्याय मिलने के लिये जितनी सुविधा, जितने साधन दे सकें वे देने चाहिये। कम से कम खर्च से और कम से कम दिक्कतों से न्याय मिल सके, यह हमारा दृष्टिकोण है। छोटे से लेकर मोटे से मोटे कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है, यदि उनकी लिस्ट सरकार तैयार करे तो हजारों आदमी ऐसे निकलेंगे जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनको कोर्ट में जाकर अपनी शिकायत पेश करने में दिक्कत है। कोर्ट में जाकर शिकायत करने का हर एक को अधिकार है, पर इसकी भी आखिर एक सीमा रखी गई है जहां पर वे न्याय प्राप्त कर सकते हैं। पर वस्तु स्थिति क्या है, किन कारणों से न्याय नहीं मिल रहा है, इन सब चीजों को देखने के साथ ही साथ थोड़े खर्च में ही, सस्ते में ही उनको सहायता दे सकते हैं, इसके लिये समिति बनाई जाय और इसके लिये प्रस्ताव रखा जाय तो इसमें विरोध की क्या बात है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

हमारी सरकार सबको न्याय और सुविधा देने के लिए है। कुछ साथियों ने यह बात रखी कि खर्चा इससे ज़्यादा बढ़ेगा। प्रशासन के लिए खर्चा ज्यादा बढ़ता है तो उसके विरोध में कहा जाता है लेकिन यदि हर व्यक्ति को न्याय और सस्ता न्याय दिलाने के लिये खर्चा बढ़ता है तो इसका कौन विरोध करेगा ? हमारे राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के लिए कितना खर्चा करते हैं और हम खर्चा करते हैं वह भी दृष्टिकोण में रखना चाहिये। आज हजारों कर्मचारियों को कोर्ट तक अपनी बात पहुँचाने में कितना खर्चा होगा और वही बात इस प्रकार की समिति बनाने से थोड़े ही खर्च में हो जाय तो इसको मानने में, मैं तो समझता हूँ किसी

(श्री मुरलीधर व्यास)

भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे कर्मचारियों के साथ अन्याय हो जाता है और अगर वे इसके लिये शिकायत करते हैं तो कागज चालू हो जाते हैं परन्तु वर्षों तक उनके कागजों का जवाब नहीं मिलता और उसके सामने जो दिक्कतें हैं उनको चुपचाप सहन करते हुए बैठना पड़ता है। सैकड़ों छोटे कर्मचारियों के इस प्रकार के किस्से हैं। एक साधारण आदमी एक स्कूल में ७ साल से काम कर रहा था और प्रिंसिपल ने उसे हुक्म दे दिया कि तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। कारण यह बताया गया कि रात को घूमने गया तो देखा कि यह चौकीदारी का काम करता था, मैं लालटेन ले आया, यह सोता हुआ था, इसलिए इसको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। अब उसको अधिकार है कि वह कोर्ट में जाकर अपील करे, लेकिन न वह पढ़ा-लिखा है, न उसके पास पैसा है, न उसके पास खाने को है और कोई साधन है और न अपने बच्चों को खिला सकता है, फिर वह किस प्रकार अपील करे ?

एक उदाहरण, महारानी कॉलेज, बीकानेर में एक महिला अध्यापिका ७ साल से काम करती है, उसके साथ अन्याय हुआ है, उसको वेतन ठीक नहीं मिला, उसके विरोध स्वरूप वह ७ साल से तनख्वाह नहीं ले रही है, चिथड़े से कपड़े पहन कर कॉलेज आ जाती है और किसी तरह ट्यूशन करके अपना खर्चा चलाती है, उस महिला ने राष्ट्रपति से लेकर शायद मुख्य मंत्री के सामने भी अपना रिप्रेजेन्टेशन रखा है, पर उसे अभी तक न्याय नहीं मिला।

आज जैन कन्या पाठशाला में एक मास्टरनी बराबर ४ महीनों से स्कूल में जाती है, उसको निकाल दिया, हुक्म दिया कि तुम्हें नौकरी से अलग किया जाता है; कारण यह बताया कि उम्र अधिक है। उसने सारे कागज, जन्म कुन्डली तक रख दी पर इन्स्पेक्ट्रेस ने हुक्म दिया कि तुम बाहर बैठो, वह स्कूल में जाती है चपरासिन की तरह बैठ जाती है, हस्ताक्षर नहीं कर सकती, पढ़ा नहीं सकती, पर बैठी रहती है। अब वह कोर्ट में कैसे जा सकती है ?

इसी प्रकार छोटे छोटे कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ जानते नहीं हैं, उनके पास अगर हुक्म आ गया, नोटिस आ गया कि तुम्हारी नौकरी खत्म की जाती है तो वे बेचारे कैसे आगे कार्यवाही कर सकते हैं। तो छोटे २ कर्मचारियों के साथ इस प्रकार अन्याय होता है, उनके कागज रुक जाते हैं। इसी प्रकार हजारों कर्मचारियों के ट्रान्सफर, नियुक्ति, तरक्की या तनख्वाह के सम्बन्ध में गलतियां हो गई हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए उन्हें जयपुर आना पड़ता है। अगर मेरे कहने पर माननीय सदस्यों को विश्वास न हो तो वे खुद जांच कर सकते हैं कि बीकानेर से कितने कर्मचारी सेक्रेटेरियेट और अन्य दफ्तरों में आये हुये रहते हैं ? कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से दिला कर कागज निकलवाया है, इतनी दक्षिणा भगवान् को देनी पड़ी तब कहीं इतने समय के बाद काम हुआ है तो ये समस्यायें हैं आज उनके सामने। अगर बिना लिटिगेशन के इन्हें समाप्त करना चाहते हैं तो इस प्रकार की समिति बनाइये। आप गांव में लिटिगेशन समाप्त करना चाहते हैं तो जो लोग किसी तरह से अपनी छोटी सी जिंदगी बिताना चाहते हैं, उनसे यदि यह कहें कि अदालतों में जाओ तो यह न्याय संगत नहीं।

हमारी सरकार चाहती है कि हमारे

Page No.64

(श्री मुरलीधर व्यास)

जरिये काम होता रहे, और यह महसूस करती है कि छोटी सी चीजों के लिए हम पर आरोप लगाये जाते हैं, आरोप हजारों तरह के लगाए जा सकते हैं, जो आप पर आरोप आते हैं उनसे आपको बचाने के लिए कोई चीज आती है तो उसका विरोध क्यों किया जाता है? केवल विरोध करने के लिए विरोध किया जाय, ऐसी भावना जब तक आपकी बनी रहेगी तब तक आम लोगों की दिक्कतें जो आप और हम सब दूर करना चाहते हैं वे दूर नहीं कर सकेंगे। मेरे साथियों ने कहा कि व्हिप लगा दिया गया है। मैं इसमें विश्वास नहीं करता क्योंकि सदन में बहुत से ऐसे साथी हैं कि जो सोच समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि सदन के माननीय सदस्य इसकी मंशा को समझते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): माननीय उपाध्यक्ष, कभी कभी दुनिया में अपनी बात को रखने के लिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तरक्की की बात कही जाती है। यही एक तरीका है, लोगों को भुलावे में डालने का और कभी कभी ऐसा चित्र अंकित किया जाता है जिससे ऐसा मालूम होता है कि राजस्थान सरकार में सारी की सारी बातों के लिए धांधली हो रही है, अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहे हैं। इसको कहने के लिये कितने भी शब्द हैं वे सब काम में लिए जा सकते हैं, शब्द-कोष खत्म किया जा सकता है और कहने वाले कौन होते हैं जो वक्ता महोदय बोलते हैं कहते हैं कि हम उस विभाग में गये वहां हमको लोगों को प्रसाद भेंट करना पड़ा। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कौन लोग थे प्रसाद लेने वाले, वही तो सरकारी कर्मचारी जिनको आपने प्रसाद दिया। एक तरफ आप जानते हैं कि इतनी असमानता और अन्याय छाया हुआ है और दूसरी तरफ आप एक समिति के निर्माण किये जाने की बात कह रहे हैं। सख्ती करने के लिए आपके पास शब्द हैं, सरकार की आलोचना करने के लिये आपके पास शब्द हैं अफसरों को बढ़ावा देने के लिए आपके पास तरीके हैं, किसी चीज को रखने के तरीके आपके पास हैं आप यह तो जानते ही हैं कि एक छोटा-सा कर्मचारी सारी सरकारी मशीन का काम अपनी गलती से खत्म कर सकता है। मैंने देखा है कि छोटे से छोटे कर्मचारी ऐसी ऐसी गलतियें करते हैं और अगर ऑफिसर उनको नहीं निकालें तो कहां तक बर्दाश्त करें. मगर फिर भी मैं कहूंगा कि ओफिसर लोग उनको निकाल नहीं सकते क्योंकि कानून उनके हित में होता है और वह उनकी रक्षा करता है। इस कानून के कारण छोटे कर्मचारी की गलती से उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता और बड़ा भयंकर नुकसान हो जाता है। हमारे पाली जिले में एक बहुत बड़ा डाकू जिसने कई हत्यायें की थी एक छोटे कर्मचारी की गलती के कारण जेल से भाग निकला और वह उसमें इतनी बड़ी भयंकर भूल हुई कि उस डाकू ने जिसने कई हत्यायें की मुश्किल से हाथ आया था। भाग निकला। कानून के अनुसार उस कर्मचारी को चार्ज शीट देना पड़ा। जब उसके बयान यह होते हैं तो नतीजा यह होता है कि उसने अपने बयानों में बताया कि उसकी कोई गलती नहीं थी। मुकदमा चलाना पड़ा, इसका कारण क्या? इसका कारण यही कि आपके कानून इस प्रकार के हैं, जिसमें हर एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन दिया गया है। सबसे पहले उसको चार्ज दिया जाता है! मान लो कि एक पटवारी है अगर वह कुछ

(श्री मूलचन्द डागा)

गलती करता है तो उसको पहले चार्ज शीट दिया जाता है और वह पटवारी अपनी मदद के लिये वकील से सलाह-मश्विरा करके लाता है। इस पर अदालत में बहस होती है और उसके बाद अदालत से निर्णय होता है। अगर वह उस निर्णय से संतुष्ट न हो तो वह आगे अपील कर सकता है। इसके लिये अपील करने का मौका होता है। इतनी बात होते हुए भी आप एक समिति कायम करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहां कॉन्सटीट्युशन लागू है। संविधान के अन्तर्गत कोई भी आदमी अपील करके आगे जा सकता है और अपना न्याय हासिल कर सकता है। मैंने देखा है, कई मुकदमे होते हैं। हमारे संविधान में यह सबसे अच्छा अधिकार है, इन अधिकारों के कारण अधिकारी भी अपना निर्णय अच्छी तरह से सोच-समझ कर ही देते हैं। बहुत कम ऐसे होते होंगे जो न्याय का ध्यान नहीं रखते। मैं नहीं कहता कि सभी उचित ही फैसले देते हों, क्योंकि काबुल में क्या गधे नहीं होते? यदि कोई अधिकारी गलत ऑर्डर पास करते हैं तो उनके ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकती है, मगर इसके कारण हम इस प्रकार का चित्र खींचा करें। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपकी कमेटी से क्या होगा? आपने इस कमेटी की कोई रूप-रेखा नहीं बताई, इसका कोई प्रोग्राम नहीं बताया, इसके नियम और उप-नियम नहीं बताये। आपने एक बात बता दी कि किसी के खिलाफ अन्याय होगा तो वह प्रार्थना पत्र लेकर जायगा। वह प्रार्थना पत्र लेकर अभी भी जाता है और सरकार डिफेन्ड करती है। आप इस पर विचारिये। मैं यह कहूँगा कि एक बड़े सरकारी ऊच्च अधिकारी के नीचे काम करने वाला व्यक्ति उस अधिकारी की सिन्सियरिटी को चैलेंज करता है। समझ में नहीं आता किस आधार पर, केवल अपनी भावुकता के कारण बह जाता है। वह आकर आपसे कह देता है कि मुझसे मामूली गलती हुई, अफसरों को ऐसा नहीं करना चाहिये था। आप समझते हैं कि सब के सब फोर्थ क्लास के लोग विरोधी दल के पास आकर ही कहते हैं और अपने आंसू बहाते हैं और उनके आंसूओं की नदियों में आप बह जाते हैं। क्या आपने यह सोचा कि चतुर्थ क्लास या क्लर्क के द्वारा या ऑफिसरों के द्वारा कभी कभी ऐसी ऐसी असमानताएं होती हैं जिन पर भी कभी चोटें होती हैं, करारी चोटें खाते हैं। आप उन बातों को याद करिये कि अगर आप किसी कानून की रक्षा लेना चाहते हैं, कानून बना है उसके रक्षा के तरीके हैं। मैं यह बात मान कर चलता हूं कि जब कभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी किसी कारण हटाये जाते हैं, तो मैं यह मानता हूँ कि कुछ न कुछ गलती अवश्य होती है तभी तो हटाये जाते हैं। मगर चूंकि हम एक तरह की ही सुनते हैं, दूसरी तरफ की क्या बात है, हमें मालूम नहीं होती; यदि हम ऑफिसेज में जाकर पूछें तो हमें मालूम होगा कि असली बात क्या है? मैं नहीं कहता कि सभी केसेज ऐसे ही होंगे। कोई कोई जिन्युआइन केस भी हो सकता है। यदि आपको एक क्लर्क कहता है कि मैं बैठा बैठा ऑफिस में पत्र लिखता था, मेरे साथ अन्याय हुआ, मगर जब आप ऑफिसेज में जाते हैं और दर्याफ्त करते हैं तो आपको मालूम हो कि यह कारण नहीं, कारण कोई भिन्न ही था।

(विपक्ष की ओर के एक माननीय सदस्य द्वारा ऊंघने पर)

Page No.66

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member please on my left.

(एक माननीय सदस्य से) Will you kindly help him ? You will kindly observe the Rules of the docorum. Hon'ble member to resume his debate please.

श्री मूलचन्द डागा (जागी) : आप यह भी महसूस करें कि हम भी जनता के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अधिकारी विशेष के पास जाकर पूछें, हमारा भी फर्ज होता है कि वह वस्तु स्थिति की जांच करे।

तीसरी बात यह लिखी गई कि आवेदन-पत्र पेश करेंगे। एक व्यक्ति की बदली हो गई क्या, बदली होने के बाद आप टेम्पोरेरी इन्जक्शन निकालेंगे। किसी व्यक्ति की बदली हो चुकी है, वह कोर्ट से क्या उम्मीद करेगा ? क्या वहां से इन्जक्शन निकाला जावेगा ? आप किस तरह की कमेटी का निर्माण करना चाहते हैं ? एक कानून के होते हुए नई व्यवस्था कायम करना कानून को सही रूप में नहीं समझना है। जब कानून ही रक्षा करता है और कानून में उसकी रक्षा होने के बावजूद भी अगर कमेटी बनाएं तो मैं यही कहूँगा कि हम हमारे यहां पर बने हुए कानून की अवहेलना करना चाहते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : माननीय उपाध्यक्ष, यह जो दो नम्बर का संकल्प सदन के समक्ष कर्मचारियों को संरक्षण प्राप्त दिलाने सम्बन्धी आया है, उसका मैं विरोध करता हूँ। यह विरोध मैं इसलिये नहीं करता कि मैं सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, तरक्की स्थानान्तरण व तनख्वाह में होने वाली अनियमितताओं को उचित समझता हूं, या उनको किसी भी प्रकार की सहायता देना चाहता, बल्कि मैं विरोध यों करता हूं, उनको सहायता पहुँचाने के लिये उनको राहत दिलाने के लिये इसमें जो तजवीज बताई गई है, मैं समझता हूँ वे सर्वथा अनावश्यक हैं, विशेषतः इसलिये, कि इसमें जो जो भी आइटम्स बताये गये हैं, उसके लिये सरकार के द्वारा पहले ही से व्यवस्था मौजूद है। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति में होने वाली अनियमितताओं के लिये कई ऐसे साधन उस प्रकार के हैं जिनसे कि उनकी नियुक्ति में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो। मैं समझता हूँ, सरकारी कर्मचारी चाहे वह छोटा हो, चाहे बड़ा, सब की नियुक्ति होने के लिए कुछ नियम अवश्य बने हुए हैं, कुछ साधारण छोटे कर्मचारियों को छोड़ कर मैं समझता हूँ। कुछ छोटे कर्मचारी ऐसे हो सकते हैं, जिनकी टेम्पोरेरी नियुक्ति सरकार के विभाग के कोई अध्यक्ष या उच्च अधिकारी करते हैं। साधारणतया सभी व्यक्ति यदि छोटे होते है, तो कोई सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा उनका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन बोर्ड में कोई एक ही अधिकारी नहीं होता है, हो सकता है कभी कभी कोई एक ही अधिकारी हो, मगर आम तौर पर तीन या चार ऑफिसर अवश्य होते हैं। सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। इस बोर्ड में यदि कोई कर्मचारी नौकरी के लिए जाता है तो, सब के सब पक्षपात करते हों, यह बात मेरी समझ में नहीं आती और जो बड़े बड़े उच्च अधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं उनके लिए तो साधारण नियम हैं कि उनकी नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन ही करता है। यदि अनियमितता का चार्ज इन नियुक्ति करने

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

वाली संस्थाओं के ऊपर लगाया जा है, तो मैं समझता हूं कि शायद इन संस्थाओं के प्रति बड़ा अन्याय होगा पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रति बड़ा भारी अन्याय होगा, अगर उसके लिए यह कहा जाय कि उसमें अनियमितता बरती जाती है। अगर इस प्रकार का आरोप उस पर लगाया जायेगा तो इसका अर्थ यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो नियुक्तियां की जाती हैं, उनमें अनियमितता होती है और सलेक्शन बोर्ड द्वारा भी अनियमितता होती है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि सिलेक्शन बोर्ड राज्य सरकार कायम करती है, इसलिये यह कहा जा सकता है, कि राज्य सरकार कुछ ऐसे आदमी उसमें रखती हो, जो उनके ही हों। ऐसा होता तो नहीं है। बल्कि उसमें दो तीन विभागों के आदमी होते हैं और अधिकांश सिलेक्शन बोर्ड में पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से भी एक मेम्बर होता है। लेकिन जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन का ताल्लुक है, यह संस्था राज्य सरकार के अधीन नहीं है। उसमें नियुक्तियां भी भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्य सरकार का इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसलिए यह इल्जाम लगाना कि वह अनियमितता करती है और इस अनियमितता को दूर करने के लिए एक स्पेशल कमेटी और बनाई जाये, यह बात कोई उचित प्रतीत नहीं होती।

दूसरे यह भी चिन्ता प्रकट की गई है कि नियुक्तियों में अनियमितता होने के साथ २ तरक्की के सम्बन्ध में भी अनियमितता बरती जाती है। इसके संबन्ध में मैं जहां तक समझता हूँ, कि छोटे छोटे मुलाजिमों की तरक्की भी उनके ऊपर के अधिकारियों द्वारा ही की जाती हैं, और जब कभी भी उनको इस बात की शिकायत होती है कि उनके प्रति अन्याय किया जा रहा है, चाहे वह किसी भी कारण से अन्याय किया जा रहा हो, उसको अपील करने का अधिकार मिला हुआ है। मैं मानता हूँ कि कभी कोई पक्षपात किया भी जाता हो, मगर मैं यह नहीं मानता कि हर जगह ऐसा ही होता है, और ऐसा भी मैं नहीं मानता कि हर एक आदमी ऐसा हो। ऐसा कहना गलत है। कहीं कहीं एरर ऑफ जजमेंट भी होता है। तो उन कर्मचारियों के लिए एक दरवाजा खुला हुआ है, अपील का। आर० ए० एस० का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। मुझे याद है, मेरे पास ऐसे कई आफिसर आए हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि वे आर० ए० एस० में अपने आपको बहुत सीनियर समझते हैं परन्तु उनके साथ सैलेक्शन में गड़बड़ हुई है, उन्होंने नियमानुसार आवेदन पत्र भी भेजे हैं; एक दो के नहीं, बल्कि दसियों और बीसियों के आवेदन पत्र आए, और उन आवेदनपत्रों की जांच करने के लिए, सरकार ने कमेटी नियुक्ति की और उस कमेटी के सामने उन सबके मामले आये। उन सभी लोगों को पूरा मौका दिया गया, कि वह अपनी क्वालिफिकेशनें को देखते हुए, अपनी योग्यता को देखते हुए, अपने एक्सपीरियन्स को देखते हुए हर एक चीज को देखते हुए, अपनी सारी बातें उस कमेटी के सामने रख सकें। जब यह चीजें कमेटी के सामने आईं, उनके द्वारा जो भी शिकायतें की गईं, उनको दूर किया गया और उनको न्याय मिला। इसी प्रकार तरक्की का जहां तक सवाल है उसमें अनियमितता नहीं बरती गई है। इसके लिए सरकार की ओर से प्रावीजन है, प्रावधान है कि वह अपनी सीनियोरिटी डिटर्मिन कराने के

Page No.68

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

लिए यदि उसके प्रति कुछ भी अन्याय होता है, तो उस अवस्था में वह न्याय पाने के लिए, अपील कर सकता है ; इन अपीलों की सुनवाई होती है, इन पर गौर किया जाता है, फैसला होता है, और मैं समझता हूं कि अधिकांश लोग उसमें संतुष्ट ही होते हैं।

दूसरा ऐतराज इसमें स्थानान्तरण के लिए किया गया है, और कहा गया कि इसमें अनियमितता होती है। यह मामला जरा कुछ पेचीदा है। क्योंकि जहां तक स्थानान्तरण का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि शायद तीन चार कारण ऐसे होते हैं, कि जिनमें छोटे कर्मचारियों और उच्च अधिकारियों के स्थानान्तरण होते हैं। एक तो जहां तक मुझे स्मरण है राजस्थान सरकार का ऐसा नियम इसके विषय में है, कि एक कर्मचारी एक स्थान पर तीन वर्ष तक ही रह सकता है। अगर कोई कर्मचारी एक स्थान पर तीन वर्ष तक रहता है, तो उसका स्थानान्तरण स्वभावतः ही विभाग की ओर से होना चाहिये। फिर यह मानकर भी चलना चाहिए, कि किसी भी कारण से कुछ सही स्थान ऐसे होते हैं जो कि कर्मचारियों के लिए आकर्षक होते हैं। उदाहरण के लिए हर एक आदमी यह चाहता है, कि मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही रहूं। ऐसा सभी लोग समझते हैं कि वे जयपुर में आयें ; चाहे छोटे कर्मचारी यहां न आना चाहें, वह भी मंहगाई की वजह से यहां न रहना चाहें। कुछ डिविजनल हेडक्वार्टर्स में रहना चाहते हैं, और कुछ जिला तथा तहसीलों के सदर मुकामों में रहना चाहते हैं। तो ऐसे स्थानों पर जो भी कर्मचारी हैं, उनका तीन वर्ष के बाद भी स्थानान्तरण किया जाता है, तो यह स्वभाविक है कि अगर किसी आदमी का ऐसे स्थान से स्थानान्तरण किया जाता है जहां कि वह रहना पसंद करता है, चाहे उसको वहां रहते तीन वर्ष हो गए हों, फिर भी वह यही कहेगा, कि मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है, मेरे साथ अनियमितता बरती जा रही है और यह आदमी भी जिसका इस रूप में स्थानान्तरण कर दिया जायगा, वह भी उस कमेटी के सामने यह बात रखेगा कि मेरा स्थानान्तरण रोका जाय। मैं समझता हूं कि वह कमेटी ऐसे आवेदन-पत्र लेना उचित नहीं समझेगी। दूसरे ऐसा होता है कि कुछ कर्मचारियों से कुछ गलतियां भी होती हैं और कुछ अच्छे काम भी हो जाते हैं। पुलिस का एक छोटा अधिकारी किसी डाकू का पकड़ता है या कोई और बड़ा काम बहादुरी का करता है, तो उसकी पदोन्नति भी होती है। कभी कभी उसकी ओर से कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, अपने कार्य को ठीक तरह से न करने पर, तो उसकी पदोवनति होती है। ऐसी दशा में भी स्थानान्तरण होता है। तो ऐसी दशा में जब कि इन ग्राउन्ड्स पर उसका स्थानान्तरण होगा तो वह उसी कमेटी के सामने पहुंचेगा, कि साहब यह क्या किया जा रहा है ? कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी जो एक स्थान पर है, उसका स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक हो जाता है। लेकिन स्थानान्तरण इकतरफा नहीं हो सकता, यह हमेशा दुतर्फा होता है। एक आदमी जब अपने स्थान से दूसरी जगह जायगा; जैसे जयपुर से किसी आदमी का स्थानान्तरण करते हैं, तो स्वभावतः उसका स्थान लेने के लिये दूसरी जगह से दूसरा आदमी आयेगा। तो उस दूसरे आदमी का स्थानान्तरण उस जगह से किया जायगा। तो कई बार ऐसा होता है कि यह दोनों ही उस

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कमेटी के सामने शिकायत करने पहुंच जाते हैं। हां हो सकता है, कि वह आदमी शिकायत न करे, जो तरक्की पर जा रहा है, परन्तु दूसरा आदमी कहेगा कि उसका स्थानान्तरण क्यों किया जा रहा है, इसलिये वह कमेटी के सामने जायगा। इसलिये ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इनको देखते हुए, क्या नियुक्तियों की दृष्टि से, क्या तरक्कियों की दृष्टि से और क्या स्थानान्तरण की दृष्टि से, इस तरह की कमेटी का होना कोई खास मतलब नहीं रखता।

तनख्वाह का एक और मामला लिया गया। मैं समझता हूं कि शायद यह मामला इन दो तीन बातों में ही आ जाना चाहिये जो कि मैंने अभी प्रस्तुत की हैं। खास तौर से तरक्की और तनख्वाह में कोई खास अन्तर नहीं है। लेकिन ऐसा ही होता है कि तनख्वाह में जो वृद्धि होती है, उसी का नाम तरक्की है। लेकिन तनख्वाह में वृद्धि यदि होती है तो मैं समझता हूं कि आज कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि तनख्वाह में वृद्धि होने पर कोई शिकायत करे; लेकिन अगर तनख्वाह में कमी की जाती है तो मुझे विश्वास है और मेरा ऐसा विचार है कि जिसकी तनख्वाह में कमी की गई है उसके खिलाफ कोई न कोई चार्ज लगाया गया होगा, उसको सुनने का मौका दिया होगा और उसको सुनने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंच गया होगा। हम तो यह मानकर चलते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने भी सदस्य बैठते हैं वे बहुत ऊंचे दर्जे के होते हैं। लेकिन वे भी अनियमितता कर सकते हैं। विभागाध्यक्ष और जो दूसरे उच्चाधिकारी हैं वे भी अनियमितता कर सकते हैं, लेकिन वह जो एक सम्भावित कमेटी बनने जा रही है, उसमें जितने भी व्यक्ति होंगे, उनके लिये हम कैसे कह सकते हैं कि वह न किसी जात-पांत के होंगे, न पक्षपाती होंगे ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : प्रस्तावक महोदय हो सकते हैं।

(हंसी)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : हां, हो सकता है। अगर ये चीजें थोड़ी बहुत विद्यमान हैं, तो सरकार को इसका कोई न कोई हल निकालना चाहिए। यह मैं मानता हूं कि हल तो आज भी मौजूद है। हो सकता है, कि कुछ व्यक्तियों को उसका लाभ न मिलता हो। मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं, कि छोटे मुलाजिमों का और दूसरे मुलाजिमों का स्थानान्तरण इतनी दूर कर दिया जाता है, कि उनको अनेक दिक्कतों का सामना करना होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बतलाऊं कि धौलपुर या भरतपुर के आदमियों को बांसवाड़ा भेज दिया जाता है, और बांसवाड़ा में भी उनको भीलों के बीच में रखा जाता है, जो कि उनकी भाषाओं से बिलकुल ही अपरिचित होते हैं।

श्री सम्पतराम (उप मंत्री) : आप एन० ई० एस० ब्लॉक का जिक्र कर रहे होंगे ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं यह कह रहा था कि इसके लिए एक रेमेडी जरूर है।

श्री भैरोंसिंह : इस रेमेडी के लिए यह प्रस्ताव मैंने रखा है। जो आपको ख्याल हो रहा है, उसके लिए यह प्रस्ताव है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सरकार ने भी इस प्रकार के नियम बनाये हैं कि २५०

Page No.70

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

रुपये तक के वेतन पाने वाले को एक डिविजन से दूसरे डिविजन में नहीं भेजा जायगा। हां, जिले से बाहर न जायं मैं अवश्य ऐसा चाहता हूं, ऐसी चीजों पर अमल अवश्य किया जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों के लिये हमारे यहां कानून जरूर हैं ; जब उनकी घोषणा हो गई, सरकार का कर्तव्य है कि कर्मचारियों की असुविधाओं को दूर करे। लेकिन एक इस प्रकार की काल्पनिक चीज दिमाग में पैदा करना जिसमें कर्मचारियों की नियुक्ति, उनका स्थानान्तरण, उनकी तनख्वाह आदि अनियमितताओं को दूर करने के लिये एक और नया सुपर पब्लिक सर्विस कमीशन बना देना, मैं कतई उचित नहीं मानता। इस प्रकार की शिकायतें समिति के पास पहुँचे, यह प्रस्ताव नितान्त अनावश्यक और अनुचित है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और संकल्प-कर्त्ता महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इन सारी बातों को देखते हुए अपने संकल्प को वापिस लेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, भैरोसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है छोटे कर्मचारियों के लिये मैं उसका समर्थन करता हूं। जितने भी माननीय सदस्य इस बारे में बोले हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव क्या है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : राज्य कर्मचारियों को संरक्षण देने के लिये एक समिति बनायी जाय, इस प्रकार का प्रस्ताव है।

(हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं समझा वैसा बता दिया। उपाध्यक्ष जी, जितने भी मेरे माननीय सदस्य इस प्रस्ताव पर बोले वे ठीक हैं। इस प्रस्ताव के रखने का यह मतलब नहीं है कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं चाहते। पब्लिक सर्विस कमीशन को सरकार को रखना चाहिये, मैं इस बात को मानता हूं यह बोडी बहुत ऊंची बोडी है, यह सब लोग मानते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव का मतलब यह है कि जो कर्मचारी पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं जाते हैं, जिनका अपोइन्टमेंट हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट करते हैं उन कर्मचारियों के लिये एक ऐसी समिति की नियुक्ति राज्य सरकार को अवश्य करनी चाहिये। यह समिति यहीं पर हो, ऐसी बात नहीं। हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट में भी पब्लिक सर्विस कमीशन है और रेलवे का जो महकमा है उसके लिये भी अलग पब्लिक सर्विस कमीशन है। भारत सरकार का पब्लिक सर्विस कमीशन अलग है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो जागीरदारों के और ठिकानेदारों के स्कूल्स थे, उनके जितने अध्यापक थे उन कर्मचारियों को १५-१५ महीने हो गये किन्तु तनख्वाह नहीं मिली। उपाध्यक्ष महोदय, कोटपुतली ठिकाने का मैं किस्सा बताऊं। एक हरिजन को बीस महिने से तनख्वाह नहीं मिली है। वह हरिजन महिला बिचारी उस स्कूल में काम करती है उस पर भी बीस महिनों से उसको तनख्वाह नहीं मिली। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, वहां की चपरासिन को मास्टरानी से ज्यादा तनख्वाह मिलती है, अभी तक बिचारी मास्टरानी का फिक्सेशन नहीं हुआ। मुझे ये बातें कोटपुतली से आये हुए सदस्य ने बतलायीं, ऐसी हालत वहां की हो रही है।

माननीय उपाध्यक्षजी, पुलिस कर्म-

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

चारियों की भी एक लिस्ट मेरे पास है । इसमें ऐसे पुलिस कर्मचारी हैं जो सस्पेन्ड कर दिये गये हैं लेकिन उनको आठ महीने हो गये तनख्वाह नहीं दी जाती है....

श्री उपाध्यक्ष : आप उस लिस्ट को सदन की मेज पर रख दीजिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (जारी रखते हुए) : माननीय उपाध्यक्ष, यह जो चीजें हैं उसके लिये समिति जरूर बननी चाहिये । अगर इस बात को सरकार नहीं मानती है तो मैं कहूँगा कि यह अन्याय होगा । ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन में इन्टरव्यू के लिये नहीं जाते हैं, उनके लिये इस प्रकार की समिति का होना जरूरी है । जैसे हजारों मास्टर हैं, हजारों कम्पाउन्डर हैं, वैद्य हैं और उनके नीचे काम करने वाले कम्पाउन्डर हैं उनके लिये ऐसी समिति की नियुक्ति की जानी चाहिये । वहां इनका इन्टरव्यू लेकर सिलेक्शन कर इन डिपार्टमेंट्स में रखना चाहिये ।

इसके अलावा उपाध्यक्षजी, एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज की बात मैं आपसे कहूं । वहां कार्ड पाने के लिये लोग सुबह चार बजे से खड़े हो जाते हैं और रात को १२ बजे तक भी वे कार्ड नहीं ले पाते । नौकरी कब मिलेगी, यह बात तो दूर है । एक कार्ड के लिये सुबह से लेकर रात तक बैठे रहना पड़ता है और एक दिन में दस कार्ड से ज्यादा देते नहीं हैं महाराज । चार बजे से लोग पड़े रहते हैं उपाध्यक्ष महोदय, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं । यह हालत है । कई लोग मेरे पास आते है और कहते हैं कि उनको तीन रोज हो गये, कार्ड नहीं मिला । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार की समिति अवश्य बननी चाहिये । इस प्रस्ताव में ऐसी बात नहीं है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को खत्म कर दिया जाय, यह मैंने उनसे पूछ लिया है मैंने उनसे कह दिया था कि अगर इस प्रकार का प्रस्ताव है तो मैं समर्थन नहीं करूंगा, मैं तुमसे खिलाफत करूंगा, लेकिन उनका मकसद यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन तो जरूर रहना चाहिए । यदि उसकी सिफारिशों को सरकार नहीं मानती है तो मानना चाहिये । लेकिन जिन लोगों का इन्टरव्यु पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं होता, उनके लिए समिति नियुक्त करनी चाहिये । यह जरूर है कि उसमें सिफारिश भी हो सकती है । उसके अन्दर यह भी हो सकता है कि वे भी एक दूसरे पर दोषारोपण कर सकते हैं, उनके भी रिश्तेदार भाई वगैरह भी हो सकते हैं.......

श्री उपाध्यक्ष : समिति के अन्दर....

श्री मुक्तिलाल मोदी : सिफारिश हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट भी कर सकता है । कमेटी बनने पर भी चलेगी सिफारिश ही । इसके लिए कमेटी के पास भी कोई उपाय नहीं । जिस प्रकार पब्लिक सर्विस कमीशन की राय पर ऐतराज नहीं करते उसी तरह उसकी सिफारिश पर भी एतराज नहीं हो सकता ।

दूसरी चीज यह है कि जिनको बीस-बीस साल हो गये मिड वाइफ का काम करते वे भी हाउस वाइव्ज के नीचे हैं । जयपुर के जमाने में जिनकी सर्विस थी, उनकी दस-पन्द्रह साल की सर्विस होने पर भी उनको सर्विस से निकाल दिया गया, ये मिडवाइव्ज २०-२५ थी अब आठ और हैं । मैं जब होस्पिटल में बीमार था उस समय एक मिडवाइफ रोती

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

हुई मेरे पास आयी, उस समय हाउस इन्चार्ज जो था उसने उसको फटकारा कि तुम इनको क्या कहती हो, मेरी आत्मा को उसकी कहानी सुनकर बड़ा धक्का लगा। यह बात मैं पहले मिनिस्टर साहब को नहीं कह सका, यह मेरी गलती हुई। तो आज मुझे याद आ गया तो कह दिया। तो माननीय उपाध्यक्ष, इन छोटे कर्मचारियों के लिए यह समिति बना दी जावे। उनकी बीस-बीस साल की किन्हीं की सर्विस है पर फिर भी उनको बीस-तीस रुपये मिलते हैं, उनके दो-तीन बच्चे भी होंगे, बेचारे खुद भी होंगे।

(हंसी)

पर उन बिचारों की वही जयपुर के जमाने की पे अभी तक है। उनकी कोई सुनवाई नहीं........

श्री उपाध्यक्ष : आप तो तनख्वाहों पर आ गये हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं तो कह देता हूँ सब चीजें साहब

(हंसी)

वह तो जो दिमाग में आ जावे वही कह देता हूं मैं साहब।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : यह अमेरिकन फ्री स्टाइल है।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : और मेरे कुछ दोस्तों ने जिक्र किया कि फलां आदमी ऐसा है, वैसा है। मैं यह नहीं कहता। पर अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको तारीफ जरूर मिलनी चाहिये। अगर वह सरकार को अच्छा काम करके बताता है तो उससे जनता और सरकार दोनों का फायदा है और करप्शन दूर होता है और छोटा कर्मचारी कोई अच्छा काम करता है तो उसकी भी बड़ी तारीफ होती है। मैंने यह रशिया में देखा उपाध्यक्ष जी,

(हंसी)

कि छोटा कर्मचारी कोई काम करता है तो उसकी फोटो लगाई जाती है, अखबारों में उसकी सूचना निकलती है, उसको स्टालिन क्रोस मिलता है। तो यहां भी कोई कर्मचारी चाहे वह चपरासी हो, एल. डी. सी. हो, कोई हो अच्छा काम अगर करता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिये, इस हाउस में भी उसकी रिपोर्ट करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह तो ठीक है, विषयान्तर तो हो रहा हूं पर यह बताना जरूरी है।

(हंसी)

तो उपाध्यक्ष महोदय, यह समिति का मामला जो है, वह समिति जरूर बननी चाहिये और पी. एस. सी. जरूर रहनी चाहिए। सरकार उसकी कई बातों को नहीं मानती है तो मैं सरकार से कहता हूं कि उनको पब्लिक सर्विस कमीशन की बातें जरूर माननी चाहिये। इसकी बातों को टालना जनता के साथ और देश और प्रांत के साथ अन्याय होगा।

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

फिर इस समिति में ऐसा नही कि इधर के ही आदमी रक्खो, आप अपने इधर के लोग रख लीजिये, हममे से कोई कुछ नहीं कहेगा। पर समिति ऐसी जरूर होनी चाहिये और इसके लिये मै माननीय मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करूंगा कि अगर कोई ऐसी बात है कि जो बात विरोधी पक्ष रक्खे उसे नहीं मानना चाहिए तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिये ।

जो समिति की बात रखी गई है उसका मै समर्थन करता हूँ और करता हूँ कि हमारे माननीय मिनिस्टर साहब भी इसको मान लेंगे और इस समिति का जरूर इस हाउस में ऐलान कर देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सीकर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रक्खा उस पर काफी वाद-विवाद हुआ। मै इस प्रस्ताव को नहीं समझ पाया पूरे तौर से कि इसमें उनका मकसद क्या है? उन्होंने कहा कि नियुक्तियां, तरक्कियां, स्थानांतरण और तनख्वाह आदि में जो अनियमितताएं हुई हैं उन सबके बारे में और सारे ही सरकारी कर्मचारियों के बारे में एक समिति नियुक्त की जाय।

मैं आप से निवेदन करूं कि आज भी नियुक्तियों के बारे में अलग अलग स्टेजों पर अलग अलग तरह से अधिकार दिये हुए हैं। गजटेड स्टाफ के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को अधिकार हैं कि वह नियुक्ति करे। क्लास फोर सर्वेन्ट के नीचे तक बहुत से अधिकारियों को अधिकार दिये हुए हैं कि वे उनकी नियुक्तियां करें। इसके अलावा कुछ चीजों के बारे में हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स को अधिकार हैं कि वे नियुक्तियां करें और ज्युडिशियल की जो सर्विसेज़ हैं उनके लिये अधिकार है कि हाई कोर्ट में उनकी नियुक्तियां की जावें। तो यह अलग अलग इसका विभाजन है कि जिसके अनुसार नियुक्तियां की जाती हैं। तो एक समिति नियुक्त की जावे इस बात के लिये कि वह सारी चीजों के लिए जानकारी करे और इसमें भी जब आप क्लास फोर के बारे में बहुत अधिक चर्चा करें तो मैं समझने में अधिक असमर्थ हो गया। नीचे से ऊपर तक की सारी की सारी बातों के लिए समिति की नियुक्ति की जावे, तो मेरी समझ से तो यह बाहर की बात है कि अकेली समिति किस प्रकार इन तमाम बातों के बारे में सोचेगी और निर्णय लेगी?

दूसरी बात, इस प्रस्तावके अन्दर एक अविश्वास की भावना भी छिपी है, अव्यवहारिकता की बात तो है ही, जिसको लेकर यह सब कहा गया है। राजस्थान के अन्दर, मैं समझता हूं, कि यह बात सबको मालूम है कि जहां तक तनख्वाह कायम करने का प्रश्न है उसके फिक्सेशन के रूल्स होते हैं जिनके मुताबिक एक व्यक्ति की तनख्वाह तय की जाती है और उसकी तनख्वाह तय करने का अधिकार अकाउन्टेन्ट जनरल को होता है कि जो ए. जी. राजस्थान सरकार के मातहत नहीं, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के मातहत है। इन फिक्सेशन के रूल्स के मुताबिक अगर उसको कुछ भी कहना है तो आज भी उसे वह अधिकार प्राप्त है कि वे अपनी बात को ए. जी. के यहां वह रक्खे और अगर कोई अनियमितता उसके साथ हुई है तो उसे वह ठीक करा सकता है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तीसरी बात सिलेक्शन के बारे में कही गई, अपोइण्टमेण्ट्स के लिये बहुत कुछ कहा गया। मैं निवेदन करूं कि यह विषय इस प्रकार का है कि चाहे कोई सी समिति आप बनावें, कोई भी व्यक्ति इसको करे। इसके सम्बन्ध में दो रायें निश्चित तौर से हो सकती हैं। हमारे यहां पर आई. ए. एस. के सिलेक्शन के लिये सबसे पहले ऑल इण्डिया युनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक समिति आई और आकर हमारे सारे अफसरों के इन्टर्व्यूज़ करके सिलेक्शन किया कि जिसमें शायद ११ आदमी सबसे पहले सिलेक्ट हुये। इसके सम्बन्ध में भी कई व्यक्तियों की कई प्रकार की रायें थीं। लेकिन वे एक राय पर पहुँचे। यहां की पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जिस सिलेक्शन को करके भेजते हैं उसमें भी दो रायें हो सकती हैं कि अमुक नहीं अमुक होता तो ठीक था। पर आम तौर से किया यह जाता है और ऐसे मामलों में उपयुक्त यही समझा जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति पर, जिसको हटाने का, करने का परिणाम उसको खुद को भोगना होता है, कॉन्स्टीट्युशन के जरिये संरक्षण दे दिया जावे, वह एग्ज़ीक्युटिव के मातहत न रह जावे। ऐसी स्थिति है पब्लिक सर्विस कमीशन की जो राजस्थान में है।

मैं समझता हूँ कि जो सदस्य अखबार पढ़ते हैं, वे शायद पिछले साल भर की राजस्थान की गति विधि को जानते होंगे। उन्होंने पिछले साल-डेढ़-साल में देखा होगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन आज फलां इन्टर्व्यू कर रहा है, आज फलां सिलेक्शन हो रहे हैं। ये जिस पैमाने पर आज हो रहे हैं उतने पहले कभी नहीं हुए; लगातार, रोज इन्टरव्यूज़ हो रहे हैं। जो भी नियुक्तियां करनी हैं वे की जा रही हैं, जहां टेम्पेररी लोग हैं उनको परमानेन्टली सिलेक्ट किया जावे, इस बात की तरफ सरकार ने ध्यान दिया है और उनके सिलेक्शन बराबर होते चले जा रहे हैं, उनके पास बराबर काम है।

तीसरी बात यह भी कही गई कि आई. ए. एस. और आर. ए. एस. में जो प्रोमोशन्स होते हैं उनमें भी सरकार जिनके नाम यहां से भेज देती है, आगे जाकर उनसे लोगों को, जिनको सरकार चाहती है, फायदा पहुँच जाता है। माननीय उपाध्यक्ष मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आई. ए. एस के सिलेक्शन इमर्जेन्सी के जरिये या प्रोमोशन के जरिये होते हैं। अभी जो इमर्जेन्सी रिक्रूटमेन्ट हुआ उसमें रूल यह था कि ८ वर्ष की एलिजिबिल सर्विस जिसकी होगी उसको इन्टर्व्यू के लिये बुलाया जावेगा और एक भी आदमी का केस ऐसा नहीं जिसका नाम राजस्थान सरकार ने नहीं भेजा हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास। उनका कॉन्फिडेन्श्यल रिकॉर्ड भेजा जाता है और उन सबको देखकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यह लिखा आता है कि रिकॉर्ड देखने के बाद दो सौ आदमियों की नामावली हो तो वे कहते हैं कि अमुक २५ आदमियों को नियुक्ति के लिये बुलाना चाहते हैं, बाकी को नहीं। अब वे जिनको नहीं बुलाए उनके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार नहीं है। राजस्थान सरकार ने तो सब के कॉन्फिडेन्श्यल रिकॉर्ड, सब के नाम जो एलिजिबिल थे भेज दिये। इसी प्रकार से कुछ और; जैसे ज्युडिशियरी से या टेक्निकल सर्विसेज़ से कुछ आदमियों की गुन्जाइश होती है उनके नाम किसी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

डिपार्टमैंट से, हाईकोर्ट या दूसरे डिपार्टमेंट से, मंगवा कर भेजे जाते हैं और उसी आधार पर ये सिलेक्शन्स किये जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, अब ये जो बातें कही गई हैं, उससे तो यही कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी करता है वह गलत करता है। मैं निवेदन करूं कि ऐसी बात नहीं। ये जो प्रोमोशन्स दिये जाते हैं उनके लिये माननीय सदस्य जानते होंगे कि पिछले दो वर्षों में कई जगह ज्यादातर प्रोमोशन्स दिये गये हैं तो उनके लिये रूल्स बनाये गये हैं। विधान के अन्तर्गत प्रोमोशन के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन को कन्सल्ट नहीं किया जाता है लेकिन हमने इसके लिये एक कमेटी बनायी है उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन को ज्यादातर एसोसियेट किया गया है, वे कमेटी के चेयरमैन होते हैं। जैसा कि मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ ज्यादातर केसेज़ को पब्लिक सर्विस कमीशन के एप्रूवल के लिये भेजा जाता है, तो जहां तक आवश्यकता होती है उसके अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं ताकि किसी को कहने का मौका न हो। प्रोमोशन के बारे में मैंने आपको बताया। जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने कहा कि सीनियोरिटी का ख्याल नहीं रखा जाता है और प्रोमोशन्स कर दिये जाते हैं, जो ज्यूनियर होते हैं उनके मैं निवेदन करूं कि सीनियोरिटी ही केवल कोई क्राइटेरिया नहीं है। कई दूसरे भी फेक्टर्स होंगे जिनको सामने रख कर फैसला करना होगा। यदि कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में या डेवलपमेंट के बारे में कोई वेकेन्सीज़ हुई हैं, इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जो अच्छा काम करते हैं उनका रिकोग्निशन होना चाहिये और उसके अनुसार उनका प्रोमोशन होना चाहिये। सिर्फ अगर सीनियोरिटी पर ही चलने लगें, उनका जो कॉन्फिडेन्शियल रिकॉर्ड है, उनकी जो काम करने की शक्ति है, उनकी जो योग्यता है, उनका ख्याल नहीं रखें तो एक निराशा होगी सर्विसेज़ में आगे जाकर, जो कभी हमारे लिये भी लाभदायक नहीं होगी। मैं इस बात से सहमत हूं कि सीनियोरिटी को देखना चाहिये, उनकी तरक्की की जाय जो सीनियर हैं उनकी, लेकिन उसके अलावा जो जूनियर हैं अगर उनको प्रोमोट किया जाय तो उसके लिये रीज़न्स देने चाहिये कि क्यों प्रोमोशन दे रहे हैं, वह काम कर सकेगा या नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि आर. ए. एस. के मामले में कोई सुपरसेशन हुआ है; जानकारी की, क्या करना चाहिये, यह एक यहीं नहीं होता, हर साल लिस्ट उठाकर देख लीजिये आई. ए. एस., आई. पी. एस. की जिसमें आपको मिलेगा, जिसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी शामिल हैं, आई. ए. एस., आई. पी. एस. के कई सीनियर ऑफिसर्स को प्रोमोट नहीं किया गया है किन्तु जूनियर ऑफिसर्स को प्रोमोट किया गया है। उनके सामने कारण हैं, उन्होंने कई फेक्टर्स सामने रख कर किया है। राजस्थान में धांधली मच गई, राजस्थान में गजब हो गया, फलानी बात हो गई, इस प्रकार कहना एक भुलावा है। सब रूल्स के अनुसार किया जाता है और दूसरी जगह ऐसा होता है।

जैसा मैंने अर्ज किया गजटेड के लिये पी. एस. सी. को अधिकार है, इमर्जेन्सी के तौर पर अगर टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं और कहीं भी होता है तो कुछ ऐसी स्थितियां पैदा होंगी कि जिसके अन्तर्गत कुछ करना पड़ता है। राजस्थान

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

एक फोर्मेशन की स्टेज से जा रहा है। जिस पी. एस. सी. की रिपोर्ट के बारे में बार बार दोहराया जाता है यह ५३-५४ की रिपोर्ट है। उसके बाद ५४-५५, ५५-५६, ५६-५७ की और अब ५७-५८ है, तो तीन साल पहले की रिपोर्ट को बार बार दोहराने से कोई लाभ नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कि टेम्पोरेरी पोस्ट पर नियुक्तियां करनी पड़ती हैं। दरअसल ट्रेन्ड क्या है, यह देखना चाहिये। क्या यह सत्य नहीं है कि आज तक इन्टरव्यूज होकर लोगों को अपोइन्टमेंट्स दिये गये हैं? प्रोमोशन के लिये कमेटीज सिलेक्ट की गई हैं जिनके द्वारा उन आदमियों की नियुक्ति करें, जिसमें पी. एस. सी को एसोसियेट किया गया है? आज तहसीलदारों को अपोइन्ट करने का सवाल था, तो हम नायब तहसीलदारों को तहसीलदार कर सकते थे लेकिन कमेटी ने सारी चीजों को देखा और उसी ने तय किया। सिलेक्शन के बारे में, प्रोमोशन के बारे में रूल्स बनाते हैं, क्राइटेरिया तय होता है और उसके बाद इन चीजों को आगे किया गया है। दूसरा उदाहरण उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह रखना चाहता हूँ, और सबको आप जाने दीजिये, एक कॉन्क्रीट नजीर आपके सामने रखना चाहता हूँ, वह है आर. ए. एस के बारे में। सिनियोरिटी की बहस खड़ी हुई तो हमने हाई कोर्ट के जस्टिस राणावत को अपोइन्ट किया और उनके द्वारा सारा का सारा किया गया। तो क्या इस सत्य से कोई इन्कारी की जा सकती है? यह कहना कि चाहे जिसका अपोइन्टमेंट हो सकता है, यह गलत बात है। इसके अलावा हर एक को अधिकार हैं कि अपील कर सकता है, रूल्स में प्रोवाइडेड है, वह आगे से आगे बातें रख सकता है और कह सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, कहा गया है, उदाहरण दिया गया है मन्नालाल के लिए कि ३५०) रु० मिलते हैं। मैं निवेदन करूं कि उनको वेतन सिर्फ १७०) रु० मिलता है। नाराजगी हो सकती है किसी माननीय सदस्य की अभी १५-१६ तारीख को ही उन्होंने इल्लिसिट डिस्टिलेशन के १६० केसेज पकड़े हैं जिनमें बड़े बड़े आदमियों को पकड़ा गया है। इसकी नाराजगी हो तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन ऐसी बातें कह देना जो सत्य से भी दूर हैं, तथ्यों से भी दूर हैं। यह कहा गया कि माननीय वित्त मन्त्रीजी के रिश्तेदार को नियुक्त कर दिया गया। मैं निवेदन करूं उपाध्यक्ष महोदय, कि उस पोस्ट का क्रियेशन अक्टूबर, सन् ५६ में हुआ, वह डिप्टी डाइरेक्टर की पोस्ट नहीं थी किन्तु असिस्टेन्ट डाइरेक्टर की पोस्ट थी। अजमेर में जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने एप्लकेशन्स इन्वाइट कीं, वहां का जो एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज था उसने कलेक्ट की और उन एप्लीकेशन्स को फार्वर्ड किया, उसके पश्चात् इन्टरव्यू हुआ और जांच के बाद सिलेक्शन हुआ। जिनको सिलेक्ट किया गया अगर उनकी क्वालिफिकेशन्स अर्ज करूं तो यह सोचने का कारण नहीं रहेगा कि उसके पीछे कोई विशेष कारण था। उनकी क्वालिफिकेशन्स हैं एम. ए., एलएल. बी., एम. ए इन इकोनोमिक्स। बी० एससी० बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी से किया। इनको तीन साल का टेक्सटाइल मिल्स का एक्सपीरियेन्स है, दो साल का टेक्निकल वर्क का एक्सपीरियन्स है और इससे बढ़कर सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें मिनिस्टर मेम्बर नहीं हुआ करता, जिसने सिलेक्शन किया। आज जो उससे नीचे

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

की पोस्ट है, डिस्ट्रक्ट इन्डस्ट्रीज़ ऑफिसर की पोस्ट है उस पर उनको रखा गया है। उनको छः महीने के लिए टेम्पोरेरी पोस्ट पर रखा गया है। कुल मिलाकर जो कुछ हुआ वह एक डिमोशन था और उनको उस पोस्ट पर टेम्पोररी काम करने के लिए ऑपोर्चुनिटी दी। माननीय सदस्य को जहां उत्साह आता है, वे तेजी के साथ तथ्यों में न जाकर टीका करते हैं। मैं निवेदन करूं कि मन्नालाल के लिए कहा कि उनको पांच साल में असिस्टेन्ट ऑफिसर बना दिया गया, किन्तु वे तो पेट्रोलिंग इन्स्पेक्टर हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैंने तो एन्टी स्मग्लिंग ऑफिसर कहा था, असिस्टेन्ट ऑफिसर नहीं कहा था।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इस पोस्ट पर, पेट्रोलिंग इन्सपेक्टर की नियुक्ति होती है। यह गजटेड पोस्ट नहीं है और इस प्रकार की भी नहीं है कि ३५०) रु० वेतन मिलता हो।

श्री भैरोंसिंह : २७५) मिलता है, एन्टी स्मग्लिंग ऑफिसर है....

(शोरगुल)

श्री मोहनलाल सुखाडिया : वह डिपार्टमेन्ट ही अलग है।

श्री भैरोंसिंह : यह बता दीजिये कि १७०) इन्क्लूडिंग अलाउन्स है या एक्स्क्लूडिंग अलाउन्स है।

श्री उपाध्यक्ष : The Chair should be referred when a statement is made.

श्री मोहनलाल सुखाडिया : १७०) बेसिक पे।

श्री भैरोंसिंह : इन्क्लुडिंग, अलाउन्स, ड्युटी अलाउन्स के मिला कर २७५) होता है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : डिटेल्स इस समय मेरे पास नहीं हैं। ड्युटी अलाउन्स जिस पोस्ट पर है वह उसके साथ है।

३—म० प०

श्री भैरोंसिंह: पौने तीन सौ, आप हिसाब लगा लीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया ; मुझसे हिसाब-विसाब नहीं हो सकता।

दूसरी बात जो मुझे निवेदन करनी थी वह यह थी, कि यहां पर कहा गया कि जिन आदमियों का ट्रान्सफर किया जाता है उसके लिये भी एक समिति नियुक्त हो, मैं नहीं समझ पाया उपाध्यक्ष महोदय, कि ट्रान्सफर्स के बारे में भी हाई कोर्ट जज की समिति कैसे होगी ? हम ऑर्डर देंगे कि इस आदमी का फलां जगह ट्रान्सफर हो और वह आदमी अपील लेकर कमेटी के पास जायगा कि मेरा ट्रान्सफर उस जगह नहीं होना चाहिये। यह तो आप चाहते हैं कि न एडमिनिस्ट्रेशन रहे, न पब्लिक सर्विस कमीशन रहे और न रूल्स और रेगुलेशन्स रहें और एक स्पेशल बोडी इस प्रकार की कायम हो जो सारे मौकों पर जांच पड़ताल करे। सच तो यह है कि जैसी माननीय सदस्य की कल्पना रहती है, चाहे वह व्यवहारिक हो या न हो, एक न एक बात कहनी है; चाहे वह

Page No.78

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

व्यवहारिक हो या न हो, इसकी छूट उनको रहती है । यह इस तरह का प्रस्ताव है जो कभी अमल में नहीं आ सकता । जो रूल्स हमारे यहां बने हुए हैं उनके बारे में यह कहते कि दूसरी स्टेट्स में इस प्रकार के रूल्स है और यहां पर मिनिस्टरों ने ये ये अधिकार ले लिये हैं जिन्हें न लेना चाहिये था, तब तो मेरी समझ में आता । आखिर राजस्थान सरकार ने कौनसे अधिकार ले लिये हैं जो बम्बई, यू. पी., पंजाब में नहीं हैं और यहां ले लिये गये हैं, जहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन को एसोसियेट करने की आवश्यकता नहीं है, वहां भी हमने उसे एसोशियेट करने का प्रयत्न किया है, रूल्स बनाये हैं । आज सेक्रेटेरियट में मिनिस्टीरियल सर्विस में तभी अपोइन्टमेन्ट किया जाता है जबकि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एप्रूव्ड हो । जहां हम सेक्रेटेरियेट में बैठते हैं वहां एक क्लर्क को भी अपोइन्ट करने की पोवर हमने नहीं रखी है । हम इससे भी और आगे बढ़ रहे हैं । सिविल सप्लाईज़ और कस्टम्स विभाग का जो सरप्लस स्टाफ था उसके लिये हमने कहा था कि पहले इनको एम्प्लोय किया जाय । अब उनके लिये भी रूल्स तैयार हुए हैं जो जल्दी ही पब्लिश होने वाले हैं जिसके अनुसार इनकी लिस्ट तैयार करके अलग-अलग डिविज़न्स में भेज दी जायगी और कहा जायगा कि सीनियोरिटी के हिसाब से पहले इन लोगों को एब्ज़ोर्ब किया जाय ताकि इन सरप्लस लोगों को एम्पलोयमेन्ट मिल जाय । इस तरह से एक के बाद दूसरा काम कर रहे हैं लेकिन जो अच्छा काम किया जाता है उसको एप्रिशियेट करना चाहिए, ताकि अच्छा काम आगे बढ़े और एन्करेजमेंट मिले, लेकिन आप उसके विपरीत बात करते हैं ।

आपने एक लेडी हेल्थ विज़िटर, भरतपुर की या अलवर, की पता नहीं, कहां की रहने वाली है, उसके लिये सारी बातें कहीं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इसके विस्तार में नहीं पड़ना चाहता लेकिन निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि जो कार्यवाही की गई है वह उचित की गई है । वह मुझसे भी मिल चुकी है । मुझे उसके बारे में जानकारी है । इलेक्ट्रिशियन का केस भी मैं जानता हूं । लेकिन मैं आशा करता हूं कि सदन में जो बोलने का मौका मिले वह उचित व्यक्तियों के लिये काम में लिया जावे, लेकिन गलत आदमियों के लिये नहीं लिया जायगा । मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा कि किन आदमियों के लिये क्या कहा गया । कोई आदमी यदि कोई गलत कार्यवाही करे और उसके खिलाफ हम कुछ करें तो कोई न कोई सदन में कहने वाला मिल जायगा कि उसके खिलाफ ज्यादती हुई । यदि ऐसा होगा तो कोई कार्यवाही करने का मौका नहीं मिलेगा । आज से कुछ दिन पहले एक आदमी के २५ वर्ष पूरे हुए, उसका कार्य अच्छा नहीं था । हमने उसका कम्पलसरी रिटायरमेंट कर दिया । कई मौके यहां ऐसे आयेंगे जब कोई कह देगा कि उसके साथ ज्यादती हुई । जो ठीक बात हो उसको एप्रिशियेट करना होगा और जो गलत बात है उसको पहले जान लें कि इसके पीछे कोई कारण है या नहीं ? बिना जाने जो यहां समर्थन करते हैं उससे न तो यहां लाभ होने वाला है और न जो अधिकारी गलत काम करते हैं, गलत काम करने के बाद दबाव डालना चाहते हैं उनको जान लेना चाहिये कि दबाव में हम हर्गिज नहीं आयेंगे क्योंकि दबाव में आने के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बाद जो डिमोरेलाइज़ेशन होता है वह उचित नहीं है। कोई एक्शन होता है तो हम लोगों के पास पहुँचे और अपनी बात कहलवाना शुरू करें, ऑर्डर की कॉपी दें, गलत सही बातें कहलवाना चाहें तो इसमें दो राय नहीं हो सकती कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से नहीं चल सकता।

यह प्रस्ताव अव्यावहारिक है। यह एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में कभी कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में सब से ज्यादा आवश्यकता है फाइनेलाइज़ेशन की। आज हम कई वर्षों के बाद फाइनेलाइजेशन की स्टेज तक पहुँच पाये हैं, रूल्स बनाये हैं, सिलेक्शन पर पहुँचे। आज फिर यदि ए. बी. सी. डी. से शुरू करें और रिप्रेज़ेन्ट करना शुरू करें तो मैं समझता हूं कि कन्फ्युजन और केऑस ही हो सकता है। इसके अलावा जो व्यवस्था चलानी है, यह ख्याल नहीं हो सकता। यदि इस प्रस्ताव को सही तरीके से सोचें तो इस प्रस्ताव का दूसरा मतलब यह है कि हम केऑस के लिये प्रयत्न करें, न केवल इस पक्ष के बल्कि उस पक्ष के लोग भी विचार करेंगे कि क्या यह व्यावहारिक है? क्या फर्स्ट क्लास से लेकर फोर्थ क्लास के गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिये एक हाई कोर्ट की कमेटी बने? जिनके लिये सिलेक्शन बोर्ड बने और सिलेक्शन हुए, रागवन कमेटी बनी एक हाई कोर्ट जज के नीचे और जो कुछ निर्णय हुए हैं उन सब को ओपन कर दें? यह प्रस्ताव मूल में अव्यवहारिक है और कभी नहीं चल सकता। यदि हमें इस प्रस्ताव को अमल में लाना है तो कोई स्टेट नहीं चल सकती। यहां की बात जाने दीजिये, कहीं भी नहीं चल सकती।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बातें आप यहां कहना चाहते हैं उनको कहने का आपको अधिकार है, लेकिन आपको यह देखना चाहिये कि राजस्थान में क्या अपील रूल्स नहीं हैं, या सिलेक्शन के रूल्स नहीं हैं या प्रमोशन के रूल्स नहीं हैं? सारी चीजें यहां पिछले वर्षों में बनी हैं। लेकिन एक बात का हौवा बनाया जाता है, रात-दिन प्रयत्न किया जाता है कि किसी न किसी तरह बात कहें। विरोधी दल के नेता खड़े हुए और उन्होंने जोधनेर की बात कह दी। बात चल रही है हाई कोर्ट की....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के लिये अर्ज किया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (जारी) कमेटी नियुक्त करने की बात आई और मुझे आश्चर्य है कि इस बात के साथ ही जोधनेर कॉलेज की बात आ गई। वहां एम. ए. तक पढ़ाने वाले रहते थे उनको अपोइन्ट नहीं किया, इसकी परवाह नहीं की जा रही है, नाराजगी है आदि कह दिया....

(श्री नरेन्द्रसिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member will please not interrupt.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (जारी) : आज जो पैरवी आपको करनी पड़ रही है उसका अफसोस है। तो मुझे यह कहना था कि बात कहां की कहां चली जाती है। माननीय सदस्य जो रूस घूम कर आते हैं और वे कहते हैं, चाहे जैसे विषयान्तर हो जाने का उन्हें अधिकार है, इस प्रकार मान कर चलते है; खैर लेकिन उन्होंने एक बात जो कही वह मैं समझता हूँ माननीय सदस्यों के ध्यान में रखने की है। वे हमारे सामने रूस का अनुभव रखते हैं। वहां पर जो अच्छा काम करते

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हैं उनकी तारीफ की जाती है, उनकी कद्र की जाती है और जैसा प्रस्तावक महोदय ने कहा सीनियोरिटी का आधार लेकर चलिये, इस बात को सोच कर चलिये। मेरा ख्याल यह है कि सिर्फ सीनियोरिटी को ही न देखकर और बातें भी जो हैं उनको भी ध्यान में रख कर चलना है। उपाध्यक्ष महोदय, हेड ओफ डिपार्टमेंट जिस कमेटी में बैठते हैं, सेक्रेट्री बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर बैठते हैं, जनरल फोर्मेशन ओफ दी कमेटी इस प्रकार होती है और जो मातहत काम करने वाले हैं उनका काम कैसा हो, कैसा न हो उसको जानने वाले व्यक्ति हैं वे सब मिलकर सिलेक्शन करते हैं तो फिर शिकायत कहां रह जाती है? आज जुडिशियल फैसले करने हों कानून के अनुसार तो वह और बात होती है लेकिन एक ओफिसर जब कमीशन में बैठ जाता है तो.... जो उसकी फर्स्ट हैंड नोलेज रखते हैं, उनकी बात को वजन देना पड़ता है। अब यदि उसका रिकॉर्ड खराब है, तो उसको चैक करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को पॉवर होती है। यदि डिपार्टमेंट में कोई बुरा व्यक्ति होता है तो उसे अवोइड किया जाता है जिससे कि उसी प्रकार की बात खड़ी न हो पाये। तो मुख्य बातें थीं, उनके बारे में मैंने निवेदन किया है।

बीकानेर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा कि जैन स्कूल की अध्यापिका को कई महीने से तनख्वाह नहीं मिली, इस लिए कमेटी स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं नहीं समझ पाया कि एक प्राइवेट स्कूल चलता है, उसमें एक अध्यापिका है, यदि उसकी तनख्वाह का फैसला काफी समय से नहीं हुआ तो उसका कमेटी फैसला कर देगी! दूसरी एक और बात कही गई कि महाराजा कॉलेज के चपरासी हैं, उनके मामले का फैसला नहीं हुआ। ये एक-दो बातें कहकर उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इन भावनाओं के मूल में जो प्रश्न है, वह यह है कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के जो सवाल हैं; हाईकोर्ट के जज के नीचे जो कमेटी नियुक्त होगी, उससे सब प्रश्न हल हो जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, इससे समस्या हल न होकर और उलझ जायगी। उलझने की परिस्थिति की सम्भावना हो सकती है, हल होने की सम्भावना नहीं हो सकती।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जिन लोगों के दूर दूर स्थानान्तरण कर दिये जाते हैं वे रोक दिए जाने चाहिये। यह प्रबन्ध कैसे कर सकेंगे? इतना माना जा सकता है कि जो कुछ कम वेतन पाने वाले हैं, उनका दूर स्थानान्तरण नहीं होना चाहिये। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि एल. वी. एल. डब्ल्यू. (ग्राम सेवक) जो हैं, उनकी किसी गांव में २५ की आवश्यकता है और ५० व्यक्ति चुन लिए जाते हैं तो बाकी को बाहर भेजना ही होगा वह नहीं रुक सकता। इसी प्रकार अध्यापकों के लिए होगा, क्लास फोर सर्वेंट्स के लिए होगा। इस प्रकार का स्ट्रिक्ट रूल नहीं हो सकता कि अमुक अमुक व्यक्ति को अमुक अमुक जगह रखा जाय, अमुक जगह नहीं जा सकते। जो प्रेक्टिकल कन्सीडरेशन है, उसको हमें निगाह में रखना पड़ता है, और उसको ध्यान में रख कर फैसला करना पड़ता है। मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि सिवाय इसके कि राजस्थान के अन्दर एक केओस पैदा हो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जाय, इसलिए यह प्रस्ताव रखना चाहते हैं, यदि यह भावना नहीं है और यह है कि राजस्थान का काम ठीक तरह से चले, राजस्थान आगे बढ़े और कोई ऐसी स्थिति पैदा न हो, यदि यह ख्याल है तो वे अपना प्रस्ताव वापिस ले लेंगे, यदि न लें तो उनकी इच्छा है। मैं यह उम्मीद करके चलता हूं, न केवल इस तरफ से, जो इस बात का अनुभव करते हैं कि शासन चलाना है तो वह इस प्रकार की कमेटियों से नहीं चल सकता, यह एक अव्यवहारिक बात है, मैं उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है कि कुछ केसेज हों, जिन केसेज़ के अन्दर हम ऐसा अनुभव करें कि ऐसा नहीं, यदि ऐसा होता तो उपयुक्त होता।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इन्सपेक्टर्स को पुलिस में नियुक्त कर दिया है। मैं उनको बताऊं कि पुलिस में इन्सपेक्टर्स डाइरेक्ट अपोइन्ट नहीं होते, इन्सपेक्टर्स सब इन्सपेक्टर्स से प्रोमोट होते हैं। इससे मेरी समझ में नहीं आया कि पुलिस के अन्दर डाइरेक्ट इन्सपेक्टर्स का अपोइन्टमेंट कैसे हो गया? यह हो सकता है कि कुछ लोगों ने आकर सूचनायें दीं, या तो वह बात कहने में अधूरी रह गई, या सुनने में अधूरी रह गई और उसी अधूरी बात को यहां कह दिया। मैं ऐसा समझता हूं कि यह एक गम्भीर प्रश्न है, जिस प्रश्न पर निर्णय करने में सारे पहलुओं को लक्ष्य में रखना होगा। जैसा मैंने निवेदन किया कि सिलेक्शन के लिए हमारे यहां पर अलग व्यवस्था कायम है। इसके अलावा स्थानान्तरण के लिए कहा गया कि निश्चित रूल्स नहीं हैं। मैं समझता हूं ट्रान्सफर्स में छोटे कर्मचारी जिस स्थान पर रहते हैं वहां उन्हें रखते हैं, उनके ट्रान्सफर्स को रोकना चाहते हैं। इसके अलावा फिक्सेशन के लिए कहा, तनख्वाह के लिए कहा कि उनके लिए कोई रूल्स नहीं बने हुए हैं, मैं समझता हूं कि उनके लिए रूल्स बने हुए हैं। यदि ऐसा कोई मामला है जिसमें न्याय नहीं हुआ है तो वह अकाउन्टेन्ट जनरल तक अप्रोच कर सकता है, वहां से उनको न्याय प्राप्त हो सकता है। इन सारी बातों को लक्ष्य में रखते हुए मैं कह सकता हूं कि न्याय प्राप्त करने के लिए सबको अवसर प्राप्त है, वे उस अवसर का लाभ उठायें, जिन्होंने इसका लाभ उठाया है, उन्हें लाभ मिल सका है, लाभ मिलता है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि ऑपोर्चुनिटी नहीं मिलती है। इन सारी चीजों को कहने के बाद मैं आशा करता हूं कि जो प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव को प्रस्तावक वापिस ले लेंगे, न वापिस लें तो सदन की राय ली जाय। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री भैरूंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का हर्ष है कि मैंने जो प्रस्ताव आज सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया था उसका हर प्रकार से एनेलाइसिस किया गया। उस एनलाइसिस में जिस प्रकार का अनुभव था, जिस प्रकार का साधन था, उसके अनुसार उस प्रस्ताव के ऊपर माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने इसका वैज्ञानिक ढंग से ऐनलाइसिस किया था। उनके ध्यान में इस प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं था, वह इसलिए कि इस प्रस्ताव के पीछे यह भावना है कि सरकारी कर्मचारियों को आकर्षित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा

(श्री भैरोंसिंह)

उनके इस वैज्ञानिक ऐनलाइसिस से मतभेद है और इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का जो विचार इस सदन में व्यक्त किया गया है, वह किसी प्रकार भी उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी सर्विस को अट्रेक्ट करने के प्रश्न को लेकर यदि इस प्रस्ताव के तोड़ मरोड़ की चेष्टा की गई, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इस प्रस्ताव को समझने में, प्रस्ताव का क्या आशय है, इसको समझने में, इस प्रस्ताव का प्रभाव किन व्यक्तियों पर होगा, इसे समझने में कोताई हुई है। आकर्षित करने का प्रश्न पैदा होता है वह विरोधी दल के सदस्यों की ओर से नहीं, वरन् सत्तारूढ दल के सदस्यों से हो सकता है, जिनके हाथ में सत्ता है, वे प्रोमोशन देने के अधिकारी हैं, नियुक्ति करने के अधिकारी हैं तथा और भी कई प्रकार की रियायत सरकारी कर्मचारियों को दी जाय, उनको देने के अधिकारी हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की भावना इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस सदन में व्यक्त की जाय, वह भी उन सरकारी कर्मचारियों के हित में एक प्रस्ताव से अन्याय करने की भावना होगी। इस प्रस्ताव में केवल यह आता है कि जिस तरह माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि राजस्थान की सरकार ने बड़ी सावधानी बरती है कि हमारे जो आर. ए. एस. के ऑफिसर्स हैं, उनकी सीनियोरिटी के बारे में कोई अनियमितता न हो, आइ० ए० एस० के जो सिलेक्शन होते हैं, उनके बारे में कोई अनियमितता न हो। एक बात उन्होंने कही, उनका आशय मैं समझता हूँ। शायद मेरे लिए यह कहा होगा कि कुछ व्यक्ति जो एग्रीव्ड होते हैं, वे इन्फोरमेशन देते हैं, वे अधूरी होती हैं, और उनको यहा कहा जाता है। जिस प्रकार कहा जाता है कि इस प्रकार सदन में वह बात कहनी है, वह यहां कह दी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का हर्ष है कि मैंने जो बातें इस सदन में प्रस्तुत की थीं, उनका मन्त्रीजी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला है। मैंने कहा था कि राजस्थान के सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट में नियुक्तियों के लिए कोई रूल्स नहीं हैं। मैं समझता हूं, आज भी वहां रूल्स नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस स्थिति में नहीं है कि वे कहें कि उस डिपार्टमेन्ट में रूल्स हैं। और भी कई विभागों का मैंने जिक्र किया था, लेकिन उनके बारे में मैंने कई बार उनसे इस बात को सुना है, उनके भाषणों को मैंने कई बार सुना है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी जिस तरह गर्व के साथ कहा करते हैं कि सरकार द्वारा सब कार्य नियम के अनुसार किये गये हैं, आज उन्होंने यह नहीं कहा है कि राजस्थान के सारे विभागों में नियुक्ति के लिए कानून बने हुए हैं।

मैं समझता नहीं कि जो सबसे बड़ी बात पुलिस विभाग में हुई है उसको टालने के लिये मुख्य मन्त्रीजी दो—तीन इन्स्पेक्टर्स का जिक्र कर रहे थे, मैंने इन्स्पेक्टर्स के लिये नहीं कहा था, मैंने जो बात रखी उसका उत्तर नहीं मिला और न मिल सकता है। राजस्थान में ४ इन्स्पेक्टर्स को डिप्टी सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस के पद पर नियुक्त किया है, वे सीनियोरिटी के आधार पर कितने सीनियर थे, उन लोगों से जो बाकी के सीनियर लोग थे उनके अन्दर ऐसी क्या इनएफिशियेंसी थी और उन लोगों में ऐसी क्या एफिशियेन्सी थी जो दूसरों के हक पर छुरी चलाई गई ? इसका उत्तर मैंने चाहा था, पर इसका उत्तर नहीं। मैंने

(श्री भैरोंसिंह)

हमेशा से देखा है कि मुख्य मन्त्रीजी, जो बातें सदन में रखी जाती हैं उनमें से जो कमजोर बातें हों उनको छांट छांट कर सदन के सामने रखते हैं और जिन बातों में सरकार की कमजोरी हो उन बातों को सदन में नहीं रखते; ताकि सदन मुगालते में नहीं रहे। पर मैं उन बातों को सदन में रखूंगा ताकि सदन में जो विषैला वातावरण बना है वह दूर हो जाय।

मैंने एक अजमेर के अपोइन्टमेंट के बारे में जिक्र किया था, उसके उत्तर में बड़े गर्व से कहा, एक सिलेक्शन कमेटी बैठी थी, उसने एप्लीकेशन्स इन्वाइट की। किस प्रकार की यह सिलेक्शन कमेटी बैठी, किस प्रकार से एप्लीकेशन्स इन्वाइट की गई हैं और किस प्रकार का सिलेक्शन हुआ है इसका अन्दाज तो इसी बात से किया जा सकता है कि जिनका सिलेक्शन हुआ वे अजमेर राज्य के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के दामाद थे। जो सिलेक्शन बोर्ड नियुक्त किया गया और उसमें जो अधिकारी थे वे मुख्य मन्त्रीजी के मातहत अधिकारी ही तो थे। उनमें हिम्मत नहीं थी कि मुख्य मन्त्रीजी के दामाद का सिलेक्शन करने में आनाकानी करें। इस पर मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं कि न्याय हुआ है। आखिर ऐसी जल्दी क्या थी? अजमेर राज्य राजस्थान में विलय होने वाला ही तो था। अजमेर के मुख्य मन्त्री के हाथ से न होकर राजस्थान के मुख्य मन्त्री के हाथ से यह होता। एक तारीख तो दूसरे रोज ही होने वाली थी। पर तकाजा था, वहम था कि आज नियुक्ति नहीं हुई तो बाद में नहीं होगी, सुखाड़ियाजी इस तरह की नियुक्ति करने वाले नहीं हैं, इसलिये ३० अक्टूबर को नियुक्ति हुई। अगर यह बात नहीं है तो बतायें कि ३० अक्टूबर को किस किस की नियुक्ति हुई, पर इसका कोई उत्तर नहीं।

बड़े ढंग से कहा कि खास इन्टरेस्ट के कारण मन्नालाल जी का प्रश्न आया है। उस कारण के लिये कहा गया कि इन दिनों उन्होंने कुछ नाजायज शराब पकड़ी है और नाजायज शराब पकड़ने के कारण मुझे क्षोभ हुआ है और उसी क्षोभ को निकालने के लिये मैंने यह प्रश्न यहां उठाया है। जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, उसे सुनने वाला व्यक्ति ख्याल करेगा कि मुझे उस शराब में इन्टरेस्ट था, पर मैं निवेदन कर दूं कि मुझे या तो इसकी जानकारी आपके भाषण से मिली है या थोड़ी देर पहले मुक्तिलालजी ने कहा कि आज-कल इन्होंने शराब के मामले पकड़े हैं। प्रोमोशन में यह प्रश्न सामने आता है कि जिस व्यक्ति को प्रोमोट करना है उससे कितने सीनियर हैं और सीनियर हैं तो एफिशियेन्ट हैं कि नहीं, तो मेरा यह मतलब नहीं कि अगर किसी में एफिशियेन्सी है तो उसे एप्रेशियेट न किया जाय, जरूर एप्रेशियेट किया जाय, पर प्रोमोशन के समय यह तो देखा जाता है कि किसकी सर्विस अच्छी है, कितने सीनियर हैं, सीनियर हैं तो उसकी सर्विस में ब्लेक एन्ट्री तो नहीं है, अधिकारियों की तारीफ दर्ज है कि नहीं, उस व्यक्ति से जो लोग सीनियर हैं उनके भी रेकार्ड में अधिकारियों की ओर से तारीफ दर्ज है कि नहीं, नीचे वाले के भी उतने ही सर्टिफिकेट दर्ज हैं कि नहीं, जिसके आधार पर नीचे वाले के लिये कह दिया जाय कि एफिशियेन्ट है? यह सब जांचने का काम पी. एस. सी. का है, उस ही के द्वारा फिर कहा जाता है कि यह एफिशियेन्ट है। पर मुख्य मन्त्रीजी ने कहा, बड़ी दबी जुबान में कहा, पी. एस. सी. से

(श्री भैरोसिंह)

हाथ में, शायद नहीं है।

मैं अर्ज करूं पी० एस० सी० की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। उससे जाहिर है कि शुरू से लेकर आज तक राजस्थान सरकार और पी० एस० सी० के अन्दर मतभेद चलता आ रहा है। पी०एस०सी० से एप्रूवल लिया जाना चाहिये कि नहीं, इस बारे में पी० एस० सी० ने रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि १२० से ज्यादा जिसकी तनख्वाह है उसका प्रोमोशन या उसकी नियुक्ति हो तो उसमें पी० एस० सी० की एप्रूवल की आवश्यकता है, पर सरकार की मंशा है कि उसे स्वीकार करे या न करे।

श्री मन्नालालजी के प्रश्न पर मैं फिर आता हूँ। मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि १२० की तनख्वाह है, मैंने कहा साढ़े तीन सौ मिलते हैं। मैंने कहा एन्टी स्मगलिंग ऑफीसर हैं, उन्होंने कहा इन्स्पेक्टर हैं। मैंने जिस समय साढे तीन सौ तनख्वाह का हवाला दिया तो उसी समय अपने आपको करेक्ट करते हुए पौने दो सौ का कहा था, मैं सिद्ध करने को तैयार हूं। १७० बेसिक पे है, डियरनेस अलाउन्स मिलता है, दूसरे एलाउन्सेज मिलते हैं। तो इस तरह पे के बारे में जो मैंने बताया है यह करीब करीब ठीक ही है. वैसे मेरे पास कोई सरकार की तरह ऑथोरिटी तो है नहीं कि सारा सरकार का रेकार्ड रोजाना मेरे सामने से निकलता हो, पर मैंने जो कहा उसमें विशेष अन्तर नहीं। पर इसके पीछे कमजोरी थी वह सदन में नहीं रखी। गई दारोगा से इन्स्पेक्टर कैसे बना दिया गया, जो सीनियर व्यक्ति थे उनके हक कश करके १७०) की तनख्वाह में कैसे प्रोमोट किया? इसका कोई उत्तर नहीं। जैसा कि मैंने निवेदन किया विरोधी दल की ओर से जो बातें रखी जाती हैं, मुख्य मन्त्री हमेशा उनमें से इस प्रकार की बातों को ढूंढ कर निकालते हैं जिससे सदन को अपनी ओर किया जा सके, पर मैं समझता हूं सदन समझदार है........

श्री उपाध्यक्ष : There should be no reflections on the House. There is a presumption that सदन is समझदार।

श्री भैरोंसिंह : (जारी) तो मैं यह निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि हमेशा इससे पहले कि हम इस प्रकार की बातें करके दूसरों पर इल्जाम लगायें कि उन्होंने कुछ तथ्यों के आधार पर बातें नहीं कहीं, इससे पूर्व अपना मुंह कांच में देखें तो ठीक रहेगा। मैं आज भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार की बातें सदन में उपस्थित की गई केवल दो बातें कह कर कि व्यवहारिक नहीं है, जिनको राज्य चलाना होता है उन्हें मुश्किलें आती हैं, तो मुश्किलें तो आती हैं और राज्य चलाने वाले राज्य चलाते हैं। अगर वे यह समझ बैठे हैं कि राज्य चलाने का उनका ही ठेका है तो यह उनकी गलती है। प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विपरीत प्रजातंत्र में राज्य चलाने की किसी की ठेकेदारी नहीं मानी गई है। मैंने कई मन्त्री महोदयों को और मंत्री मण्डलों को बदलते देखा है, कई जगह कांग्रेस हुकूमत को बदलते देखा है, पेप्सू में बदली है, केरल में बदली है।

राज्य चलाने वालों को ज्यादा अनुभव होता है कि यह व्यवहारिक है कि नहीं। हमारे इसी सदन में आर. ए. एस., आई. ए. एस. के सिलेक्शन को लेकर चर्चा चली थी कि पूरी की पूरी लिस्ट पी.एस.सी.में भेजी जाती है जिनको आर. ए. एस. में लिया जाता है। उस समय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हमारे

(श्री भैरोंसिंह)

भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी के भाई के लिये यह कहा गया कि वे हर प्रकार से अयोग्य थे फिर भी उनको आई. ए. एस. में लिया गया, पर वस्तुस्थिति यह है कि आई. ए. एस. के सिलेक्शन के लिये यह देखा जाता है कि पांच साल का किसका रेकार्ड अच्छा है, सर्विस शीट किस किस की अच्छी है, फिर उस रेकार्ड को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजते हैं और वह छांट कर वापिस भेजता है कि इतने आदमियों को आई. ए. एस. में भेजा जाय। यह सब प्रोसीडिंग्स में है....

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह दूं कि जो कुछ मैंने कहा है ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : पहले कहा है....

श्री उपाध्यक्ष : Please resume the debate.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कह रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि आइ० ए० एस० के प्रश्न को लेकर कहा जाय कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन का वैसे उसमें पूरा हाथ रहता है। कोर्ट में मामला गया। चीफ कोर्ट के एक जज ने सीनियोरिटी के बारे में फैसला किया है। यदि कुछ कहूं तो उनकी तौहीन होगी, ऊंचे केलिबर के आदमी हैं, उनकी तौहीन होगी। जहां तक सर्विस रूल्स का प्रश्न आता है मैंने भी उन रूल्स को देखा है, किस हद तक अपील कर सकता है, इसकी एक लिमिट होती है और अपील हो तो दबाव भी डाला जा सकता है। फोर्थ क्लास सर्वेंट्स हैं, क्लेरिकल स्टाफ के लोग एल० डी० सीज़, यू० डी० सीज० हैं, अगर उनके साथ अन्याय हुआ तो मुझे उम्मीद नहीं कि सेक्शन का अधिकारी या हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट उसे डिमोट करने में यदि इन्ट्रेस्टेड हैं और उसी के पास अपील की जाती है, तो वह उसके साथ न्याय करेगा उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वह उसके साथ न्याय करेगा।

अपील करने की गुंजाइश है, हमारे संविधान में यह दिया हुआ है कि यदि नियमों का उलंघन किया जाता है तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वह चुनौती देकर सुविधा और अपने अधिकार प्राप्त करे। लेकिन उसके साथ साथ फाइनल रीज़न्स आवश्यक हैं। यदि किसी को गलत प्रोमोशन मिल गया है, यदि किसी की गलत एपोइन्टमेंट कर दी गई है या और किसी प्रकार का उसके साथ अन्याय हुआ है तो क्या वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया करे? मैं समझता हूं कि यह तो किसी तरह उचित नहीं क्योंकि उसको कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिये किसी न किसी वकील से राय लेनी होगी और क्या आप यह आशा करते हैं कि वकील लोग उस व्यक्ति को मुफ्त राय देंगे, हर्गिज नहीं देंगे। वकील लोग उनसे पैसे लेंगे और जो इस प्रकार के अन्याय या प्रोमोशन आदि के व्यवहार से एग्रीव्ड व्यक्ति होगा उसके पास पैसा कहां से आएगा और ऐसा होगा कि न तो वह व्यक्ति पैसा दे सकेगा और न वह हाईकोर्ट का दरवाजा ही खटखटा सकेगा क्योंकि उसके पास पैसा देना संभव नहीं है। अतः जिस चीज को आप अव्यवहारिक बताते हैं, मैं उसे व्यवहारिक बताता हूं। जो गरीब कर्मचारी हाईकोर्ट में पैसों के अभाव से नहीं जा सकता वह इस प्रकार की समिति के सामने एक मामूली सी अर्जी या दरख्वास्त पेश कर देगा और जब वह इस समिति के सदस्य को अपनी दरख्वास्त पेश कर देगा और वह चेअरमैन इसकी जांच

(श्री भैरोंसिंह)

करेगा ; माननीय उपाध्यक्ष, अगर माननीय मुख्य मंत्रीजी यह समझते हों कि इसकी भाषा उचित नहीं है तो इस प्रस्ताव को जिस भाषा में उचित समझें उसमें इसको रख दिया जाय जिसे, मैं स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। यदि कोई सरकारी कर्मचारी कानून में दिये गये नियमों का पालन नहीं करता है और इससे प्रोटेक्शन चाहता है या नियमों को भंग करता है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि उसको अवश्य सजा दी जावे और इसके लिये इसमें कोई बार आप डाल सकते है। इस-लिये एक समिति का निर्माण किया जावे और उसमें ऐसे इण्डिपेन्डेन्ट लोगों को रखा जावे जो बिना किसी पक्षपात के अपना निर्णय करें।

मैंने यह नहीं कहा कि वह समिति अपना अन्तिम निर्णय देगी। इसके सम्बन्ध में मैंने पहले ही कहा है कि वह सरकार को अपनी एडवाइज़ करेगी और फिर सरकार उस पर अपना विचार करेगी और निर्णय करेगी। यह बात उसमें छिपी है। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसको इस कारण आप अव्यावहारिक रूप दे सकते हैं। उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उसमें सरकार की राय लेकर किस प्रकार से उसे व्यवस्थित रूप में लाना है इस बात की इसमें गुंजाइश रखी थी। सरकार अपनी राय दे कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, केवल यह कहना कि यह अव्यावहारिक है इसकी आवश्यकता नहीं। यह एक प्रकार से केऑस पैदा करने वाला है। मुझे अफ-सोस हुआ जब मैंने यह सुना कि यह केऑस पैदा करेगा। मैं नहीं समझ पाया कि यह केऑस किस प्रकार से और कैसे पैदा करेगा और अगर होगा तो किस में होगा? मगर यह नहीं बताया गया। केवल यही कहा गया कि केऑस पैदा होगा। मैं समझता हूँ कि सारे कर्मचारियों में नहीं होगा। जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनमें वे कर्मचारी जो अपने कार्य में अच्छी तरह से चल रहे हैं और अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो लोग अन्याय और पक्षपात से दबे जा रहे हैं वे व्यक्ति सरकार के खिलाफ केऑस भी पैदा करने के लिए तैयार होंगे और मैं यह कहूंगा कि आप उनको किसी प्रकार से रोक नहीं सकते। यह उनका अधिकार है। सरकार के खिलाफ असंतोष की भावना को प्रदर्शित करने हेतु, यदि वे लोग अपने पर किये हुए अन्याय के लिए आंदोलन भी करें तो मैं कहूँगा कि कोई ताज्जुब की बात नहीं।

(करतल-ध्वनि)

लेकिन यह कह कर कि केऑस हो जाएगा, इससे बचने का प्रयास किया जावे, यह उचित नहीं। आई० ए० एस० के नाम पर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम पर काम होते हैं।

अन्त में मैं माननीय उपाध्यक्ष, यह कहूँगा कि जिस समय भरतपुर की लेडी हैल्थ विजिटर के बारे में उत्तर दिया गया, मुझे अत्यधिक खेद हुआ, उन्होंने जिस भाषा में उसको सदन के सामने रखा। मैं समझता हूं कि वह राजस्थान की उच्च सत्ता का एक निर्णय था। मगर मैं यह कहूंगा कि कोई उसके सम्बन्ध में जांच नहीं की गई। आपने बिना जांच के ही निर्णय दे दिया। मैं यह कहूंगा कि जहां पर चीफ मिनिस्टर बिना किसी जांच के अपना निर्णय दे, उसकी सत्ता में क्या कोई न्याय प्राप्त कर सकता है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इस

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बात को कहना चाहता था कि मैं उस लेडी से मिल चुका था और पता लगा चुका था।

श्री भैरोंसिंह : उसके मिलने से कोई इन्क्वायरी हुई हो, ऐसी बात नहीं कही जा सकती।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं ने कहा कि मैं पता लगा चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपने पता लगाने की बात नहीं कही।

श्री उपाध्यक्ष : You will also please see to finish the speech within 15 minutes. It is nearing 15 minutes.

श्री भैरोंसिंह : ५-७ मिनिट और दे दिये जावें।

श्री उपाध्यक्ष : Please resume, I will see to it.

श्री भैरोंसिंह : इस भरतपुर की लेडी हैल्थ विजिटर के मामले को देखा जाए और एक दृष्टि से देखा जाए तो आपको मालूम होगा कि लेडी हैल्थ विजिटर ने चीफ मिनिस्टर के शब्दों में गल्ती की है। मान लीजिये कि उसने गल्ती की तो मैं यह निवेदन करूंगा कि क्या उसकी गलती की सजा देने का यह तरीका है कि उसके पति को पागल बना कर गिरफ्तार किया जाए और कुछ समय बाद जब उसने माफी मांग ली तो उसके माफी मांगने पर उसको ठीक करार दे दिया जाय? यह कौन से रूल्स हैं और किस रूल में है कि इस प्रकार से किसी व्यक्ति को पकड़ा जाय और फिर छोड़ दिया जाय? कौन से कोड में इसका उल्लेख है? यह मैं समझता हूं कि किसी भी कोड में नहीं है और न किसी भी रूल में है। आपको यदि उसको सजा देनी है, यदि उसने किन्हीं रूल्स का उल्लंघन किया है या उसको गल्ती के कारण सजा दी है तो मैं यह कहूंगा कि अवश्य उसकी गलती के कारण उसको सजा दी जानी चाहिये और मैं भी उसके लिये आपके साथ होऊंगा। मगर सजा देने का ढंग यह नहीं है। यह ढंग किसी भी राज्य में, किसी भी सरकार में नहीं है।

मैं तो यह कहूंगा कि वह डाक्टर ज्यादा गुनहगार है। डॉक्टर एक व्यक्ति को ३ तारीख को पागल करार देता है और उसी व्यक्ति को एक बजे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और तीन बजे वापिस वही डाक्टर उसको ठीक करार दे देता है और वह व्यक्ति छोड़ दिया जाता है। क्या उसकी इन्टिग्रिटी में डाउट नहीं किया जा सकता है? मैं समझता हूं कि उस डाक्टर के खिलाफ जिसने ऐसा किया उसके खिलाफ फौरन कार्यवाही की जानी चाहिये। मगर होता क्या है? बिल्कुल उल्टा होता है। उस डाक्टर को कुछ सजा नहीं मिली जिसने कुसूर किया और उस गरीब लेडी हैल्थ विजीटर को सजा मिलती है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं उन माननीय सदस्य का नाम तो नहीं बता सकता, मगर यह कहूंगा कि उधर कांग्रेस की तरफ बैठे एक महानुभाव ने कहा था कि एक डॉक्टर ने किस प्रकार से अपने मातहत का पीछा किया। अपने यहां से जब उस मातहत की बदली हो जाती है तो भी उसने उसका पीछा करना जारी रखा। झुन्झुनूं में जब वह व्यक्ति चला जाता है तो वहां पर भी उसका पीछा किया

(श्री भैरोंसिंह)

और डी. एच. एम. ओ. को लिख कर दिया कि वह उस व्यक्ति को किसी प्रकार से सजा देने की तजवीज करे। माननीय उपाध्यक्ष, क्या यह कोई सरकार के हैड ओफ दी डिपार्टमेंट के लिये उचित बात हो सकती है ? इस चीज को कोई एप्रीशियेट नहीं करेगा। मगर उसको भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से एप्रीसियेशन मिला है। मैं यह कहूंगा कि आपके इस हिन्ट से यह होगा कि जितने भी हैड ओफ दी डिपार्टमेंट हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वे अपने मातहतों को फंसाया करेंगे। अगर आपने इसमें रुकावट नहीं की तो बड़ा अन्याय होगा और जो आशा आप मुझसे करते हैं वही आशा आपसे भी होगी।

फिर कहा यह जाता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ठीक तरह से काम करता है। मगर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की कमेटी है वह बिल्कुल सुपर्फ्ल्युअस है। राजस्थान में माइनिंग डिपार्टमेंट के इंजिनियर एपोइन्टमेंट के बारे में तीन वर्ष से बात चल रही है। प्रार्थनापत्र इन्वाइट किये गये, मगर अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। अभी जो डाइरेक्टर काम करते हैं वे पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं बनाये गये हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात मानें तो एप्लीकेशन इन्वाइट हो चुकी, उन पर निर्णय लेकर किसी की नियुक्ति करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूंगा कि वे कन्फर्म कर लिये गये हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूवड करा लिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरी शिकायत ही यही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की मार्फत नहीं लिये जाते।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बात गलत है। पब्लिक सर्विस कमीशन का एप्रूवल है।

श्री उपाध्यक्ष : You will please proceed.

श्री भैरोंसिंह : यह भी बिल्कुल गलत है। लोगों से एप्लीकेशन्सन मांगी गई और उन पर निर्णय नहीं लेकर इस तरह से किया गया!

छोटे कर्मचारियों के साथ न्याय हो, इस प्रकार की एक समिति बनाई जावे और मैं यह निवेदन करूंगा कि उसका बनाना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष, कई बातें इस सदन में इस प्रस्ताव के सम्बंध में कही गई, उनमें एक यह भी थी कि यह अविश्वास की भावना पैदा करता है। मैं यहां पर यह जिक्र करना चाहता हूँ कि किसी भी दल की सरकार हो, वह प्रजातंत्र के सिद्धांतों का पतिपालन करे और उन सिद्धांतों का पालन करते हुये समाज की सेवा करे, यह मेरी धारणा रहती है। मगर सिद्धांतों के विपरीत कार्य करके कहीं वह सरकार जनता का विश्वास न खो दे....

एक माननीय सदस्य : यह तो इलेक्शन ही बताता है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो पता पर्सेन्टज से लगता है कि कितना पर्सेंटेज कांग्रेस के अगेंस्ट में गया है ?

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि ये अविश्वास की बातें हमारे अविश्वास की

(श्री भैरोंसिंह)

बातें नहीं हैं, यह जनता के अविश्वास की बातें हैं और सरकारी कर्मचारियों में अविश्वास की भावना पैदा करने की बात है। तो जहां जनता में अविश्वास हो, सरकारी कर्मचारियो में अविश्वास हो तो सरकार का यह कर्त्तव्य है कि जो अविश्वास की भावना जनता और सरकारी कर्मचारियों में है उसे खत्म किया जाय और इसका एक यही तरीका है कि उन सरकारी मुलाजिमों के साथ जो ज्यादतियां होती हैं जो उनके साथ अन्याय होता है उनसे उनका पीछा छुड़ाया जाये और उनको सही माने में राहत पहुंचाई जाये।

अब एक बात को लेकर यहां पर कई सदस्यों ने बातें कहीं और मैं समझता हूँ कि इस प्रस्ताव को अव्यावहारी बताने की बात कही थी और इसको अव्यावहारिक बताया गया स्थानान्तरण के मामले में। राजस्थान की सरकार ने एक बार नहीं अनेकों बार इस बात की घोषणा की है कि जिन कर्मचारियों का दो सौ रुपये से कम वेतन है उनका एक जिले से दूसरे जिले में या नहीं और दूसरी जगह स्थानान्तरण नहीं किया जायगा। इस सदन में भी इस बारे में कई बार प्रश्न पूंछे गए और उनके उत्तर में सरकार द्वारा कई बार इस प्रकार के आश्वासन दिये गये हैं, मगर हम आज देखते हैं कि झूठे आश्वासन झूठे उत्तर दिये जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगर कुछ कहूं तो हो सकता है कि वह भाषा की दृष्टि से असंसदीय हो—कई उत्तर माननीय मंत्रियों द्वारा गलत दिये जाते हैं, लेकिन मैं अभी वे सब बातें सदन में प्रस्तुत नहीं करूंगा लेकिन एक शिकायत जरूर है और वह शिकायत यह है कि छोटे छोटे कर्मचारी जिनको हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं, हैं जिनको हम राहत पहुंचाना चाहते हैं, जिनको हम फाइनेन्शियल प्रोटेक्शन देना चाहते हैं उनके ऊपर यदि हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स लागू नहीं कर सकते तो कम से कम नैतिकता की दृष्टि से यह तो हम जरूर ही फैसला कर दें कि वे जल्दी से बाहर नहीं भेजे जांय। यह रूल तो हमें स्ट्रिक्ट बनाना होगा ही कि जिन कर्मचारियों की तनख्वाहें दो सो से कम हैं उनको कतई अपने जिलों से दूसरे जिलों में न भेजा जाय। मैं इसमें कोई अनुचित बात नहीं कर रहा हूं। इसके अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं वैसे सब से ज्यादा आंकड़े तो मन्त्री महोदय के पास ही उपलब्ध हो सकते हैं मिसाल के तौर पर किसी भी एक जिले को ले लें। उस जिले में जिन सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें कम हैं उनमें से कितनों को उदयपुर से झुंझुनू और भरतपुर से बांसवाड़ा और जैसलमेर आदि स्थानों पर भेजा गया है। कइयों का जैसलमेर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जैसलमेर के अन्दर भी कई व्यक्तियों को को भेजा जाता है। जिसको सजा दी जाती है उसको जैसलमेर ही भेज दिया जाता है। हम मानते हैं कि उसको काला पानी के रूप में सरकार समझती है और जिसके साथ थोड़ी भी वैमनस्यता निकालनी होती है तो उसको जैसलमेर ही भेज दिया जाता है। लेकिन उसकी भी तो कोई मियाद होती है। अंग्रेजों के जमाने में भी यह मियाद होती थी लेकिन हमारे राजस्थान सरकार की कोई मियाद नहीं है। हां, अगर राजस्थान में किसी चीज की मियाद है तो ऑफिसरों की है। जो आफिसरों को खुश कर लेते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं और जो अपने ऑफिसरों को खुश नहीं कर पाता, उसने गाड़ी का टिकट कटा लिया

(श्री भैरोंसिंह)

और दूसरी जगह गया। मुश्किल तो उनके लिए है जो खुश नहीं कर पाते। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थानान्तरण की बात को लेकर यह कहा जाय कि यह तो सारा प्रस्ताव जो मैंने रखा है वह अव्यावहारिक होगा और इसके बारे में आगे कहा गया कि इससे फिर बाधायें उपस्थित होंगी, तो उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस समिति का काम यह होगा कि ऐसे नियमों के विरुद्ध बिना किसी खास माकूल वजह के अगर किसी व्यक्ति का स्थानान्तरण किया जाता है या उसके प्रति और किसी प्रकार का अन्याय होता है तो वह कर्मचारी अपना आवेदन-पत्र इस समिति को देगा और फिर वह समिति सरकार के सामने उस कर्मचारी को रिप्रेज़ेन्ट करेगी और सरकार को कन्विन्स करेगी कि इस कर्मचारी के साथ अन्याय हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। यदि किसी अधिकारी ने नियमों के विरुद्ध जाकर कोई गलत तरह के आदेश दे दिए हैं जिनसे कि किसी कर्मचारी की तरक्की, नियुक्ति, स्थानान्तरण अथवा उसकी तनख्वाह आदि पर आघात पहुँचता है, तो यह समिति उस अधिकारी को कन्विन्स करके उस कर्मचारी को उसके अधिकार पुनः लौटायेगी। लेकिन मेरे इस प्रस्ताव को यह कह कर टाला जाय कि यह अव्यावहारिक है तो मैं समझता हूँ कि यह सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय करने का प्रश्न आता है।

तनख्वाहों के बारे में कहा गया और कहा गया कि तनख्वाहों के बारे में क्या शिकायतें हो सकती हैं? मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में राजस्थान के मुख्य मंत्री ही नहीं बल्कि ट्रेज़री बैन्चेज़ के सभी सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्मचारियों के पे फिक्सेशन का काम किस गति से हो रहा है! कितने ही लोगों के एरियर्स सरकार के ऊपर चढ़े हुए हैं और वे अभी तक उनको नहीं दिये जा रहे है क्योंकि अभी तक उनकी पे ही फिक्स नहीं की गई है। मैं आपको बताऊं कि फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट का नहीं हुआ, एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट का बराबर आश्वासन मिलता है; बाकी और कई डिपार्टमेन्ट्स पड़े हैं कि जिनका पे फिक्सेशन का काम समाप्त ही नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी कहा जाय कि तनख्वाहों के बारे में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। मैंने अपने प्रस्ताव में जो तनख्वाह से मतलब जोड़ा है वह यह है कि उन लोगों को, जिनको कि एरियर्स नहीं मिले हैं उन सब को दिक्कतों को दूर करने के लिए जैसा मैंने प्रस्ताव में सुझाया है कि एक समिति बनाई जाये और वह व्यक्ति अपना आवेदन-पत्र इस समिति के सामने प्रस्तुत करेगा। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि जितनी भी ज्यादतियां तनख्वाह के मामले से सम्बन्धित हैं, नियुक्तियों के सम्बन्ध में है, यदि ये ज्यादतियां किसी कर्मचारी पर हों तो वह इस समिति के सामने प्रस्तुत कर दी जायें।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करें। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान सरकार के सिवाय एक दो विभागों को छोड़कर नियुक्ति करने के नियम और किसी विभाग में नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी, अगर मैं इसमें कोई गलत बात कह रहा हूँ, तो मुझे सही करेंगे। किसी भी डिपार्टमेन्ट को ले लिजिए इलेक्शन में नहीं है, कोऑपरेटिव विभाग में नहीं है, पंचायत विभाग में नहीं है, जागीर कमिश्नरी विभाग

Page No.91

(श्री भैरोंसिंह)

में नहीं हैं, इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल विभाग में नहीं हैं, इरिगेशन विभाग में नहीं हैं; इस प्रकार से किसी भी विभाग में नियुक्ति के नियम नहीं बने हैं। अब जागीर विभाग के अन्दर एक सिलेक्शन बोर्ड अलग है, दूसरे विभागों में भी अलग सिलेक्शन बोर्ड हैं; तो जब पब्लिक सर्विस कमीशन है तो फिर यह बराबर के पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों बने हुए हैं ? लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री यह बराबर संकेत करते है और कहते हैं कि यह पब्लिक सर्विस कमीशन की दो साल पहले की रिपोर्ट है। मैं इस बात को मानता हूं, तो इसका मतलब यह हो गया कि आज का काम अच्छा है और पहले का खराब।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप पंचायत के बारे में कह रहे हैं कि पंचायत विभाग में कोई नियुक्ति के रूल्स नहीं हैं। पंचायत के रूल्स तो मेरे पास यहीं रखे हैं। कहिये तो मैं यहां हाउस में ही इनको प्रस्तुत कर दूं।

श्री भैरोंसिंह : कल शायद जिस समय इन्स्पेक्टर की चर्चा यहां हाउस में हुई थी उस समय जवाब नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : यों समय अधिक हो जायगा। आप भाषण जारी रखें।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी कलेक्टिव रेस्पोन्सिबिलिटी है। इस सूरत में उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मैंने जो अपना प्रस्ताव रखा है वह किसी दुर्भावना से नहीं रखा है, सरकारी कर्मचारियों में असन्तोष फैलाने के लिए नहीं रखा है, राजकीय कर्मचारियों को अपनी ओर आकर्षित करने की दृष्टि से इसे नहीं रखा है किन्तु इस दृष्टि से मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि कर्मचारियों के अन्दर अविश्वास की भावना जागृत न हो, सरकारी मशीनरी एफिशियेन्ट हो, प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाये, इसी दृष्टि से मैंने प्रस्ताव रखा है। अतः मैं सदन के माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलायेंगे और यह बतायेंगे कि राज्य सरकार तो नहीं बल्कि विरोधी दल के लोग तो आपके साथ ही हैं।

(विपक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री भैरोंसिंह ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

ना पक्ष जीता। संकल्प गिर गया।

अशासकीय विधेयक

राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेण्ट एण्ड एविक्शन) विधेयक, १९५७

(पुरःस्थापन)

श्री अर्जुनदास : With regard to Bills, with your permission I move it. With regard to, two Bills, No. (1)......

श्री उपाध्यक्ष : I am just looking to the agenda please.

(कुछ विराम के अनन्तर)

श्री अर्जुनदास : With regard to the Bill about Delhi and Ajmer Rent Control......

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले इनका प्रस्ताव आया है इसलिये पहले वह प्रस्ताव लेना चाहिये, उसके बाद में यह आयगा। प्रस्ताव बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव आरम्भ करने से पहले यह आना चाहिये था। चूंकि प्रस्ताव ले लिया गया था इसलिये इसको स्थगित कर दिया। अब इसके लेने के बाद प्रस्ताव ले लिया जायगा।

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी-पश्चिम) : I was only suggesting that I do not propose to move the first Bill with regard to Amendent about Delhi Ajmer Rent Control Act, because the Rajasthan Rent Control (Amendment) Act is coming up. There-fore there is no use moving that.

Then I come down to the other. I beg to move for leave to introduce the Rajasthan premises (Control of Rent and and Eviction) Amendment Bill, 1957, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Is it the leave of the House to allow Shri Arjan Dass to introduce the Bill. As many as are in favour may say 'Aye'

('Aye')

As many as are of Contrary mind may say 'No'

(Silence)

Ayes have it.

The leave, to introduce the Bill, has been granted.

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, आप हिन्दी में बोलें तो हमें भी समझ में आ जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा ख्याल है माननीय सदस्य सदन की प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रख रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग अंग्रेजी नहीं जानते.... ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री अर्जुनदास : Sir, I introduce the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल चौधरी।

३. ५१ म० प०

अशासकीय संकल्प

(ख) मृत्यु-भोज रोकने हेतु विधेयक बनाने सम्बन्धी संकल्प

(वैधानिक आपत्ति के कारण स्थगित)

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव है जो मैं सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ। वह इस प्रकार है, "इस सदन की सम्मति है कि राजस्थान जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये मृत्यु-भोज (मौसर) के उपलक्ष्य में जो धन का अपव्यय होता है उसे रोकने को सरकार एक विधेयक पेश करे।"

(श्री हरिदेव जोशी, सभापति, पदासीन)

श्री बृजमोहनलाल (ब्यावर) : Mr. Chairman, I rise on a point of order.

श्री सभापति : What is that ?

श्री बृजमोहनलाल : This House is not competent to pass any resolution on the subject-matter of this resolution.

Under Article 246, the State Legislature is only competent to pass a legislation on the subjects which are mentioned in the State list or in the Concurrent List, and the subject-matter of this resolution does not fall within the ambit of these lists. As such it infringes the Rules of Procedure. I mean to say Rule 146 reads :—

" Restrictions on contents of resolutions- Sabject to the provisions of the Constitution and of this rule, any member may move a resolution relating to a matter of general public interest :

Provided that no resolution shall be admissible which does not comply with the following conditions, namely :—

(c) it shall not relate to any matter which is not primarily the concern of the State Government: "

Here, Sir, the subject matter of this resolution is to pass a legislation banning "Mrityu Bhoj" which does not fall within the ambit of the State List or the Concurent List and as such the House cannot discuss it because we are not competent to legislate on the subject-matter of this resolution.

श्री मोतीलाल चौधरी (जारो) : अभी मेरे प्रस्ताव के विरोध में वैधानिक आपत्ति उठायी गई है, जो मैं समझता हूं ठीक नहीं है। यह हाउस इस बात के लिये योग्य है कि वह देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कोई भी कानून बनाये सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिये सदन कानून बना सकता है। इसी दृष्टि से मैंने यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा है। ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से धन का अपव्यय करते हैं, वे गलत तरीके से अपव्यय न करें इसीलिये इस प्रकार के कानून की आवश्यकता है।

माननीय चेयरमैन, मेरा प्रस्ताव जो है वह इसलिये है कि हमारे देश की अशिक्षित जनता अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में न रखते हुये भी इस प्रकार के भोज करती है जिसमें धन के अपव्यय के सिवाय कुछ नहीं है। जनता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। आज जब कि हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं वैसी हालत में देश की जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठे, आर्थिक स्थिति ठीक हो, सामाजिक वातावरण ठीक हो, सामाजिक कुरीतियां जो चली आ रही हैं उनको दूर करें; ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिये। आज प्रान्त का हर निवासी यह चाहता है कि हमारे यहां हर प्रकार की उन्नति हो। उस उन्नति

(श्री मोतीलाल चौधरी)

में जिस तरह से योग लिया जा सकता है वह लिया जाना चाहिये ।

३-५७ म० प०

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

आज हम पंचवर्षीय योजनायें बना कर देश की उन्नति कर रहे हैं। किसी भी तरह से हो, कानून के द्वारा हो या अन्य प्रोग्राम के द्वारा देश की जनता की आर्थिक स्थिति को ऊंचा लाने के लिये प्रोग्राम बनाया जाय और उसी के लिये यह प्रस्ताव लाया गया है। पंचवर्षीय योजना की जो रिपोर्ट है उससे हमें यह मालूम होता है कि पहली पंचवर्षीय योजना से हमारी जनता की इन्कम में बीस प्रतिशत वृद्धि हुई है और जब दूसरी पंचवर्षीय योजना का काम पूरा हुआ तो हम यह आशा करते हैं कि आय में बीस प्रतिशत वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति के अन्दर हमें इस तरह के कानून बनाने चाहिये....

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक कॉन्स्टीट्यूशनल पोइन्ट उठाया गया था कि यह सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में नहीं है, वैसी हालत में इस प्रकार का लेजिस्लेशन बन नहीं सकता। मैं जानना चाहता हूं, यह कौन से सब्जेक्ट में आता है ?

श्री अध्यक्ष : आपत्ति क्या थी ?

श्री बृजमोहनलाल : Mr. Speaker, Sir, I may again repeat the point of order. My submission is, Sir, that this State Legislature is not competent to pass a resolution on the subject......

(श्री अध्यक्ष व श्री सचिव के बीच परामर्श)

श्री मुक्तिलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, जब कि यह प्रस्ताव हाउस के सामने आ गया है तो इसको लिया जाना चाहिये। अगर इस प्रस्ताव के पहले कोई रूलिंग आयी होती तो वह मानी भी जा सकती थी, अब यदि कोई रूलिंग होती है तो वह मानी नहीं जायगी।

श्री अध्यक्ष : (श्री बृजमोहनलाल से) Continue.

श्री बृजमोहनलाल : Because you were not hearing, I will just repeat.

श्री अध्यक्ष : I am listening to you.

श्री बृजमोहनलाल : My submission, Sir, is that the State Legislature is not competent under article 246 to pass a legislation on this subject. It can pass legislation in respect of only those matters which fall within the ambit of the State List or the Concurrent List. We cannot pass legislation on those matters which are within the ambit of the Union List. Even in the Union List this matter has not been specifically mentioned.

श्री- अध्यक्ष : Is this item mentioned in the Union List ?

श्री बृजमोहनलाल : It is also not referred to in the Union List and the power of legislation on residuary matters, on those mat

(श्री बृजमोहनलाल)

ters which are not mentioned either in the Union List or in the Concurrent List or in the State List, that power vests in the Centre under article 246 of the Constitution of India.

श्री अर्जुनदास : On a point of order, this point of order could have been raised only before the admission of this resolution.

श्री मोतीलाल चौधरी ; This resolution is meant to improve the economic condition of the people.

श्री बृजमोहन लाल : In the Union List, Sir, item 19 says, "Any other matter not enumerated in this List." Now only the Union Government can legislate on residuary matters by virtue of this schedule and article 246.

श्री अध्यक्ष : Will any other Hon'ble Member want to make an observation on this matter ?

श्री अर्जुनदास : Would the Hon'ble Member raising the point of order show us any provision of law under which we connot discuss it. We are not passing a legislation on this matter at this stage. We are only discussing this resolution. Is there anything to prevent us from discussing the subject ?

(विराम)

He did not follow......

श्री बृजमोहन लाल : I follow your argument. But I may tell you, because we are discussing a matter which does not fall within the State List you cannot pass any legislation, and the subject-matter of this resolution is :

"इस सदन की सम्मति यह है कि राजस्थान की जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये मृत्यु भोज (मोसर) के उपलक्ष्य में जो धन का अपव्यय होता है उसे रोकने को सरकार एक विधेयक पेश करे।"

It means that the recommendation of the House is that the State Government should introduce a Bill prohibiting 'Mrityu Bhoj' which cannot be done under this State List by virtue of article 246 of the Constitution of India which prohibits the State Government from passing any legislation of this nature.

श्री अध्यक्ष : Rule 146 of cur Rules of Procedure also says that it shall not relate to any matter which is not the primary concern of the State Government.

श्री बृजमोहन लाल : That I have already referred to Before the Chairman. I have already referred to rule 146 : It shall not relate to any matter which is not the primary concern of the State Government. Moreover, by article 246......

श्री अर्जनदास : On a point of order......

श्री बृजमोहन लाल : I am referring to Article 246. By implication it means that these rules are subject to such articles of the Constitution, as regulate the business of the House. This question which is before the House is within the competence of the Speaker to decide by reference to the articles of the Constitution and the Constitution specifically prohibits the House to discuss any matter, rather to pass any legislation on a matter which does not fall within the concurrent list or the State list.

I have every sympathy with the subject and I am wholeheartedly in favour of this resolution but in view of the constitutional position I have submitied my views before the House, Sir.

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न उठाया गया है, मेरे ध्यान में इसका फैसला अभी इस वक्त नहीं हो सकता क्योंकि इसके बारे में विचार करना उचित होगा। इसलिये जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव पेश किया है अगर वे चाहें तो यह प्रस्ताव आज न लेकर दूसरा ले लें, इसे अगले दिन ले लिया जावे जब कि नेक्स्ट टर्न होगी।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष, मेरे खयाल से अभी माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई और जो आर्टिकल उद्धृत किया उससे यह जाहिर नहीं होता कि यह इस विधान सभा के अधिकार-क्षेत्र के बाहर है। यह तो आर्थिक स्थिति जनता की सुधारने की दिशा में एक प्रयत्न है। तो जिस प्रथा के कारण देश की जनता की आर्थिक स्थिति खराब होती है, उसे सुधारने का हर लेजिस्लेटर को पूर्ण अधिकार है, ऐसा मैं मानता हूं। मेरी फिर ऐसी भी मान्यता है कि मेरा प्रस्ताव संविधान के विरुद्ध भी नहीं है।

इसके बाद भी अगर आप इसे स्थगित करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि मेरा प्रस्ताव आज पास हो जावे। इसके बाद जो कानून बनने की बात है उस समय अगर ऐसी बात हुई तो एडवोकेट जनरल की राय लेकर प्रस्ताव का ढंग बदलकर सिफारिश के तौर पर इसे भारत सरकार के पास भेज सकते हैं और उससे यह प्रार्थना कर सकते हैं कि वह ऐसा कानून बनाए, अगर वाकई में यह सेन्ट्रल सब्जेक्ट है; ऐसी सब की राय रहती है तो।

मेरे खयाल से तो यह हमारी सीमा के अन्तर्गत है और हमारी विधान सभा प्रान्त की जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने की दृष्टि से इस तरह का कानून पास कर सकती है।

श्री बृजमोहनलाल : श्रीमान्, आपने जो कहा उसमें मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : आपका उत्तर न देकर मैंने जो पूछा उसके लिये उन्होंने कहा है।

श्री मोतीलाल चौधरी : आपका उत्तर नहीं दे सकता। मैं कह रहा था....

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर

Page No.97

(श्री भैरोंसिंह)

इसमें कोई कॉन्स्टीट्यूशनल डिफिकल्टी है तो फिर इसे कल के लिये रखा जावे।

श्री अध्यक्ष : जिस उच्च भावना से यह प्रस्ताव लाया गया है उसकी कद्र करते हैं, पर चूंकि उस पर फैसला अभी तो नहीं हो सकता इसलिए इसमें समय न लगाकर दूसरा प्रस्ताव ले लें तो ठीक होगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यह प्रस्ताव कब लिया जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये, अभी बता देंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी : इसके लिये फिर समय निर्धारित किया जावे तो मुझे आपत्ति नहीं है। उस समय तक वैधानिक दृष्टिकोण से भी पूरी तैयारी हो सकती है और हाउस के अन्य सदस्य भी इसे ठीक तरह देख सकते हैं। आपको अधिकार है, दूसरी तारीख मुकर्रर कर दें।

श्री बृजमोहनलाल : मालूम ऐसा होता है कि बैराठ के जो सदस्य आये हैं अपने वृद्ध माता-पिता की इच्छा मालूम होती है, इससे जल्दी में नजर आते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जो सदस्य ने यह बात कही है, मैंने तो २५ साल पहले ही नुक्ता बन्द कर दिया था और यह भी बता दूं कि राजस्थान में मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने इसका विरोध किया है। इसके लिये भट्टी तक में कूदने की नौबत आई तो कूदा हूँ।

(हंसी)

मुझ पर आक्षेप करते हैं ! प्रस्ताव अगर स्थगित करना था तो पहले लेना नहीं चाहिये था और ले लिया तो फिर वापिस नहीं कर सकते हैं। आज तक पहली विधान सभा के सदस्यों के साथ ऐसा नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो वैधानिक आपत्ति उठाई गई है उसका निराकरण करना सदन का फर्ज है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वह तो पहले करना चाहिये था। बहस होने के बाद में इसकी आपत्ति कैसे मानी जावेगी ? पहले आपत्ति उठाते और उस पर आप कुछ कहते तो मान ली जाती। पर प्रस्तावक ने प्रस्ताव रख दिया और बहस भी उस पर शुरू हो गई, उसके बाद अगर आपत्ति उठाते हैं तो वह कैसे मानी जावेगी ? प्रस्ताव नहीं रोका जाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : इस प्रस्ताव को अगले नोन ऑफीशियल डे पर लिया जावेगा।

४. १०. म. प.

(ग) शहरों में सिटी सर्वे ऑफिसेज की स्थापना सम्बन्धी संकल्प

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी-पश्चिम): Sir, I rise to move this resolution :-

"This House is of the opinion that there should be City Survey Offices for the cities of Rajasthan that shall maintain a register of all immovable properties in the towns having Municipal Committees and keep a complete record of their site plans, boundaries,

Page No.98

(श्री अर्जनदास)

transfers and encumbrances."

Sir, in other parts of India, specially Bombay, I know as a matter of fact, there are offices known as City Survey Offices and the advantage of these offices is that as soon as a person buys any immoveable property information is sent to the City Survey Officer. He keeps a note in his registers about that particular property, whether that property has been sold or mortgaged, and for what amount. And as soon as a mortgagor redeems the mortgage, intimation is sent to the City Survey Officer and he removes or cancels the original entry about the mortgage. As such if anybody buys a property he need not run about the whole city and find out whether the previous owner thereof had mortgaged it, gifted it away or transferred it in any manner. All that which the new purchaser is to do is to go over to the City Survey Officer who will make a little demand of fees and will give him a copy of the record about that property as it exists in his office and thus the new purchasar can easily find out whether the person who poses to be the owner is the real owner on that day; whether the property had been mortgaged or gifted or alienated or what. Without these City Survey Offices in Rajasthan there is a peculiar position. A person who wants to buy a property, whether he will get a right title is not certain. If I want to buy property from Mr. A...

श्री बृज मोहनलाल शर्मा : I rise on a point of order. This matter too does not refer to the functions of the State Government, it refers to the functions of the Municipal Committee which is not the intention of this Resolution.

श्री अर्जनदास : I never said that. I have got to say is absence of knowledge or no knowledge.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : You can say anything that you like.

श्री अर्जनदास : It is lack of knowledge. It only displays, Sir, lack of knowledge. I said in Bombay these City Survey Offices are being controlled by the Government and not by the Municipality.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Wrong instances do not make your case stronger. This Resolution reads, "This House is of the opinion that there should be City Survey Offices for the Cities of Rajasthan that shall maintain a register of all immoveable properties in the towns..."

Who will maintain it ? Moreover, the other provisions of this Resolution are contrary to Rule 146 which reads-"(a) It shall be clearly and precisely expressed, and shall raise substantially one definite issue;"

श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

It raises too many issues about so many municipalities. "maintain a register of all immoveable properties in the towns having Municipal Committees and keep a complete record of their site plans, boundaries, transfers and encumbrances."

श्री अध्यक्ष : It refers to only one issue of City Survey Offices.

श्री बृजमोहनलाल : The State Government is not supposed to Manager the Municipal Committees.

श्री अध्यक्ष : There is no question of managing.

श्री अर्जुनदास : I am sorry for the interpretation from the other side. Either he could not understand or tried to misunderstand himself.

I have nowhere said that the City Survey Offices should be opened by the Mnnicipal Committees. I mean them to be opened by the Government of Rajasthan. In every town having a Municipal Committee there should be a City Survey Office. Of course there can be sub-offices and main offices. It is for the Government to decide, how to have it. It was putting that it is absolutely necessary that there should be some arrangement by which persons who want to buy property should be able to collect information as to wherefrom the property comes, who is the real owner and whether the property has been mortgaged or gifted away or not.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Then the Resolution should have been, sir, that the Government should issue necessary direction to the Municipal Committees to maintain City Survey Offices.

श्री अध्यक्ष : What the hon'ble member means is that the State Government should open these offices and not the Municipal Committees. He wants this Resolution to operate in towns having a Municipal Committee.

श्री अर्जुनदास : As a matter of fact I know that the Municipal Committees cannot discharge such functions, only the State Government can discharge such functions. The City Survey Officer can get information from the Registrar, or Sub-Registrar with whom the particular document of morgage or sale was registered. The procedure is this, Sir; as soon as any document is registered with regard to property in a town then the Sub-Registrar immediately and automatically informs the City Survey Officer. We cannot force him to inform the Municipal Committees. Therefore, my submission is that the Government should make arrangements about City Survey Offices as is being done in

(श्री अर्जुनदास)

the rest of India. Of course, if the present Government desire to shift this duty upon the Municipal Committees, the sub-Registrars could be directed to give this information to the Municipal Committees, but in that case the Government will not have any control over the Municipal Committees; they can fail to perform this duty.

Therefore, according to my submission it is necessary that the Government should make these arrangements. But if the Government feels like transferring this responsibility to the Municipal Committees, I have no objection. The necessity is there and the Government should look after it, Sir.

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव सदन के सामने आया है वैसे तो किसी ने इसका समर्थन नहीं किया हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में मैं अपना दृष्टिकोण रखना पसन्द करूंगा। जो चीज़ इस प्रस्ताव के द्वारा चाही गई है वह यह चाही गई है कि राजस्थान के टाउन्स में सिटी सर्वे के दफ्तर खोले जाने चाहिए जहां पर इस बात का रिकार्ड रहे जो मनकूला जायदाद की डिटेल्स के बारे में हो। बातें जो कही गई हैं........

श्रीमती गंगादेवी : जोर से बोलने का कष्ट करें।

श्री रामकिशोर व्यास :(अपना भाषण जारी रखते हुए) जो सम्पति है, उसके बारे में रिकार्ड रखा जाय। राजस्थान में जितनी लेन्ड्स हैं या तो म्युनिसिपेलिटीज़ को दे दी हैं या पंचायतों को दे दी हैं। वे ही करते हैं। डिक्लेयर्ड लेन्ड्स जितनी हैं वे सब म्युनिसिपेलिटीज़ की हैं। सिटी सर्वे का दफ्तर तो म्युनिसिपेलिटीज़ ही खोल सकती हैं। गवर्नमेन्ट का उससे किसी तरह का सम्बन्ध नहीं है।

अगर आपका यह अभिप्राय हो कि म्युनिसिपेलटीज़ या पंचायतों को हिदायत की जाय कि इस प्रकार का रिकॉर्ड रखे, एक सेक्शन ऐसा खोले कि रिकॉर्ड मेन्टेन करे लेकिन अगर आपका यह अभिप्राय हो जैसा कि आपने बताया कि गवर्नमेन्ट ऐजेन्सीज़ खोले, तो मुझे अफसोस है कि गवर्नमेन्ट यह काम करने को तैयार नहीं है। सम्पति जो है वह म्युनिसिपेलिटीज़ के पास है गवर्नमेन्ट के पास नहीं। सम्पत्ति है वह अनसेफ नहीं है। अगर आप यह स्वीकार करते हैं.... ....

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव का मतलब सिर्फ जमीनों से नहीं है, all immoveable property, buildings and everything.

श्री अर्जुनदास : I referred to private property, not only the Government property but private property also; therefore, the difficult position.

श्री रामकिशोर व्यास: इसलिये गवर्नमेन्ट इस पोजिशन में नहीं है कि इनके तमाम रेकॉर्डस गवर्नमेन्ट मेन्टेन करे, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ और यह निवेदन करता हूं कि यह प्रस्ताव रिजेक्ट किया जाय।

Page No.101

श्री अर्जुनदास : I would only make this request. I would request the Government to make enquiries form the other States in India where City Survey Offices are controlled by the Government.

श्री अध्यक्ष : Kindly accept this suggestion form the hon'ble member. We might make a motion for the recommendatoin to the Municipal Committees to set up such offices.

श्री रामकिशोर व्यास : If we want to postpone it, I have no objection.

श्री अध्यक्ष: Provided you undertake to collect all the information as requested for by the hon'ble member.

श्री रामकिशोर व्यास : We will try to gather the information.

श्री मोतीलाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : So we pass over to next Resolution.

श्री मोतीलाल चौधरी : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मेरा प्रस्ताव जो मैं लाया था ऑलरेडी मूव हो चुका था। ...

श्री अध्यक्ष : किस बात का पोइन्ट ऑफ ऑर्डर ? आपका प्रस्ताव हमने छोड़ दिया। It is not before us, not before the House.

श्री मोतीलाल चौधरी : जो आपत्ति उठाई गई थी और जिस कारण उठाई गई वह कारण मिल गया है ...

श्री अध्यक्ष : That matter has been disposed of so far as this sitting is concerned.

४.२३ म० प०

आयुर्वेदिक चिकित्सा को राष्ट्रीय पद्धति घोषित करने सम्बन्धी संकल्प

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, मैं निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूँ :

"इस सदन की यह सम्मति है कि राज्य में आयुर्वेदिक चिकित्सा को राष्ट्रीय पद्धति घोषित किये जाने के हेतु केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की जाय" ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प आज सदन में काफी विलम्ब से प्रस्तुत हुआ। यह संकल्प हम कम से कम, जब संविधान का निर्माण करने जा रहे थे, उस समय ही प्रस्तुत करना चाहिये था लेकिन संविधान के निर्माण के समय हम इसे प्रस्तुत नहीं कर सके। इसलिये अब यह आवश्यक है कि हमें यह स्वीकार करना चाहिये। किसी देश के अन्दर राष्ट्रीयता लाने के लिये उसकी वेष-भूषा और भाषा जरूरी होती है, उसी प्रकार एक चिकित्सा-पद्धति भी ली जाती है। राज्य को स्वस्थ रखने के लिए और उसमें स्वास्थ्य प्राप्त करने और रहने के लिये एक चिकित्सा पद्धति होती है और उसके लिये ही हमने यह संकल्प रखा है। मैं माननीय सदस्यों से और मन्त्री मण्डल के सदस्यों से निवेदन करूंगा वे इस संकल्प को स्वीकार करें। आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित क्यों किया जाय, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा।

(श्री बहादुरसिंह)

आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति वह पद्धति है जिसमें भारत में प्रचलित सारी चिकित्सा पद्धतियें आती हैं । आयुर्वेद के बारें में आचार्यों ने कहा है :

आयु कामय मानेन धर्मार्थ
सुख साधनम् ।
आयुर्वेदोयदेशेषु विधेयः
परमादरः ॥

इस प्रकार आयुर्वेद की परिभाषा करते हुए ऋषियों ने कहा है कि आयु के लिये किये गये समस्त उपायों को आयुर्वेद कहते हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एलोपेथिक, होमियोपेथिक आदि जितनी चिकित्सा प्रणालियां चलती हैं मैं उनमें से किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यह कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद पद्धति में उन सब पद्धतियों का समावेश है इसलिये यह पद्धति इस युग की है और इसे राष्ट्रीय पद्धति घोषित किया जाय । साथ ही यह आवश्यकता पड़ गई कि हमारी राज्य सरकार की नीति आयुर्वेद के लिये इस प्रकार की है, जैसे एक अछूत के लिये होती है । आयुर्वेद पद्धति के लिये जो बजट स्वीकार किया जाता है उसमें इतनी कम रकम रखी जाती है उससे आयुर्वेद वाले कोई काम नहीं कर सकते और आयुर्वेद विभाग को अच्छी तरह से नहीं चला पाते। यदि आप जयपुर आयुर्वेद विद्यालय में जावें तो वहां न तो आपको आतुरालय मिलेगा और न विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन करने के लिये कोई औषधालय ही है और न शारीरिक शिक्षण के लिये शवच्छेद का कोई प्रबन्ध ही है । इस प्रकार आयुर्वेद के क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था लाने के लिये मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है । इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता । लेकिन निवेदन करूंगा कि सारे ही सदस्य इसे स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष : No more champions of Ayurveda ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन में जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और समर्थन इस आशा से करता हूँ कि वे इस प्रस्ताव को वापिस लेने का कष्ट नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर यह आम चर्चा बनी हुई है कि आजकल हमारी सरकार की ओर से मेडिकल व्यवस्था जो की गई है वह अपर्याप्त है । हमारी सरकार ने इस सदन के अन्दर कई बार आश्वासन दिया है कि राजस्थान के अन्दर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाया जायगा और इस सम्बन्ध में जिस प्रकार की भी तरक्की के लिये व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी वह व्यवस्था की जायगी । लेकिन जब हम राजस्थान का बजट देखते हैं और बजट के साथ साथ हमारी सरकार की नीति देखते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि सरकार जिस प्रकार की बातें कहती है उन बातों को कहने में और करने में एक विशेष प्रकार का अन्तर है ।

अध्यक्ष महोदय, आज इस चीज से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आयुर्वेद पद्धति का अपना एक विशेष प्रकार का महत्व रहता है और उस विशेष प्रकार के महत्व को हम गौण समझने की चेष्टा करें तो मैं समझता हूँ कि इस पद्धति के प्रति एक प्रकार का अन्याय होगा । लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से इस पद्धति के लिये जितनी भी

(श्री भैरोंसिंह)

बातें कही जाती हैं उनमें विशेष तौर पर ऐसी चीजों का उल्लेख होता है जिनके द्वारा हमें यह आशा नहीं होती कि हमारे यहां आयुर्वेद का विकास होगा ।

अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की गरीब जनता के लिये यह आवश्यक है कि हमें यदि इस गरीब जनता को किसी प्रकार से राहत देना है तो वह राहत सस्ती और सुलभ होनी चाहिये । आज जिस प्रकार की व्यवस्था है, डॉक्टर्स के हाथों में एलोपेथिक ट्रीटमेन्ट में जो व्यवस्था की जा रही है वह व्यवस्था अपने एक हिस्से में काफी सफल हुई है और वह हिस्सा आता है सर्जरी का । लेकिन यह सर्जरी एक विशेष प्रकार की चीज है, इस बात को लेकर हम पूरी आयुर्वेदिक पद्धति को गौण करें, यह बात नहीं होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने अब की बार जो अपना बजट प्रस्तुत किया है उसके द्वारा यह आभास मिलता है कि हमारी सरकार चाहती है या नहीं, यह दूसरी बात है । लेकिन चाहने के बावजूद भी बजट में इसके लिये फंड्स एलोट न करना इस बात का निश्चित रूप से आभास देता है । राजस्थान के इस विभाग के मन्त्रीजी और मुख्य मंत्रीजी जिस समय आयुर्वेद सम्मेलन में भाग लेते हैं और सम्मेलन का उद्घाटन करते हैं उस समय वैद्यों के सामने बड़ा जोशीला भाषण देते हैं और कहते हैं कि राजस्थान में यदि कोई चिकित्सा पद्धति जनता की सेवा कर सकती है तो वह आयुर्वेद पद्धति ही है, लेकिन इसका विकास करने की आवश्यकता है । इस विकास की बात को कह कर अभाव दर्शाया जाता है । मैं मानता हूँ कि आयुर्वेदिक पद्धति आज किताबों में निश्चित रूप से है लेकिन उन किताबों को देख कर उस पद्धति का विकास किस प्रकार हो सकता है, इसके लिये काम करने वालों की कमी नहीं । आज वैद्य भी एलोपेथी के ट्रीटमेंट को काम में लेते हैं लेकिन विकास का जहां तक प्रश्न आता है, यह प्रश्न सीधा सरकार से सम्बन्ध रखता है । विकास के लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूँ कि जब तक हम इन सारी चीजों का अन्वेषण करने की तकलीफ नहीं करेंगे, अन्वेषण करने की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक आयुर्वेदिक पद्धति पनप नहीं सकती । आयुर्वेदिक पद्धति के दवाखाने ज्यादा खोल दिए जायं, इससे इसका उत्थान नहीं हो सकता, ज्यादा वैद्यों को नौकरी मिल जाय, इससे सेवा नहीं हो सकती, सेवा इससे होगी कि एलोपेथी ट्रीटमेंट को आज आयुर्वेदिक पद्धति से परास्त कराया जाय । वह उस समय ही हो सकता है जिस समय एनेलाइसिस के आधार पर कहें कि एलोपेथी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से मंहगा है । यदि एक व्यक्ति में कीड़े पैदा होते हैं तो आयुर्वेद का सिद्धान्त है कि उन कीड़ों को मारने के लिए और कीड़े पैदा किए जायं । दूसरे कीड़े पैदा होते हैं, वे ताकत को बराबर रखते हैं । यह खतरा अवश्य रहता है कि उन कीड़ों को मार कर वे बड़े रूप में पैदा हो जायं । मैं ऐसा समझता हूं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पोज़िटिव ट्रीटमेंट होता है, जो शरीर में कीटाणु पैदा होते हैं, उनको समाप्त करने की व्यवस्था है, यह चीज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में मिलेगी....

एक माननीय सदस्य : मैंने कहा वह एनलाइसिस के ऊपर है ।

(हंसी)

Page No.104

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का हर्ष है कि जिस तरह श्री मुक्तिलाल मोदी को रस का ज्ञान है, वैसा मुझे आयुर्वेदिक का ज्ञान नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था कि हमें आयुर्वेदिक पद्धति के विकास के लिये एक विशेष प्रकार की योजना बनानी पड़ेगी और उस योजना के द्वारा यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि राजस्थान में कौन कौन सी जड़ी-बूटियां हैं, राजस्थान में कौन कौन सी चीजें हैं, जो सस्ती मिल सकती हैं और उनके एनेलाइसिस के द्वारा यह देखना पड़ेगा कि रोगी को रोग से मुक्त कर सकती हैं? अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न आता है कि आयुर्वेदिक जानने वाले लोग कहते है कि आंवला सर्व गुण सम्पन्न है। वैद्य कहते हैं कि आंवले में जो भी गुण होने चाहिये वे गुण हैं। उनको कन्विन्स कराने के लिए ऐसे साधन हों, जिन साधनों के द्वारा वे कह सकें; एलोपेथिक दृष्टि से और केमिकल एनेलाइसिस की दृष्टि से कह सकें कि आंवले में इतने गुण हैं और इतने गुणों की कमी है। यह व्यवस्था करने का काम वैद्यों के ऊपर नहीं है, आयुर्वेदिक विभाग के ऊपर नहीं है, सरकार इस काम में इनीशियेटिव ले, इस प्रकार की प्रयोगशालायें और केमिकल एनेलाइसिस की व्यवस्था करे, उस व्यवस्था के द्वारा आयुर्वेदिक पद्धति पर समाज में विश्वास जम सकेगा, लेकिन यहां अविश्वास का भाव रहता है। जब तक लोगों के दिमाग में उसकी सच्चाई को साबित करने की चीज नहीं हो, काम नहीं हो, तब तक आयुर्वेद का विकास नहीं हो सकता। मैं निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट के विकास के लिये एक बात की ओर ध्यान देना होगा, इस बात की हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी कि राजस्थान में आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा हम लोगों की ज्यादा सेवा कर सकें। एलोपेथी के डॉक्टर जो बाबू कहाते हैं, वे गरीबों से बात करने में अपनी हेटी समझते हैं, वे डाक्टर हेटी नहीं समझते, जिस समय उनको पैसा मिल जाय। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होगा, वे पुड़िया का इलाज चाहते हैं, ऐसी सूरत में डाक्टरों के द्वारा रोगियों की सेवा कैसे हो सकती है? केवल जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, वे व्यक्ति इन दवाओं से फायदा उठा सकते हैं। यदि आप बाहर गांवों में जायं तो वहां काली मिर्च से, सोंठ से, पीपर से इलाज होता हुआ नजर आयेगा। इसका मतलब यह होगा कि आज की व्यवस्था के अन्दर आयुर्वेदिक के प्रति अरुचि है, और इसी भाव के कारण मोटे मोटे लोग एलोपेथी का पालन करते हैं। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह देशी दवाओं को प्रोटेक्शन दे और इस पद्धति के विकास की बात करे। अध्यक्ष महोदय, आज से कुछ दिन पहले उदयपुर में वैद्यों का एक सम्मेलन हुआ, उसके अन्दर कई प्रस्ताव पास हुए थे। सरकार के सामने भी एक पोज़िटिव प्लान रखा गया था, उसके द्वारा मांग की गई थी कि इन सारी चीजों को बटोरने के लिये, बटोरने के बाद केमिकल एनेलाइसिस के लिए, एलोपेथी में जैसे सर्जिकल भाग है, उसको किस तरह अडॉप्ट किया जा सकता है, उसके लिए राय देने के लिए कहे और उसको फिर अमल में लाने के लिये सरकार पैसा दे और पैसा देकर व्यवस्था करे। लेकिन सरकार की ओर से, मैं समझता हूँ, मौन धारण किया गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि उधर के बैठने वाले सदस्य ने इस प्रकार का प्रस्ताव रख कर यह प्रार्थना की है :

(श्री भैरोंसिंह)

"किस सदन की यह सम्मति है कि राज्य में आयुर्वेदिक चिकित्सा को राष्ट्रीय पद्धति घोषित किये जाने हेतु केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की जाय।"

मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार आयुर्वेदिक पद्धति को राष्ट्रीय पद्धति करार दिलाने का काम करती है तो इससे राजस्थान की गरीब जनता को निश्चित रूप से फायदा होगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कितना ही दबाव पड़े, वे अपने प्रस्ताव को वापिस न लें। यदि उन्होंने प्रस्ताव वापिस लिया तो आयुर्वेद के प्रति जो श्रद्धा की बात कहते हैं, वह अश्रद्धा की बात होगी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह प्रस्ताव जो सदन के समक्ष आया है....

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष : (श्री मोदी से) मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे बैठ जायं। बहस दूसरी बात पर चल रही है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं बाद में आपकी बात सुनूंगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्षजी ने कहा था कि इस सेशन में मौका दे दिया जायगा। जो प्रस्ताव मोतीलालजी चौधरी ने रखा, उसके लिए कानून की किताब में मिल गया है कि वह प्रस्ताव रखा जा सकता है। वह प्रस्ताव कब रखा जायगा, आप दिन बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायं, विषय दूसरा है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह कहा था कि इस सेशन में उसे ले लेंगे, आप आश्वासन दे दीजिये, हम आश्वासन मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनराय नागर।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प सदन के सामने है, मैं मानता हूं कि वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यद्यपि जिस रूप में संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया है उसमें कई एक ऐसी स्थितियां हैं जिन पर हमें गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा लेकिन जहां तक विषय का सवाल है, मैं इसे आज हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मानता हूँ। आयुर्वेदिक विभाग राजस्थान का क्या करता है, क्या नहीं करता है इससे तो इस विषय का भी उतना सम्बन्ध नहीं है लेकिन आज भारतवर्ष में आयुर्वेदिक पद्धति के विकास का राष्ट्रीय आधार पर महान् सवाल है। मैं समझता हूं कि वह हम सब लोगों के लिए न केवल सोचने का सवाल है लेकिन प्रेरणा का और आगे इस मामले को कैसे बढ़ायें, यह सोचने का विषय है। अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में इस समय दो बड़े आन्दोलन चल रहे हैं; एक तो आन्दोलन इस आयुर्वेदिक पद्धति को

Page No.106

(श्री जनार्दनराय नागर)

विकसित करने का और दूसरा सारे भारतवर्ष में इस नई चिकित्सा पद्धति को नया रूप दिलवाने का है। यदि भारत के राज्यों को लें तो सब जगह एक ही आवाज सुनाई पड़ती है। आयुर्वेदिक पद्धति के बारे में जो केन्द्रीय सरकार की नीति है और उस नीति की छाया स्वरूप राज्य सरकार की नीतियां हैं, वह नीति संतोषकारक नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपको बता देना चाहता हूं कि हम भारतीय आयुर्वेदिक के प्रति श्रद्धा रखते हैं, हमारे मन में आज इस तरह की कोई दलील नहीं उठ सकती। आज आयुर्वेद की मौजूदा स्थित क्या है, हमारी राज्य सरकारें अन्धकार में है; जो आयुर्वेद के बारे में कहती हैं कि आयुर्वेद विकसित नहीं है, आयुर्वेद का विकास होने की आवश्यकता है और एलोपैथी का विकास हो गया है। मैं, अध्यक्ष महोदय, नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा राज्य वस्तु स्थिति से परिचित नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद को पनपाने के लिए, इसके विकास का आन्दोलन दो-तीन साल से नहीं, मुझे याद है, भारतीय राष्ट्रीयता के आन्दोलन के साथ साथ दो राष्ट्रीय आन्दोलन, एक शिक्षा पद्धति का आन्दोलन किया तथा दूसरा आयुर्वेद के पुनरुत्थान के लिए भी बराबर प्रयत्न किया। यहां तक कि महात्मा गांधीजी ने आयुर्वेद के अपने जीवन में अनेक प्रयोग किये। अतः यह कहना कि आयुर्वेद के विकास के लिए भारतीय जनता ने, भारतीय वैद्यों ने प्रयत्न नहीं किया, मैं मानता हूं कि यह सरल अज्ञान है उन लोगों का। मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में आयुर्वेद के बारे में जो नीति चल रही है, और जिसके सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में, खास कर हमारे राजस्थान में आयुर्वेद के लिए राज्य की नीति है, उसके मूल में आयुर्वेद के प्रति शंकाशील अश्रद्धा है। "अश्रद्धा" शब्द बुरा मालूम हो तो उसे मैं बड़ी नम्रता के साथ वापिस लेने को तैयार हूं और इसके बदले गीता का वाक्य रखना चाहता हूं: संशयात्मा हैं। 'संशयात्मा विनश्यति।' गीता में कहा है कि जो संशयात्मा है उसका विनाश अवश्यंभावी है। आज इस संशय की प्रवृत्ति से न मालूम जनता की ज्योतियों को किस प्रकार दबाया गया है और मंद किया गया है। आज शास्त्रों का सवाल आता है तो संशय प्रकट किया जाता है, वेदों का सवाल आता है तो संशय प्रकट किया जाता है, नवीन शिक्षा पद्धति के बीजारोपण का का सवाल आता है तो संशय प्रकट किया जाता है, आयुर्वेद के विकास और उत्थान का प्रश्न आता है तो संशय प्रकट किया जाता है, अवैज्ञानिकता की दलील से। छांदोग्योपनिषद में एक मंत्र आता है कि जो अधिक विद्यावान् बनने की कोशिश करता है वह अधिक अंधकार कूप में गिरता है। एलोपैथी और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अधिकारों की बात आती है तो मैं समझता हूं कि एलोपैथी नष्ट करने की चीज नहीं, उसके आधुनिकतम प्रयोग हैं, इसके साथ ही उसके अधिकार हैं। पर जो आयुर्वेद की सैकड़ों वर्षों से की साधना और आराधना है, सैकड़ों सदियों से आयुर्वेद ने हमारे देश में जीवन व्यवस्था की है, उसे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में गये

(श्री जनार्दनराय नागर)

साल अखिल भारतीय डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस हुई और उसने प्रस्ताव पास किया कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता नहीं दी जाय, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को समाप्त कर दिया जाय, आयुर्वेदिक औषध फर्मों को चलाने की आवश्यकता नहीं, इस चिकित्सा पद्धति को पैसों से सहायता नहीं दी जाय। यह आयुर्वेद पर उन्होंने आक्रमण किया है और उनको एक भय था कि राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का विस्तार हो। राजस्थान सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अधिक द्रव्य दिया तो निश्चय ही वैद्यों में ज्ञान, बल और प्रतिभा मौजूद है; आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति आज नहीं तो १० वर्ष में निश्चित रूप से विकसित होकर रहेगी और आज डॉक्टरों को लाखों करोड़ों के द्रव्य की जो सहायता दी जाती है और डॉक्टर लोग सुसज्जित होकर चमक-दमक के साथ अस्पताल में जाते हैं, कार्य करते है, उन लोगों को यह भय है कि वैद्यों को अपने पूर्वजों से मिली हुई जो प्रतिभा है, उनको अगर धन से प्रोत्साहन दिया गया, विकसित होने दिया तो वह दिन दूर नहीं कि भारत में एलोपेथी चिकित्सा पद्धति का अभाव होगा और भारत अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति स्वीकार करेगा।

जब हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रश्न आता था तो इसी प्रकार का सन्शय प्रकट किया जाता था। जो लोग अंग्रेजी का प्रचार करना चाहते थे वे यह कहते थे कि हिन्दी भाषा और उसका साहित्य विकसित नहीं है। यही दलील आज आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में दी जाती है कि यह अवैज्ञानिक है, आधुनिकतम नहीं है, अपूर्ण है। पर उन्हें ज्ञात होना चाहिये कि जामनगर में आयुर्वेदिक परीक्षण और गवेषणा के लिये गवेषणा केन्द्र भारत सरकार ने चालू किया है। आयुर्वेद में प्राचीन जड़ी-बूटियों का विधान है। चिकित्सा के बारे में नुस्खों का विधान है, इस गवेषणा केन्द्र में इनके यथाविधि परीक्षण हो चुके हैं। इस सदन के माननीय सदस्य जामनगर में जाकर देख सकते है इस गवेषणा केन्द्र के अध्यक्ष, प्राणजीवन मेहता हैं जो आयुर्वेद के प्रकाण्ड पण्डित और एलोपैथिक के निष्णात् हैं। जामनगर में जो यह प्रयत्न किया गया है वह इस बात का प्रमाण है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हमारे यहां अच्छी तरह से काम कर सकती है। तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का हम राष्ट्रीय स्तर पर विकास क्यों न करें? आज समस्त भू-मण्डल पर सारी जनता अपने यहां की, अपनी अन्तरात्मा की ज्योति को खोज रही है। आज अमेरिका में अमेरिकन वैज्ञानिक अमेरिकन शिक्षा प्रणाली की में लगे हुए हैं, अमेरिकन विज्ञान की खोज में लगे हुए हैं, अमेरिकन चिकित्सा पद्धति और भिन्न भिन्न अमेरिकन ढंग की खोज में लगे हुए हैं, अमेरिकन पद्धतियों का आविष्कार करने में अमेरिकन निष्णात् लोग लगे हुए हैं............

श्री अर्जुनदास : None is able to follow here.

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय अध्यक्ष, इसी प्रकार रूस में, इंग्लेन्ड में और अन्य राष्ट्रों में जाइये, वहां के निष्णात् लोग अपने यहां के प्रयोगों की खोज में अपनी प्रतिभाओं की तलाश में लगे हुए हैं, भारतवर्ष भी अपनी आत्मा की तलाश में लगा

(श्री जनार्दनराय नागर)

हुआ है; इसके लिये सबसे बड़ा मार्ग है, यात्रा मार्ग है वह आयुर्वेद का, दीर्घ जीवन का, स्वास्थ्य का। वेदों में कामना की है शत् वसन्त तक जीयें; शत् शरद तक फलने-फूलने और जीने का कामना की है, आकांक्षा की है। वैसे हमारा दीर्घ जीवन का भाव अत्यन्त प्राचीन है, पुरातन है। जितनी पुरातन यह भारतभूमि है उतना ही पुरातन आयुर्वेद है। इसके प्रति हमने यदि श्रद्धा नहीं रखी, आयुर्वेद के विकास के लिये अगर हमने प्रयास नहीं किया तो हम अपने देश के प्रति, अपने देश की प्राचीनतम विभूतियों के प्रति ही नहीं बल्कि अपनी अन्तरात्मा के प्रति भी पूरा विश्वास करने को तैयार नहीं हैं।

आजाद होने पर हमने पश्चिम के उपकरणों को अपना लिया है। अपनी आत्मा की, अन्तरात्मा की ज्योति को, सम्पूर्ण चेतना को, गौरव को खोना शुरू कर दिया है। हमारी संस्थाएं धीरे धीरे पाश्चात्य संस्थाएं बनती जा रही हैं, जो आगे जाकर हमारी आत्मा के खिलाफ एक प्रकार का विष उत्पन्न करेंगी।

श्री अर्जुनदास : On a point of order, I was only.........

श्री जनार्दनराय नागर : आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय स्तर पर मानने के लिये........

श्री अर्जुनदास : On a point of order............

(श्री नागर के बैठ जाने पर)

श्री अध्यक्ष : He has finished.

श्री जनार्दनराय नागर : What was the point of order ?

श्री शोभानसिंह : Mr. Speaker Sir, because the Speaker said he has finished, I began to speak.

श्री जनार्दनराय नागर : I have not finished.

श्री अध्यक्ष : जल्दी खत्म करें।

श्री जनार्दनराय नागर : आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करवाने का प्रश्न है, वहां हमें यह भी देखना है कि कौन कौन लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के विरुद्ध हैं। राजस्थान में एक ऐसा मंडल है डाक्टरों का जो आयुर्वेदिक पद्धति से विरोध रखता है, उनका मत है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति वैज्ञानिक नहीं है; पूरी नहीं है, अपूर्ण है।

जहां तक हमारी राजस्थान सरकार का प्रश्न आता है, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार में इस सम्बन्ध में साहस आने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं, कुछ रुपया आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के लिये रखा गया है; पर जहां एलोपैथी के लिये, मेडिकल विभाग, डाक्टरों, दवाइयों और होस्पिटल्स पर साढ़े छः करोड़ रुपया रखते हैं, वहां आयुर्वेद में, श्रद्धा रखने वालों को खुश करने के लिये २,३०,००० रुपया रखा गया है। हमारे मन्त्री आयुर्वेद में श्रद्धा रखते हैं, पर दवाइयों के लिये कहा जाता है कि अंग्रेजी दवाइयां तुरन्त प्रभाव कर देती हैं। पर अंग्रेजी दवाइयों का इतिहास देखें तो वे प्रयोगवादी हैं। प्रयोग की दृष्टि से एक दवा दो वर्ष चलती है। इसके बाद उसके स्थान पर दूसरी दवा आ जाती है।

(श्री जनार्दनराय नागर)

पेनेसिलीन, एम्प्रो और बी० सी० जी० आदि दूसरी दवाइयां को देखें, एलोपेथी में एक-डेढ़ साल बाद नई औषधि का निर्माण होता है। मैं मानता हूं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में प्रयोग की कमी है। कहा जाता है कि वैद्य कुछ करके बतायें। पर प्रश्न यह है कि हम करें कैसे ? हमें केवल ७ लाख, १० लाख या २० लाख रुपया आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के लिये लगाते हैं। आप अगर कोई आयुर्वेदिक औषधालय खोलेंगे तो २५००० रुपये से ज्यादा की कल्पना नहीं की जाती किन्तु जहां एलोपेथी के होस्पिटल्स खोले जाते हैं तो लाखों की कल्पना की जाती है। आयुर्वेदिक औषधालयों में रोग शय्याएं हैं, उनमें पुष्प बिछे हुए नहीं मिलेंगे, खटमल मिलेंगे। जब मकान का प्रबन्ध नहीं, औषधि का प्रबन्ध नहीं, दिल में तमन्ना नहीं; बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ायें, जो वैद्यों के मित्र हैं, मुझे ही थोड़ी देर के लिये वैद्य मान लीजिये। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का कैसे उत्थान हो ? आयुर्वेद के उत्थान के लिये दवाइयों के बड़े बड़े संग्रहालय चाहिये, इसके ज्ञान के लिये ग्रंथ चाहिये, दवाइयों के वितरण के लिये सहायता और उचित सामग्री चाहिये। महज सामग्री देना, उपकरण देना और प्रोत्साहन देने के लिये थोड़ा सा द्रव्य देना, इसी से आयुर्वेद का विकास नहीं हो सकता। इसके लिये हमें (वैद्यों) को भारत सरकार के साथ या राजस्थान सरकार के साथ मिलना पड़ेगा। हमें अपनी आत्मा से पूछना पड़ेगा कि क्या हमें आयुर्वेद के द्वारा जन-कल्याण करना होगा, अंत में मैं....

श्री अर्जुनदास : On a point of information, Sir, is the Hon'ble Member supporting or opposing the resolution ?

श्री जनार्दनराय नागर : मुझे अफसोस है।

श्री अध्यक्ष : He is just telling you.

श्री जनार्दनराय नागर : I submit that this cannot be any order: whether a point of order or a non-point of order. अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस रूप में मेरे मित्र ने यह प्रस्ताव रखा है मैं समझता हूं कि वह अखिल भारतीय आधार पर रखा जाना चाहिये। जब तक पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती ऐसा प्रस्ताव उचित नहीं। मगर मैं यह अवश्य कहूँगा कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठा कर समस्त भारत की और आयुर्वेद की सेवा की है। मैं कुछ व्यवहारिक कारणों से सदन इस तरह का प्रस्ताव पास करे कि आयुर्वेदीय चिकित्सा को राष्ट्रीय पद्धति घोषित किए जाने के हेतु केन्द्रीय सरकार से या राजस्थान सरकार को सिफारिश करे तो यह आज जाहिर बात है कि यह समय से पहले की बात होगी। अभी समय नहीं आया है। समय आ रहा है, जब समय आएगा तब सदन में हम आगे आकर इसके लिये सिफारिश करेंगे। जब तक हमारे प्रत्येक साधनों का पूरा पूरा पता नहीं लग जाए तब तक सिफारिश करना उचित नहीं होगा। इसलिये मैं टेक्निकल दृष्टि से इस प्रस्ताव का साथ देने में मजबूर हूं। लेकिन जहां तक आयुर्वेद की प्रगति, आयुर्वेद के विस्तार और इसको आगे बढ़ाने का प्रश्न है, मैं पूरे तौर से इसके साथ हूं।

Page No.110

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): Mr. Speaker, Sir, I hope the supporters of the Ayurvedic system will excuse me if I bit speak against it or tread a different line. At least to my mind it was not clear that the resolution is for nationalisation of the Ayurved system. They were intermingling the issues. It was more an appeal to the sentimental past rather than to an assured future. What I find today, that as the Hon'ble Member spoke in Hindi, the national language, he gave references to the past, to the great past culture of India. I am not one of those believers. I do not believe in the past golden age of history. It might have existed in the History books. I am one of those who believe that past is only an inspiration, an inspiration to a certain future action. We are today living in a scientific age. Everything must be analised. We must have an objective and we must be able to arrive at certain results. When there are no scientific analysis of a certain system, when we cannot analyse it scientifically, and we advocate it ? We are living in an age of hydrogen bombs, nuclear tests are taking place and we give reference either of the Chariot Age of the Mahabharat or of Ram Rajya. How you can progress ? We must think that we have to progress and come to the standard of living of other countries. Thus to-day if we say that our age is of an age of bullock carts, a glorious age, therefore we must not have motor cars ? It is, may be, a sentimental argument, but on this account we cannot advocate the case for Ayurved system.

Moreover, the question arises, why should Ayurved be nationalised. Why not Unani ? Both these systems were flourishing side by side in our country because we remained under the Moghul Empire, in the moghul period. That was a better medicine also. Now if you ask for one of them only, namely Ayurved, why not Unani also ? And I may tell you, both these medicines were never permitted to reach the small classes by the Vaids. They were never taken by the poor people. The Ayurved vaids and all these people catered to the wishes of the Rajahs and the Nawabs, with the result that this system gradually died away and Allopathy came in, because the 20th century science belives in mass production, in the production for the betterment of the humanity, not for individuals. Our systems, they flourished- the Indian literature, the Indian music, the Indian medicine, whichever system, flourished in our country, flourished on the wishes of individuals. While in the West the systems flourished the litrature flourished, not for individuals but for the masses. We must have a system, that is suitable to our masses. It may be good sentimentally- you may

(श्री श्रीमानसिंह)

condemn me, but I am still of the view that we may certainly bring Hindi to the level of our national language, but by that we will be closing all avenues for our literary devolopment. Hindi literature may be rich...... it is not rich enough.

श्री जनार्दनराय नागर : Who says?

श्री श्रीमानसिंह : I say it. When I am occupying the floor, whatever I am saying you can take it from me. Now Hindi must be there. But if we want to progress, we want to compete with the West, we want to make strides, and we want to bring Hindi ? How, where in Hindi, in which system(अश्रव्य)at least I know the Mahabharat and all these things. Agni Bans - we may compare them certainly, we may call these hydrogen bombs, but where is the formula of making them ? I want the formula...

श्री जनार्दनराय नागर : Have you studied the Mahabharat ?

श्री श्रीमानसिंह : You tell me the formula, that this is the process of making it. Well you may show how he destroyed it. But I want to know the process of making it. So past may serve us. It may give us inspiration. But it is only an indication as to how we should make our future. Ayurvedic system, it should be developed. I do not deny the devolopment of Ayurved, but we cannot do away with all other medicines. If we do that, it will be a very wrong step. Ayurved should be helped. But if we nationalise Ayurved and condemn Allopathy we will be very wrong. If it is just an appeal to the sentiments, it may be good. In the past we had these things. But what about future ? The question is about future. In future the Ayurved system......

अनेक माननीय सदस्य : Time is over.

श्री अध्यक्ष : इस संकल्प पर अब वाद-विवाद समाप्त होता है। एक संकल्प तो आपके सामने है....

श्री अनोपसिंह : Sir, as the subject is of a very interesting nature and there are so many people to speak, I think we can keep it for further discussion on the day we are resuming.

(वाद-विवाद स्थगित हुआ)

सिटी सर्वे ऑफिसेज की स्थापना सम्बन्धी संकल्प

श्री अध्यक्ष : Now we come back to the resolution which was moved regarding City Survey Offices. I think in view of the assurance given by the Hon'ble Minister the Hon'ble Member moving the resolution would like to withdraw it.

श्री अर्जुनदास : I think, Sir, a suggestion was that it should stand to the next session. In the

(श्री अर्जनदास)

meantime the Hon'b!e Minister would enquire from other states.

श्री अध्यक्ष : I don't think a resolution can stand like that, once he has collected the facts. There are other ways for raising the problem. I think since it has been once moved we should dispose it of either by withdrawal or by voting.

श्री रामकिशोर व्यास : (गृह मन्त्री) Dispose of. He can move it in the next session.

श्री अर्जनदास : I withdraw it for this session. He will enquire from other States.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीय सदस्य श्री अर्जनदास ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

संकल्प को वापिस लेने की इजाजत दी जाती है।

श्री अर्जनदास : I withdraw the resolution.

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार २० तारीख को ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बजकर २ मिनट पर दिनांक २० मई, १९५७ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(शुक्रवार १७ मई, १९५७)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर २५०४

उद्योग व रसद विभाग की विक्रय वाहन की बोडी हेतु टेण्डर

बाड़मेर जिले में गत पांच वर्षों से २०००) रु० अथवा इससे अधिक की तकावी

उद्योग व रसद विभाग की विक्रय वाहन की सामग्री हेतु टेण्डर

लालसोट व चाकसू तहसीलों को राष्ट्रीय योजना में लेने संबंधी

बाडमेर में विद्युत व्यवस्था सम्बन्धी शासकीय प्रबन्ध

कस्बा घाटोली पंचायत क्षेत्र के मवेशियों का ढोला मारूवी बन में चरना

बाडमेर तहसील में प्राथमिक पाठशालाएं

पिछले गत वर्ष से धौलपुर उप जिले में रजिस्टर्ड हुये कतल केसेज़

खानपुर कनवास सड़क हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत धन-राशि

बांदीकुई से राजगढ़ जाने वाली सड़क को पक्का बनाने सम्बन्धी योजना

शिव तहसील में प्राथमिक पाठशालाएं

बीकानेर के निकट प्लान्टेशन योजना के अन्तर्गतगत वर्ष की लघु व मध्यम सिंचाई योजनाएं

झालावाड़ जिले के मालवी ढोरों की उन्नति हेतु शासकीय कदम

महारानी गर्ल्स हाई स्कूल की अध्यापिकाओं की सुव्यवस्था

महाराजाज़ स्कूल ऑफ आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स के दो भाग

राणा प्रताप सागर बांध पर इस समय तक बनाये गये भवन

इटावा भोपजी (त० आमेर) की माध्यमिक पाठशाला को उच्च विद्यालय में परिवर्तित करने सम्बन्धी

राजनैतिक पीड़ित व्यक्ति माने जाने वाले व्यक्तियों की श्रेणी

चित्तौड़ जिले में खोले जाने वाले बड़े व छोटे उद्योग

सामान्यत: शिक्षकों के स्थानान्तरण की निश्चित अवधि

बगरू व फागी (जयपुर) की माध्यमिक पाठशालाओं को उच्च विद्यालय में परिवर्तित करने की योजनाएं

अतारांकित प्रश्नोत्तर २५४३

भीचोर-सिंगोली रोड पर तैयार की गई पुलियाएं

मार्च, ५७ में बीकानेर के

विभिन्न फीडर्स पर बिजली बन्द होने की पूर्व सूचनाएं

धौलपुर में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत चल रहे एवं चलने वाले शासकीय कार्य

बीकानेर जिले में बी० कॉम० क्लासेज चलने की मांग

गोलबाग (बीकानेर) में एक नागरिक द्वारा घण्टाघर बनाने हेतु प्रार्थना-पत्र की प्रस्तुति

अप्रेल, ५२ से अप्रेल, ५७ तक भीलवाड़ा, सिरोही इत्यादि जिलों में जब्त किये गये लाइसेंस या रजिस्टर्ड शुदा हथियार

अप्रेल, ५२ से अप्रेल, ५७ तक जोधपुर, पाली इत्यादि जिलों में जब्त किये गये लाइसेंस या रजिस्टर्ड शुदा हथियार

अशासकीय संकल्प

(क) राज्य कर्मचारियों की शिकायतें सुनने हेतु समिति का निर्माण २५५५

श्री भैरोंसिंह (१४) ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:-

"इस सदन की सम्मति है कि सरकार एक उच्चस्तरीय समिति न्याय विभाग के एक उच्चाधिकारी के आधीन नियुक्त करे जिसके समक्ष सरकारी कर्मचारी अपनी नियुक्ति, तरक्की, स्थानान्तरण व तनख्वाह आदि में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उचित संरक्षण प्राप्त कर सकें।"

उक्त संकल्प पर किये गये वाद-विवाद में प्रस्तावक के अतिरिक्त निम्नांकित सदस्यों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किये :

१. श्री जगदीशप्रसाद माथुर
२. श्री दयाकृष्ण विजय
३. श्री नरेन्द्रसिंह
४. श्री रामेश्वरदयाल
५. श्री जनार्दनराय नागर
६. श्री होतीलाल
७. श्री पी० के० चौधरी
८. श्री पुरुषोत्तमलाल
९. श्री मुरलीधर व्यास
१०. श्री मूलचन्द डागा
११. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
१२. श्री मुक्तिलाल मोदी

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, द्वारा बहस का उत्तर दिये जाने पर उपरोक्त संकल्प सदन द्वारा अस्वीकृत किया गया।

अशासकीय विधेयक

राजस्थान प्रमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) संशोधन विधेयक, १९५७ २६८५

(पुरः स्थापन)

सदन की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् श्री अर्जुनदास, सदस्य विधान सभा, द्वारा राजस्थान प्रिमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेण्ट एण्ड एविक्शन) संशोधन बिल, १९५७ पुरः स्थापित किया गया।

अशासकीय संकल्प २६८७

(ख) मृत्यु भोज रोकने हेतु विधेयक बनाने सम्बन्धी संकल्प

इसके बाद श्री मोतीलाल चौधरी (१०५) ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:—

"इस सदन की सम्मति है कि राजस्थान की जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये मृत्यु भोज (मौसर) के उपलक्ष्य में जो धन का अपव्यय होता है उसे रोकने को सरकार एक विधेयक पेश करे।"

उक्त संकल्प पर वैधानिक आपत्ति किये जाने के कारण विचार विनिमय स्थगित रहा।

(ग) शहरों में सिटी सर्वे ऑफिसेज़ की स्थापना सम्बन्धी संकल्प (वापिस लेना)

श्री अर्जनदास ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:—

"This House is of the opinion that there should be City Survey offices for the cities of Rajasthan that shall maintain a register of all immovable properties in the towns having Municipal committees and keep a complete record of their site plans, boundaries, transfers and encumbrances."

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मन्त्री, द्वारा उत्तर दिये जाने के पश्चात् संकल्प सम्बन्धित सदस्य द्वारा वापिस ले लिया गया।

(घ) आयुर्वेदिक चिकित्सा को राष्ट्रीय पद्धति घोषित करने सम्बन्धी संकल्प

श्री बहादुरसिंह ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:—

"इस सदन की यह सम्मति है कि राज्य में आयुर्वेदिक चिकित्सा को राष्ट्रीय पद्धति घोषित किये जाने हेतु केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की जाय।"

उक्त संकल्प पर वाद-विवाद जारी था कि सदन की बैठक स्थगित हो गई।

सोमवार, २० मई, १९५७ की कार्य-सूची

मांगों पर मत-दान

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८७ का उत्तर देखिये)

नाम योजना	जिला	रिटर्न	विवरण
मध्यम			
वागण	उदयपुर	२.७ प्रतिशत	
बेढ़च (भड़गांव)	„	२.६५ „	
वागण	चित्तौड़	३.१ „	
पश्चिम बनास	सिरोही	२.७ „	
बेढ़च (ऊंटाला)	उदयपुर	२.२ „	
भरतपुर फीडर	भरतपुर	४.७५ „	
लघु			
नौगजा	टोंक	४.२५ „	स्वीकृत
बनाकिया	चित्तौड़	२.५७ „	
पीला	उदयपुर	१.८ „	
रुदड़ी	चित्तौड़	१.३६ „	
रामसीन	जालौर	४.०३ „	
वन्डोरा	उदयपुर	३.५ „	

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८१ का उत्तर देखिये)

TEHSIL BARMER

Places where primary schools exist	opened during the years.
1. Siyani	Before 1950
2. Sindhri	8.7.50
3. Sawan	-do-
4. Chuli	-do-
5. Bishala	-do-
6. Dhorimana	-do-
7. Ranigaon	-do-
8. Barmer (Refuges school)	1952 Taken over from Rehabilitation Deptt.
9. Bhata	July 1955
10. Kanor	-do-
11. Batadu	-do-
12. Kawas	-do-
13. Indroi	-do-
14. Ramsar	-do-
15. Rawatsar	-do-
16. Khara	-do-
17. Nokhara	-do-
18. Balera	-do-
19. Tamliyar	-do-
20. Koja	-do-
21. Dhoru	-do-
22. Nandra	-do-
23. Dudwa	-do-
24. Sarnubhimji	-do-
25. Piparali	January 54
26. Pareu	-do-
27. Dakhan	-do-
28. Kolu	-do-
29. Rateu	-do-
30. Akadara	-do-
31. Shikla	-do-
32. Bhadka	-do-
33. Adel	-do-
34. Chawa	-do-
35. Sinawara	-do-

36. Khadeen	-do-
37. Mahabar	-do-
38. Jasai	-do-
39. Bhurtiya	-do-
40. Kanora	-do-
41. Kasarnoi	-do-
42. Ati	2nd Oct, 56
43. Hoodu	-do-
44. Jodooki Dhani	-do-
45. Giran	-do-
46. Juna Patrasar	-do-
47. Sawanwala	-do-
48. Hathitalao	-do-
49. Panyala	-do-
50. Chhitar ka par	-do-
51. Sarli	-do-
52. Band	-do-
53. Nand	-do-
54. Darura	2nd July, 56
55. Bhadresh	-do-
56. Bola	-do-
57. Karna	-do-
58. Arniyali	-do-
59. Parardi	-do-
60. Binda ka par	-do-
61. Baleu	-do-
62. Bhimda	-do-
63. Sheokar	-do-
64. Undka	-do-
65. Juna Khera	-do-
66. Nausar	2nd July, 56
67. Sanjta	-do-
68. Bhanwa	-do-
69. Bhakarpura	-do-
70. Boot Jet Malotan	-do-
71. Khadala	-do-
72. Loharwa	-do-
73. Lookhu	-do-
74. Mehlu	-do-
75. Nagar	-do-
76. Sindaswa Haniyal	-do-

Page No.119

77.	Bhachhbhar	-do-
78.	Gagariya	-do-
79.	Khokhsar	-do-
80.	Jajwa	-do-
81.	Santra	-do-
82.	Derasar	2nd Oct., 1955
83.	Karla	-do-
84.	Hiraki Dhani	-do-

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १८५ का उत्तर देखिये)

SHEO TEHSIL.

Place where Primary School exists.	Opened during the year
1. Bhinyar	Before 1950
2. Gunga	8-7-50
3. Kotra	-do-
4. Sheo	-do-
5. Undu	July 53
6. Kahmer	-do-
7. Girab	-do-
8. Harsani	-do-
9. Jaisinder	-do-
10. Sundra	-do-
11. Medusar	Jan. 54
12. Areng	Oct. 55
13. Balewa	-do-
14. Khudal	July 56
15. Badhara	-do-
16. Choohra	-do-
17. Kanasar	-do-
18. Mokhao Kalan	-do-
19. Mungeriya	-do-
20. Nagarda	-do-
21. Bandasar	-do-
22. Asadi	-do-
23. Jhankli	-do-

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६४ का उत्तर देखिये)

FORM "F"

Precribed under Rule 15 (4) of the Registration and Licensing of Industrial under takings Rules. 1952 (as revised).

Licence No. L/12/61/56.

Government of India
Ministry of Heavy Industries.
New Delhi, the 24th Dec. 1956.

An application dated the 12th Dec., 1956, for a licence having been received from M/S S. Zoraster and Co., Jaipur for the establishment of a new industrial undertaking under the name of "Golcha Cements (Rajasthan) Ltd.," for manufacture of Portland Cement Under Rule 7 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, the Central Govt., in exercise of the powers conferred by Rule 15 (2) of the said Rules. hereby grants this licence to establish a new industrial undertaking subject to the following conditions :--

1. "Effective steps" as defined in Rule 2 (ii) of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, shall be taken for the establishment of this new industrial undertaking within a period of six months from the date of issue of the licence.

2. The new industrial undertaking shall be established within period of twenty four months from the date of issue of the licence.

3. The new industrial undertakings shall be located at Chittorgarh in Rajasthan State.

4. The new idustrial undertaking shall have an installed capacity for the manufacture of 231000 (two hundred and thirty one thousand) tons of portland Cement per annum.

5. The import of plant and machinery shall be subject to normai import control regulations.

6. If the industrial undertakings or any of its associate concerns holds an established quota for the import of any item relating to this project, that quota shall be surrendered as soon as production commences.

7. The industrial undertaking shall obtain prior permission from the Govt. of India before effectting a substantial expansion or introducing a new line of production within the same item of the first Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, for which the licence is issued.

8. Any prospectus or other document by which the public is invited to subscribe capital for this industrial undertaking shall contain the following statement :—

"A licence has been obtained from the Central Govt. for the establishment of this new industrial undertaking of which a copy is open to public inspection at the Head Office of the Company. It must be distinctly understood that in granting this licence the Govt. of India do not take any responsibility for the financial soundness of this undertaking or for the correctness of any of the statements made or opinions expressed in regard to it.

(S. V. R. Chari)
Under Secy. to the Govt. of India.

Seal of the Ministry.

परिशिष्ट ५

(कृपाय अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर देखिए)

Date.	Fuder.	Off	(1)	On	Duration.	Remarks.
1	2	3		4	5	6
		Hours Minutes.			Hours-Minutes.	
8-3-57	City	9.25		10.28	1-3	Due to chain grate trouble in low steam pressure.
	Nokha.	9.25		10.40	1.15	-do-
	Chotina	9.37		9.42	0-5	Fuse burnt.
	Gajner.	9.45		10.43	-57	Due to chain grate trouble in low steam pressure.
	Raitway	9.54		10.42	-48	-do-
	Chotina	9.53		10.20	-27	-do-
	Nawalsagar	10.15		10.30	-15	-do-
	Railway well.	10.10		10.35	-25	-do-
10-3-57	Railway	6.50		7.25	-35	-dc-
	Nokha	6.55		7.28	-33	-do-
	Ratangarh.	6.45		8.35	1.50	-do-
	Nawalgarh	7.00		7.15	-15	-do-
	City	7.00		7.25	-25	-do-
	Gajner	7.00		7.28	-25	-do-
	Chotina	7.6		7.25	-19	-do-
	Ratangarh.	9.15		9.30	-15	-do-
11-3-57	City	1.15 P. M.		2.10 P. M.	-55	-do-
	Gajner	-do		-do	-do-	-do-

	Nokha	-do-	-do-	-do-	-do-
	Railway	-do-	-do-	-do-	-do-
12-3-57	City	4.40	5.10	-30	-do-
	Gajner	4.40	5.10	-30	-do-
	Nokha	6.50	7.25	-35	-do-
	Gajner	6.50	7.28	-38	-do-
	Ratangarh.	7.2	3.15 A.M.	8.30	-do-
14-3-57	Ratangarh.	1.25 P. M.	4.55	3.28	Low pressure gland sealing of B.T.H. Set and failure of feed pipe boiler w-3 got out of order.
	Nokha.	1.55	2.30	-35 Minutes	
	Gajner.	1.55	4.40	2.45	
14-3-57	Gajner) Nokha) City)	5.10	5.45	-35 M.	-do-
	Railway) &) Lalgarh.)	5.15	5.45	-30 „	-do-
15-3-57	Ratangarh.	0.30	0.45	0-15	-do-
		0.47	1.30	1-43	-do-
		13-47	17-35	3-48	-do-
		18-10	18-25	0-15	-dc-
		19-05	19-20	0-15	-eo-
	City.	6-25	6-55	0-25	-do-
		13-35	16-00	2-25	-do-
	Railway.	14-02	16-00	1-58	-nd-

		*14-00	16-00	2-0	-do-
	*Gajner.	* 6-15	6-40	0-25	-do-
	Nokha.	12.25)	13.05	0-40	-do-
		13.20)	14.25	1-5	-do-
	Chotina.	13.20	16.00	2-40	
	Lalgarh.	14.02	16.00	1-58	
	Nawalsagar.	14.12	14.35	0-23	
18-3-57	Ratangarh.	5.55	6.40	0-15	Due to trouble in the chaingrate of biler No. 2 & 3, the steam pressure could not be maintained
		6.12	6-27	0-15)	Due to trouble in the chaingrate of biler No. 2 & 3, the steam pressure could not be maintained
		6.29	6.44	0-15)	Due to trouble in the chaingrate of biler No. 2 & 3, the steam pressure could not be maintained
		6.46	6.59	0-13)	Due to trouble in the chaingrate of biler No. 2 & 3, the steam pressure could not be maintained
		7-00	7.15	0-15)	Due to trouble in the chaingrate of biler No. 2 & 3, the steam pressure could not be maintained
		8-44	8-57	0-13)	Due to trouble in the chaingrate of biler No. 2 & 3, the steam pressure could not be maintained
		9-28	9-43	0-15)	-do-
		9-45	9-59	0-14)	-do-
		14-28	14.45	0-17)	-do-
		14-47	15-03	0-26)	-do-
		15-22	15-37	0-15)	-do-
		15-39	15-55	0.16)	-do-
	City Gajner.	6-52	7.15	0-50)	-do-
	City Nokha Chotina.	9-30	10-00	0-30)	-do-
	Lalgarh.			)	-do-
	Chotina.	14-53	15-45	0-52)	-do-
	Nokha.	15-01	15-45	0-44)	-do-
	City.	15-12	15-30	0-18)	-do-

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर देखिये)

क्रमांक	नाम जिला	ता० १-४-५२ से ता० १-४-५७ तक	हथियार जब्त किए गए: शिकायतों से मुकदमा होने से	हथियार जब्त किए गए: प्रोहीबिटेड बोर होने से	वापस किए गए कब और क्यों	किन किन के लाइसैंस रिन्यू नहीं किए और क्यों
१	२	३	४	५	६	७
१.	भीलवाड़ा		भूस्वामी आंदोलन में लाइसैंस सस्पेंड किए गए।		१५ लाइसैंसों को रिन्यू कर हथियार वापस कर दिए गए।	८ भूस्वामियों के लाइसैंस कैंसिल शुदा पड़े हुए हैं, उनकी ओर से दरख्वस्तें पेश होने पर लाइसैंस जारी किए जायेंगे। दौलतगढ़ ठिकानेदार के हथियार पड़े हुए हैं, उनके खिलाफ मुकद्दमा है, उसको विदड्रॉ करने की मंजूरी आने पर लाइसैन्स जारी किए जायेंगे।
२.	सिरोही	ता० १८-८-५० से ता० २६-१२-५४		२८ हथियार प्रोहिबिटेड बोर के होने से जब्त किए गए।	एक ३८ बोर का रिवोल्वर लौटाया गया सन् १९५५ में	२ लाइसैन्स जो श्री करतारसिंह और हरिसिंह के थे रिन्यु नहीं किए गए क्योंकि इन लोगों का डाकुओं के साथ रहने का शक हुआ है।
		८-८-५६ से २१-१२-५६ तक	६ अन्य बोर के हथियार जब्त किए गए क्योंकि या तो ये लोग डाकुओं के संसर्ग में थे			

Page No.127

१	२	३	४	५	६	७
			या इनको हथियार रखने की आज्ञा देने के अयोग्य थे			
३	नागौर	ता० ५-६-५५ को ता. २३-११-५६ तक	२ हथियार श्री किशोरसिंह और श्री फते-सिंह के जब्त किए गए	२२ व्यक्तियों के प्रोहिबिटेड बोर के हथियार पुलिस में लिए		५६ व्यक्तियों के लाइसैन्स रिन्यु नहीं किए क्योंकि इनकी पूरी लाइसैन्स फीस नहीं आई या सही फॉर्म में दरख्वास्त पेश नहीं की इन मामलों में कार्यवाही जारी है।
४.	बाड़मेर	ता० २२-११-५५ ता० २६-३-५६	हाजी ईसा की १ व हेमासिंह की ३ राइफलें पुलिस में ली गईं क्योंकि इनके खिलाफ पुलिस की रिपोर्ट थी	६ व्यक्तियों के प्रोहिबिटेड बोर के हथियार पुलिस में लिए गए	हाजी इसा व हेमासिंह को ता० ५-१२-५५ को और ता० २७-३-५७ को लाइसैन्स दे दिए जाकर राइफलें वापस की गईं क्योंकि जोधपुर कमीश्नर ने अपील स्वीकार करली और हाजी ईसा के पीछे एक डाकू लगा हुआ था इसलिए वापस लाइसैन्स दिया।	श्री मूलासिंह को लाइसैन्स रिन्यु नहीं किए गए क्योंकि इनके विरुद्ध एक फौजदारी मुकद्दमा चल रहा है।
५.	सीकर	ता० १-४-५२ से ता० १-४-५७ तक	३३ हथियार जब्त किए गए	१६ व्यक्तियों के हथियार प्रोहि-	दो हथियार वापस किए गए क्योंकि एक में हाई कोर्ट की	

१	२	३	४	५	६	७
			क्योंकि इनके मालिक के विरुद्ध पुलिस की रिपोर्ट थी या कुछ मर गए थे	बिटेड बोर होने से पुलिस में लिए गये।	आज्ञा थी और दूसरे में Re-enquiry हुई	
२.	चित्तौड़गढ़	ता० १-४-५२ से ता. १-४-५७ तक	२६ अन्य बोर के हथियार पुलिस में लिए गए। इनमें से कुछ डकैती में या अन्य मुकद्दमों में और कुछ के स्वामी मर गए या शैशवावस्था में होने से	३१ व्यक्तियों के हथियार प्रोहिबिटेड बोर के होने से पुलिस में लिए गए	१८-४-५३ से ४-२-५७ तक ११ हथियार लाइसैन्स दिए जाने से लौटाये गए	श्री शंभुसिंह सा. चंबोरी का लाइसैन्स रिन्यू नहीं किया क्योंकि यह पागल हो गया और अभी ठीक नहीं हुआ है।

परिशिष्ट ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर देखिये)

क्रमांक	नाम जिला	ता० १-४-५२ से ता० १-४-५७ तक	हथियार जब्त किये गये शिकायत होने से या मुकदमा होने से	हथियार जब्त किये गये प्रोरिबिटेड बोर होने से	वापस किये गये कब और क्यों	किन किन के लाइसैन्स रिन्यु नहीं किये गये और क्यों।
१	२	३	४	५	६	७
१.	जोधपुर	ता० १-४-५२ से ता० २९-६-५२ तक	४४ हथियार जब्त किये गये जो किन्हीं मुकदमों में जमा हुए हैं।			६३ व्यक्तियों के लाइसैन्स रिन्यु नहीं किये। इनके पास जोधपुर स्टेट के लाइसैन्स थे, उनके बजाय अब राजस्थान के लाइसैन्स देने की कार्यवाही हो रही है और पूछताछ के बाद नये लाइसैन्स दे दिये जायेंगे।
२.	पाली	मार्च ५३ से जुलाई ५५ तक	४ हथियार जब्त किये गये	१४ प्रोहिबिटेड बोर के हथियार होने से		२४ व्यक्तियों के लाइसैन्स रिन्यु नहीं किये गये क्योंकि इन व्यक्तियों ने समय पर ये रिन्युअल के वास्ते पेश नहीं किये। उनको नोटिस दिया जाकर कार्यवाही की जा रही है।
३.	चूरू	ता० २१-९-५३ से १८-१-५७		१२४ हथियार प्रोहिबिटेड बोर के		सिर्फ प्रोहिबिटेड बोर के हथियारों के लाइसैन्स ही रिन्यु नहीं किये गये हैं।
४.	बीकानेर	ता० १-४-५२ से १-४-५७				एक लाइसैन्स श्री नानूखां का रिन्यु नहीं किया गया क्योंकि इसके विरुद्ध पुलिस की रिपोर्ट थी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के

१	२	३	४	५	६	७
						रिन्युअल का नियम नहीं होने से इसके रिन्युअल का प्रश्न नहीं उठता।
५.	जयपुर	ता० ११-७-५२ से २१-१२-५६ तक	४३ मुकदमों में जब्त किये गये।	४३ हथियार प्रोहिबिटेड बोर के होने से	१४-८-५३ से १७-३-५६ तक २) हथियार वापस किये गये क्योंकि इनके मालिक मुकद्दमें बरी हो गये।	१३८४ व्यक्तियों के लाइसैन्स रिन्यु नहीं किये गये क्योंकि इन व्यक्तियों द्वारा समय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण शुक्रवार, दिनांक १७ मई, १९५७)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२५०४–२५०५	१	**राजस्थान विधान सभा का कार्य विवरण**	**राजस्थान विधान सभा का कार्य विवरण**
२५०४	१६	प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थि	प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित
२५०४	२१	**योजना में लेने संवन्वी**	**योजना में लेने सम्बन्धी**
२५०६	२	**गत वर्ष में धौजपुर**	**गत वर्ष में धौलपुर**
२५१२	अन्तिम पंक्ति	प्रश्न पूंछने दें।	प्रश्न पूछने दें।
२५१३	६	वहीं गोचर भूमि नहीं	वहां गोचर–भूमि नहीं
२५२६	१	रांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
२५३७	३	वह लोअस्ट रेट	वह लोएस्ट रेट
२५४५	११	परिशिष्ट ४	परिशिष्ट ५
२५४६–२५४७	१५	अध्यापकों की भारतो	अध्यापकों की भरती
२५५३	९	परिशिष्ट ५	परिशिष्ट ६
२५५५	२४	परिशिष्ट ६	परिशिष्ट ७
२५५६	२६	in the House He ? is	in the House ? He is
२५८२	१२	सर्विसेज़ की सिनियोरिटी	सर्विसेज् की सिनियरिटी
२५६८	१	२६६८	२५६८
,,	प्रथम पंक्ति के नीचे	—	(श्री रामेश्वरदयाल)
२६१०	१	राज्य कर्मरिचायों की	राज्य कर्मचारियों की
२६४८	३१	गजटेड स्टाफ के लिए	गजटेड स्टाफ के लिये
२६५०	अन्तिम पंक्ति से द्वितीय	ये जिप पैमाने पर	ये जिस पैमाने पर
२६५१	२१	नहीं भेजां हो	नहीं भेजा हो
२६५५	१०	केसेज् पकड़े हैं	केसेज् पकड़े हैं
२६७४	७	जाय जिसे, मैं स्वीकार	जाय, जिसे मैं स्वीकार
२६७६	९	लोगों से एप्लीकेशन्सन	लोगों से एप्लीकेशन्स
२६८०	२७	प्रश्न पूंछे गये	प्रश्न पूछे गये
,,	३०	झूठे आश्वासन झूठे उत्तर	झूठे आश्वासन उपलब्ध हो सकते हैं, झूठे उत्तर
२६८७	१	एण्ड (एविक्शन) विधेयक	एण्ड एविक्शन) विधेयक
२७०४	११	for the recommendatoin	for the recommendation
२७२५	१	२५२५	२७२५
२७३२	१७	(वापिस लेना)	(वापिस लेना) २६६७
२७३३	१३	**करने सम्बन्धी संकल्प**	**करने सम्बन्धी संकल्प** २७०५